खण्ड–15, अंक–4
सोमवार, 06 चैत्र, शक संवत् 1928
(27 मार्च, 2006 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2006)

(खण्ड 15 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	1–70
लाभ का पद धारक करने वाले विधायकों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	70
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	71
धारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नन्धौरा नदी, सूखी नदी को चुगान पर दिये जाने तथा नदी से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा प्रारम्भ से पूर्व तटबन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 चौखुटिया द्वाराहाट अन्तर्गत स्वामी विवेकानन्द, उ0मा0वि0 सिमलखेत, श्री लाल बहादुर शास्त्री उ0मा0वि0 नागाड़ एवं जनता उ0मा0वि0 छानागोलू विद्यालय का अनुदान के अभाव में विकास नहीं हो पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
वन विभाग देहरादून की तिलक रोड स्थित कालोनी की जर्जर सीवर लाइन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
देहरादून महानगर के अन्तर्गत वार्ड–11, राजीव नगर में बरसाती नाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72–73
जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के पैढ़ी–कुजासू मोटर मार्ग की कटिंग का लो0नि0वि0 द्वारा ठेकेदारों का भुगतान अभी तक नहीं किए जाने से मजदूरों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय में विश्राम गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
जनपद नैनीताल में भीमताल ब्लाक के ग्राम सूड़ी बैलगढ़ व चन्दा देवी में बेलगढ़ नाले से होने वाले भूमि कटाव का नियंत्रण/सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका——————(उपस्थित की गई) ...	74
जनपद नैनीताल के ग्राम बोहरागाँव में अत्यधिक पुरानी क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में याचिका———(उपस्थित की गई)	74
श्री प्रीतम सिंह पंवार, रा0वि0स0 द्वारा तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आर0 एस0 रावत, उत्तरकाशी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	74–75

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री महेन्द्र भट्ट, स0 वि0 स0 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चमोली एवं अन्य के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	75–76
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश	76–78
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	78–83
वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2006–2007 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ...	83–122
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .... (क्रमागत) ...	122–123
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .... (क्रमागत) ...	123–128
वित्तीय वर्ष 2006–2007 के एक भाग के लिए लेखानुदान पर चर्चा एवं मतदान .... (स्वीकृत)	128–129
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 ...... (पारित) ...	129–133
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .... (क्रमागत) ...	133–138
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा.......... (क्रमागत)	138–146
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	146–148
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] विधेयक, 2006 .... (पारित)	148–157
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	157
राज्य महिला डेयरी फेडरेशन की स्थापना के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत, स0 वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	157–159
राज्य में आवास एवं विकास परिषद् का गठन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे श्री नारायण सिंह जन्तवाल, स0 वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	159
नत्थी	160–165

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा० अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्रीमती आशा देवी
7—श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8—श्री उम्मेद सिंह मजिला
9—श्री काशी सिंह ऐरी
10—श्री किशोर उपाध्याय
11—श्री कैलाश शर्मा
12—श्री कौल दास
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
15—श्री गोपाल सिंह
16—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री चन्द्रशेखर
18—श्री जोत सिंह
19—श्री तिलक राज बेहड
20—श्री तेजपाल सिंह रावत
21—श्री दिनेश अग्रवाल
22—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23—श्री नव प्रभात
24—श्री नारायण दत्त तिवारी
25—श्री नारायण पाल
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—काजी निजामुद्दीन
29—श्री प्रकाश पंत
30—डा० प्रताप बिष्ट
31—श्री प्रदीप टम्टा
32—श्री प्रीतम सिंह
33—श्री प्रीतम सिंह पंवार
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
36—श्री फूल सिंह बिष्ट
37—श्री बलवीर सिंह नेगी
38—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
39—श्री बिशन सिंह चुफाल
40—श्री भगत सिंह कोश्यारी
41—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
42—श्री महेन्द्र भट्ट
43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
44—श्री मातबर सिंह
45—श्री माल चन्द
46—चौ० यशवीर सिंह
47—श्री रणजीत सिंह
48—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
49—श्री राम प्रसाद टम्टा
50—श्रीमती विजय बडथ्वाल
51—श्री शूरवीर सिंह
52—डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53—श्री सहजाद
54—श्री साधू राम
55—श्री सुबोध उनियाल
56—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57—श्री सुरेश सिंह नेगी
58—श्री सुरेश चन्द
59—डा० हरक सिंह रावत
60—श्री हरबंस कपूर
61—श्री हरभजन सिंह चीमा
62—श्री हरीदास
63—श्री हरीश चन्द दुर्गापाल
64—श्री हीरा सिंह बिष्ट
65—श्री हेमेश खर्कवाल
66—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चयन हेतु निर्धारित तिथि निरस्त करने के कारण

**1–श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन हेतु निर्धारित परीक्षा की तिथि को निरस्त कर दिया गया ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे तथा भविष्य में उक्त पद हेतु परीक्षायें कब तक सम्पन्न करा ली जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केवल साक्षात्कार की तिथि स्थगित की गयी है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक साक्षात्कार होना था, जिसके लिए लगभग एक लाख लोगों ने भागीदारी की। मान्यवर, मेरे अंदाज से इस पर 10 लाख रु0 सिर्फ रजिस्ट्री डाक पर खर्च आया यदि प्रति रजिस्ट्री 10 रु0 मानें तो, मान्यवर। यदि प्रति व्यक्ति 200 रु0 होटल आदि का किराया मानें तो यह दो करोड़ रु0 हो जाता है। मान्यवर, यद्यपि यह किराया देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार के हिसाब से बहुत कम है। मान्यवर, इसमें लगभग 100 किमी0, 150 किमी0 की दूरी से लोग आये। यदि यह दूरी न भी मानें तो लगभग 55–56 किमी0 की दूरी मानें। और इस हिसाब से 50 रु0 प्रति व्यक्ति किराया मानें तो वह लगभग 5000000 हो जाता है। मान्यवर, इसके बाद एकाएक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का साक्षात्कार निरस्त कर दिया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुल इसमें कितने अभ्यर्थियों ने भागीदारी की ? एकाएक इस साक्षात्कार को निरस्त करने के क्या कारण थे ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इस साक्षात्कार को निरस्त करने के लिए दोषी अधिकारी कौन था, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, प्रदेश में कुल 97432 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रत्येक जनपदों की अलग–अलग स्थिति है। इसके लिए साक्षात्कार की तिथि 15 जनवरी, 06 निश्चित की

गयी थी, किन्तु इतनी बड़ी संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त होंगे इसका पहले से अनुमान नहीं था। इसीलिए अधिकारियों ने एक ही दिन साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की थी। मान्यवर, एक ही दिन साक्षात्कार में व्यवहारिक कठिनाई अनुभव की गयी। और मान्यवर, यदि एक ही दिन साक्षात्कार होता तो लगभग 100 अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार होता। मान्यवर, इस प्रकार से यदि एक जनपद में लगभग 13000 अभ्यर्थी थे, और यदि इनका साक्षात्कार प्रतिदिन भी चलता तो इसमें कम से कम 130 दिन लग जाते। मान्यवर, यह भी लगातार चलने पर, इसमें छुट्टियाँ सम्मिलित की जाती तो लगभग 6 माह का समय लग जाता इसलिए मान्यवर, इसका सरलीकरण करने और पूरी पारदर्शिता लाने हेतु विचार किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 97432 अभ्यर्थियों की भागीदारी होना बताया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुल कितने पदों पर नियुक्ति होनी थी ? क्या आगामी दिनों में इस साक्षात्कार को सरकार करने जा रही है? मान्यवर, जिलेवार इसका विवरण क्या है, क्या किसी सरलीकरण की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया है, वह सरलीकरण क्या किया गया है इसका विवरण दें ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि 97432 लोगों ने आवेदन–पत्र दाखिल किये थे, इसमें 75 पदों के लिए 9028 आवेदन–पत्र मात्र पौड़ी में है जिसमें 75 पद भरे जाने थे। चमोली में 100, टिहरी में 102, रूद्रप्रयाग में 99, उत्तरकाशी में 103, हरिद्वार में 24, देहरादून में 45, नैनीताल में 72, अल्मोड़ा में 102, पिथौरागढ़ में 182, चम्पावत में 42, बागेश्वर में 44, ऊधमसिंह नगर में 41 पद हैं। इस तरह से 971 पद हैं। जिसमें 97432 लोगों ने आवेदन किया, इसके लिए हमने निवेदन किया कि इसका सरलीकरण करेंगे। हम सोच रहे हैं कि कैसे इसमें पारदर्शिता ला सकें।, इस पर विचार चल रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा कहना है कि इसमें सरकार ने कोई कमेटी बनाई है ? मान्यवर, 15 जनवरी से कोई कम समय नहीं हुआ है, इतना पैसा बरबाद हुआ। मान्यवर, पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि इतने गरीब लोगों के लिए जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन किया था इसके लिए क्या सरलीकरण की कमेटी बनाई थी ? क्या माननीय मंत्री जी कोई फिक्स तारीख बताएंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह अभ्यर्थी परेशान न हों, इसके लिए हम ज्यादा लोगों को न बुलायें, इसलिए हम कोई सरलीकरण की नीति बनाने जा रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई बैठक आपने की, कोई तैयारी की है ? मान्यवर, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया है। मान्यवर, 15 जनवरी की बात है और आज मार्च पूरा होने जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस दिशा में कोई कार्य किया है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसमें अलग–अलग बात कर चुके हैं, इसमें अन्तिम निर्णय लाने के लिए विभागीय बैठक होगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 97432 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और जिनकी साक्षात्कार की तिथि को स्थगित किया गया था। मान्यवर, 15 जनवरी इस वर्ष की तिथि है या पिछले वर्ष की है ? माननीय मंत्री जी बता दें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। माननीय मंत्री जी बतायें कि इस विषय में कोई ठोस कार्य पद्धति तैयार की है या कोई ऐसी व्यवस्था की है जिसके माध्यम से परीक्षा हो सके और दूसरा यह बतायें कि इसकी परीक्षा की तिथि कब निर्धारित कर देंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जिला स्तर पर बैठक की है। मान्यवर, नीति निर्धारित की समस्या कही तो वह भी इसमें किया जायेगा। मान्यवर, कमेटी गठित कर दी है, समय–समय पर इस विषय पर चर्चा भी कर चुके हैं और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक आहूत की है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह बड़ी विचित्र बात लगती है कि परीक्षा निरस्त नहीं हुई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यदि यह निरस्त नहीं हुई तो क्या कोई पद भरे गये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न देखें कि क्या पूछा गया है। प्रश्न है कि क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन हेतु निर्धारित परीक्षा की तिथि को निरस्त कर दिया गया है ? मैंने कहा कि साक्षात्कार की तिथि जो निर्धारित थी उसे स्थगित किया है, भविष्य में इस पर जल्द कार्यवाही करेंगे।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की साक्षात्कार की तिथि 15 जनवरी नियुक्त की गई थी, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति जिलेवार की जानी चाहिए थी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह विज्ञप्ति जिला शिक्षा अधिकारी ने निकाली थी इसमें कहा गया था कि इम्प्लाईमेन्ट में आदमी का नाम हो और वह किसी भी जनपद में आवेदन कर सकता है, यह नीति थी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अभी–अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने श्री नौटियाल जी के प्रश्न के जवाब में कहा कि अभ्यर्थी किसी भी जनपद में आवेदन कर सकता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो विज्ञापन आया

था उसमें सभी जनपदों के साक्षात्कार की तिथि 15 जनवरी रखी गयी थी और पिथौरागढ़ एक जिला ऐसा था जिसमें कि यह तिथि 25 जनवरी रखी गयी थी। मान्यवर, आपने कहा कि किसी भी जनपद में अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, इसमें तो सम्भव नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिथौरागढ़ में 182 रिक्तियाँ हैं जो कि अन्य जनपदों से ज्यादा हैं। क्या विभाग की ऐसी मंशा तो नहीं थी कि अन्य जगह कम–कम रिक्तियाँ हैं इनका एक साथ निपटारा कर लेंगे और जो छूट जायेगा उसको हम पिथौरागढ़ में एडजस्ट कर लेंगे? क्या जो आगे की तिथि रखेंगे उसमें सभी जनपदों को एक साथ रखेंगे या पिथौरागढ़ की अलग से तिथि रखेंगे ? इसको स्पष्ट करना चाहें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अभी जैसा मैंने कहा कि इसमें हम विचार कर रहे हैं कि कैसे साक्षात्कार को हम सुगम तरीके से कर सकें। अलग–अलग तारीख में भी हम साक्षात्कार ले सकते हैं और अगर सभी जनपदों में साक्षात्कार हेतु एक ही तिथि निर्धारित की जायेगी तो आपके पिथौरागढ़ में भी वही तिथि रखी जायेगी।

सरकारी एवं गैर सरकारी वाहनों के ऊपर लगी लाईटों के नियम

**2–श्री हरबंस कपूर–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी एवं गैर सरकारी वाहनों के आगे या ऊपर बत्तियाँ लगाने के नियम क्या हैं ?

क्या सरकार वाहनों के ऊपर अनधिकृत रूप से लगायी गयी अतिरिक्त लाईटों को हटाने की कार्यवाही करेगी।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

सरकारी एवं गैर सरकारी वाहनों के आगे या ऊपर बत्तियाँ लगाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है।

केन्द्र सरकार की अधिसूचना का0आ0 52(अ) (संलग्नक–1) (जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 108 के उपनियम (III) के अन्तर्गत जारी हुई है) में केन्द्र के गणमान्य व्यक्ति जिन्हें वाहनों के आगे या ऊपर बत्ती अनुमन्य की गई है, की व्यवस्था दी गई है।

उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर (ङ) में राज्य सरकारों को अपने गणमान्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में व्यवस्था किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 3–8/परि0स0/उत्तरांचल/2001/246, दिनांक 05–02–2001 (संलग्नक–2) एवं शासनादेश संख्या 56/परि02003, दिनांक 07–02–2003 (संलग्नक–3) जारी किये गये हैं।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ सं0 180–185 पर।)

परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 16–12–2005 से 15–01–2006 तक विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया जिसमें अन्य अभियोगों सहित कुल 2105 चालान किये गये और 17 वाहनों से अनधिकृत लाल/नीली बत्तियाँ हटायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसे कि दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है और उसी तरीके से स्थान–स्थान पर चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसमें यह अनधिकृत रूप से वाहनों पर जो बत्तियाँ लगायी हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि शासनादेश जारी किया गया है, इन्हें प्रतिबन्धित किया गया है और चालान भी किया गया है और मात्र 17 वाहनों का इस अधिनियम के उल्लंघन पर चालान हुआ, परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि आज भी वाहनों पर अनधिकृत रूप से तरह–तरह की बत्तियाँ लगायी जा रही हैं और ऐसी गाड़ियाँ सड़कों पर घूमती हुई नजर आती हैं। ये मात्र दुर्घटनाओं में वृद्धि और चक्का जाम की स्थिति को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि जो अधिकारी इन नियमों को लागू करते हैं, उनको भी प्रभावित करती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा और उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आज भी राजधानी क्षेत्र में ऐसी गाड़ियाँ चाहे राजकीय हों, सरकारी हों या गैर सरकारी उनमें अनधिकृत रूप से ऐसी बत्तियाँ लगायी जा रही हैं। जो बत्तियाँ अनुमन्य हैं वह किस तरह की हैं और किस रंग की बत्तियाँ किस स्तर के अधिकारी लगा सकते हैं ? आज लाल, पीली, हरी और फौग लाईट की बत्तियाँ वाहनों के ऊपर लगायी गयी हैं जिससे सामने से आ रहे वाहनों की देखने की क्षमता कम हो जाती है। माननीय मंत्री जी अवगत कराएंगे कि किस–किस तरह की बत्तियाँ किस–किस अधिकारी या जन प्रतिनिधि को लगाने की अनुमति है ? इसके अतिरिक्त जो बत्तियाँ लगायी जा रही हैं उसके विरूद्ध माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने लालबत्ती के प्रकरण पर दूसरी बातों को भी कह दिया कि इससे कई बार जाम और अनावश्यक व्यवधान हो जाता है तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, वे शायद पुलिस विभाग द्वारा चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए लगाई गई लाल बत्ती की बात कर रहे हैं। मान्यवर, लालबत्ती लगाने के लिए कौन–कौन ऑथराइज्ड हैं इसके लिए हमारे विभाग ने शासनादेश जारी किये हैं कि कौन इसके लिए अधिकृत है और कौन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भी सभी माननीय सदस्यों को इससे अवगत कराया गया। इसके प्रयोग के लिए कौन–कौन अधिकृत हैं वह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि महामहिम श्री राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उत्तरांचल के न्यायिक सेवा के जिला जज और उसके समकक्ष अधिकारी टॉप पर लाल बत्ती, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश लाल बत्ती टॉप पर तथा मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उत्तरांचल बोनट पर छोटी लाल बत्ती, जिलाधिकारी तथा जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टॉप पर नीली बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अधिकृत नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 5 फरवरी, 2001 को जारी किये गये शासनादेश के अन्तर्गत उत्तरांचल के महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, राज्य मंत्रीयों, उप मंत्रीयों को टॉप पर लाल बत्ती लगाने का उल्लेख है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य मंत्री स्तर तथा उप मंत्री स्तर के व्यक्ति भी लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बोनट पर लाल बत्ती लगाने के निर्देश इसी शासनादेश में हैं तथा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को छत पर नीली बत्ती लगाने का दूसरा जो शासनादेश 7 फरवरी, 2003 को जारी किया गया है। तो क्या इसके सिवाय राज्य के दूसरे अधिकारी जो टॉप पर लाल तथा नीली बत्ती लगाकर घूम रहे हैं, उन पर कार्यवाही की जायेगी ? इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक टॉप पर लाल बत्ती लगाकर चल रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही की जायेगी

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, नियमों में जो व्यवस्था है, उसी के अनुसार कार्य होता है। मंत्रियों और उप मंत्रियों से आशय है कि जिन्होंने शपथ ली हो, मंत्री पद की शपथ ली हो। इसके अलावा अन्य व्यक्ति कवर नहीं होते हैं। और जो दूसरे अधिकारी जो लाल या नीली बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने पहले भी अवगत कराया है और इस सम्बन्ध में विभिन्न समाचार–पत्रों के माध्यम से यह बताया गया कि कौन–कौन व्यक्ति इसके लिए ऑथराइज्ड, है। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है। इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि एक बार मेरी भी गाड़ी लाल बत्ती की चेकिंग के दौरान रोक ली गई थी, इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है ?

श्री हरीदास–

माननीय अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो लाल बत्ती लगाए घूम रहे हैं, उनके लिए इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ऑथराइज्ड हैं, उनका उल्लेख इसमें है और जो ऑथराइज्ड नहीं हैं, उनका उल्लेख इसमें नहीं है, उनकी एक लम्बी फेहरिस्त है।

श्री किशोर उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मान्यवर, मैं परसों कहीं जा रहा था तो मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी पर लाल बत्ती टंगी हुई देखी। इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में भी लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इनको भी इसी सूची में शामिल करेंगे ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष का स्तर कैबिनेट मंत्री का होता है। वे लाल बत्ती के लिए ऑथराइज्ड हैं।

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, आपने जो सूची बताई है, उसमें नेता प्रतिपक्ष का कहीं उल्लेख नहीं है और न ही इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अभी मेरे सवाल का पूरा उत्तर नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष के अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री जी की गाड़ी पर भी लाल बत्ती टिमटिमा रही है।

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, जो मेरे साथी विधायक ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस शासनादेश के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लाल बत्ती लगाने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। आपने कहा कि जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनको लाल बत्ती मिलेगी तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने शपथ नहीं ली है। नेता प्रतिपक्ष खुद लाल बत्ती लगाकर दूसरों की लाल बत्ती की बात कर रहे हैं। शासनादेश के खिलाफ बात की जा रही है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत सरकार की जो व्यवस्था है, उसको ही यहाँ पर अपनाया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी, मैंने आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है। सरकार ने लाल बत्ती लगी हुई गाडी मुझे दी है। अगर मैं उसका धारक नहीं हूँ और सरकार उसको वापस लेना चाहे तो ले लें, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं आया है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बात यहाँ पर कही है, मेरा अनुरोध है कि उस सम्बन्ध में एक स्पष्ट आदेश भी निर्गत कर दें। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो लाल बत्ती के लिए अनुमन्य नहीं है, वे चाहे ट्रेजरी बैंच में बैठे हो या विपक्ष में, क्या सरकार उनको उतरवाने के लिए एक विशेष अभियान चला कर प्रदेश के सामने एक उदाहरण पेश करने जा रही है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि परिवहन मंत्री की गाडी को रोककर चेक किया गया। हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। पुलिस विभाग के साथ संयुक्त अभियान चला कर संबन्धित को सम्मानपूर्वक यह जानकारी दे दी गयी कि आप इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या लाल बत्ती केवल सरकार द्वारा क्रय की गयी गाडियों पर ही लगायी जा सकती है या प्राइवेट गाडियों पर भी लगायी जा सकती है ?

मान्यवर, यदि किसी मंत्री या अधिकारी द्वारा एक से अधिक वाहनों का प्रयोग समय–समय पर किया जाता है जिसमें उनका निजी वाहन भी शामिल हो सकता है तो क्या उन सभी वाहनों में लाल बत्ती लगाने के लिए वह अधिकारी या मंत्री अधिकृत है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट बात है केवल सरकारी वाहनों में ही वह लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत है। निजी वाहनों पर नहीं।

श्री प्रकाश पंत–

यदि निजी वाहनों में लाल बत्ती का प्रयोग करता है तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

निजी वाहनों से लाल बत्ती उतार ली जायेगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत स्थगित

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण–पत्रों से लाभ अर्जित करने के प्रकरण

*1–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण–पत्रों के माध्यम से मूल निवास प्रमाण–पत्र सहित प्रदेश सरकार में नौकरी पाने व अन्य लाभ अर्जित करने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सन्दर्भ में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? अगर हुई है तो इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई ?

शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, एक शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें देहरादून नगर निगम से जारी जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर पंजीकरण कराया गया था जिसका जन्म प्रमाण–पत्र फर्जी पाया गया उसे दिनांक 7–8–2006 को मु0अ0सं0 274/5 धारा 420/467/468/471 आई0पी0सी0 14 विदेशी अधिनियम व 3 पासपोर्ट एन्ट्री इन इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जिला कारागार देहरादून में निरुद्ध किया गया था, जो दिनांक 1–12–2005 को मुख्य दण्डाधिकारी न्यायालय, देहरादून द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। यह मामला मुख्य दण्डाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह था कि फर्जी मूल निवास प्रमाण–पत्र के माध्यम से कुछ बाहरी लोग लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है जी नहीं। किन्तु अब सदन में कह रहे हैं कि एक मामला प्रकाश में आया है। तो मान्यवर, ऐसे में जिस अधिकारी के द्वारा मूल निवास–पत्र जारी किया गया है और जिसने मूल निवास प्रमाण–पत्र प्राप्त किया उसके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकारी स्तर पर की गई है ?

श्री नव प्रभात–

कार्यवाही का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। मान्यवर, चूँकि उसमें नौकरी के लिए या कोई लाभ अर्जित करने के लिए प्रयास नहीं किया गया था।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मूल विषय तो फर्जी मूल निवास प्रमाण–पत्र का है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ और धारचूला और अन्य स्थानों में भी फर्जी मूल निवास प्रमाण–पत्र का मामला प्रकाश में आया है। क्या सरकार के संज्ञान में इस तरह का प्रकरण है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अन्य कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि किसी माननीय सदस्य की जानकारी में हो, उपलब्ध करायें, सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, आज उत्तरांचल के अन्दर नेपाल तथा देश के बाहरी राज्यों से आकर लोग यहाँ पर मूल निवास प्रमाण–पत्र बनाने की प्रक्रिया और प्रयास कर रहे हैं। सरकार को इस तरह से फर्जी निवास प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री प्रकाश पन्त–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

वर्ष 2005–06 हेतु गन्ना मूल्य निर्धारण नीति

*2–श्री मदन कौशिक–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे वर्ष 2005–06 हेतु गन्ना मूल्य निर्धारण कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो उसकी नीति क्या है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

वर्ष 2004–05 में किसानों का कितना बकाया चीनी मिलों पर शेष है ?

यदि हाँ, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

गन्ना मूल्य निर्धारित करते समय केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सांविधिक गन्ना मूल्य (एस0एम0पी0), कृषक हित, पडोसी राज्यों द्वारा घोषित गन्ना मूल्य, गन्ने की उपलब्धता, चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों के अभिमत को ध्यान में रखा जाता है। पेराई सत्र 2005–06 हेतु गन्ने का मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया गया है–

(क) साधारण प्रजाति हेतु–

रु0 115.00 प्रति कु0 (मिल गेट पर)

(ख) शीघ्र पकने वाली प्रजाति हेतु–

रु0 120.00 प्रति कु0 (मिल गेट पर)

(ग) अनुर्पयुक्त प्रजाति हेतु–

रु0 112.50 प्रति कु0 (मिल गेट पर)

प्रश्न नहीं उठता।

सत्र 2004–05 का किसानों का चीनी मिलों पर कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत भूस्खलन ट्रीटमेन्ट कार्य योजना के बिना ही निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि का ब्योरा

*3–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धक मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत भूस्खनल ट्रीटमेन्ट कार्य योजना का निर्माण किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि बिना कार्य योजना निर्माण किये 30 करोड से अधिक व्यय किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो बिना कार्य योजना के उक्त राशि किन मदों पर व्यय की गयी है?

क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

बिना कार्य योजना के आधार पर धनराशि व्यय नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ट्रीटमेन्ट कार्य कब से प्रारम्भ किया गया और इसकी कार्य योजना की धनराशि कितनी थी और अब तक वह कुल कितनी खर्च हुई ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस परियोजना में 250 करोड़ रु0 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने इसकी लागत 282 करोड़ कर दी थी। मान्यवर, केन्द्र सरकार से हमें 50 करोड़ रु0 प्राप्त हुए हैं और 50 करोड़ रु0 प्राप्त होने का शासनादेश प्राप्त हुआ है। मान्यवर, कुल 37.79 करोड़ रु0 अभी तक हम इस पर व्यय कर चुके हैं। मान्यवर, 64.33 करोड़ की हमने कार्ययोजना स्वीकृत की थी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इस कार्ययोजना पर कार्य कब प्रारम्भ हुआ ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, ट्रीटमेन्ट का कार्य मई, 2004 से प्रारम्भ हुआ, और इसकी कार्ययोजना तकनीकी समिति द्वारा बनायी गयी।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–04 पर काजी निजामुद्दीन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद हरिद्वार में तक खराब नलकूपों की संख्या एवं कार्य न करने के कारण

*4–काजी निजामुद्दीन

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में दिनांक 28–12–2005 तक कितने नलकूप कार्य नहीं कर रहे और इनके कार्य न करने के क्या कारण है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

जनपद हरिद्वार में दिनांक 28–12–2005 को 58 नलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं। 14 नलकूप यांत्रिक दोष, 8 नलकूप विद्युत दोष एवं 10 नलकूप निकास कम व अत्यधिक रेत व बजरी देने के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 26 नलकूप लगने, सी0सी0ए0 कम होने एवं अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर लेने के कारण परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं।

स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

*5—श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्थायी निवास प्रमाण–पत्र निर्माण प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रावधान किया गया है ?

यदि हाँ, तो उत्तरांचल सृजन से पूर्व के निवासी को स्थायी निवासी की मान्यता दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विचाराधीन है।

शासनादेश दिनांक 20–11–2001 द्वारा उत्तरांचल में 15 वर्षों से निवास कर रहे उत्तरांचल निवासियों को स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये विचाराधीन उत्तर दिया गया है, यह कब तक के लिए है ? क्या इसकी कोई समय सीमा है ? दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये 15 साल की बाध्यता है, इसके लिए कौन–कौन से प्रमाण–पत्र चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस व्यवस्था के सरलीकरण के लिए तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, जो कि वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, की अध्यक्षता में दि0 16–06–2005 को बैठक हुई। मान्यवर, इस समिति की 25 जून, 2005 और 7 फरवरी, 2006 को पुनः बैठक हुई। मान्यवर, इसमें 7 फरवरी के बाद 20 फरवरी, 2006 को बैठक हुई। माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि मूल निवास और स्थाई निवास की परिभाषा में अन्तर है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो मूल निवास की परिभाषा है, उसमें चार जनरेशन के रिकार्ड देखना पड़ता है। मान्यवर, बहुत से अर्द्धसैनिक बल और सैनिक बलों को इसमें छूट प्राप्त है। यह उन्हीं को प्राप्त होगा जो यहाँ के मूल निवासी होंगे। मान्यवर, जो बाहर से बसे हैं या दूसरे प्रदेशों से यहाँ आकर बसे हैं, यह डिफाईन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इसमें कमेटी का गठन किया गया है, इसकी कार्यवाही चल रही है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो 15 वर्षों के प्रमाण–पत्र की बात कही गयी है, इसमें कौन–कौन से प्रमाण–पत्र चाहिए ?

मान्यवर, टी0सी0 का मतलब होता है उसका जन्म, पर उस टी0सी0 को भी नहीं माना है, प्रश्न करने का मूल उद्देश्य था कि हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो 25–40 साल से रह रहे हैं, वे किराये के मकान में रह रहे हैं, या फिर सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रकरण में जो स्थाई निवास के नियम हैं वे स्पष्ट हैं, परन्तु 15 वर्ष से निवास कर रहे लोगों को प्रदर्शित करने के लिए कोई आधार ढूँढना पड़ेगा। जहाँ तक प्रक्रिया का प्रश्न है तो हर स्तर पर चाहे लेखपाल, तहसीलदार, एस0डी0एम0

जिलाधिकारी स्तर का हो एक समयबद्ध कार्यक्रम किया, जैसे उदाहरण के लिए जब लेखपाल को प्रमाण–पत्र दिया जायेगा तो एक सप्ताह में आख्या देनी होगी, तहसीलदार–जिलाधिकारी स्तर पर अन्तिम निर्णय किया जायेगा, उप जिलाधिकारी दो दिन के अन्दर निर्णय लेंगे। मान्यवर, इस किस्म के आदेश किये जा चुके हैं, अब भी कठिनाई हो रही है उस पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर और जनपद हरिद्वार में मूल स्थाई पत्र निर्गत किये जा रहे हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, निर्गत किये जा रहे हैं और जिन कठिनाईयों को माननीय सदस्यों ने उजागर किया वे सामने् आई हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मूल निवास के लिए कोई शासनादेश नहीं है, तो क्या सरकार वहाँ के निवासी को मूल निवासी नहीं मानती है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 20 नवम्बर, 2001 को एक शासनादेश जारी किया गया है, उसमें किसी भी जनपद को हटाया नहीं गया है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल में अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं, जिनके पास कोई भी प्रमाण–पत्र नहीं है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या आप ऐसे परिवारों को लिए कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो समिति बनाई है उसमें विचार करेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण–पत्र हैं उनसे स्थाई मूल निवास पत्र माँगने की छूट देंगे ? क्योंकि जो कई वर्षों से रह रहे हैं उनसे मूल निवास प्रमाण–पत्र माँग रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था करें कि जिनके पास पहले से प्रमाण–पत्र हैं उनसे दोबारा न माँगा जाये, क्योंकि हमारी जनता को परेशानी हो रही है, इसमें व्यवस्था करें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मूल निवास प्रमाण–पत्र और स्थाई निवास प्रमाण–पत्र अलग–अलग चीजें हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया है तो हम निश्चित रूप से इस पर कार्य करेंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो मूल निवासी हैं उनको परेशानी हो रही है, लेकिन जो फर्जी प्रमाण–पत्र बना रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार ठोस नीति बना रही है ? मान्यवर, मैंने स्वयं देखा कि मेडिकल में उत्तर प्रदेश के दो अभ्यर्थी उत्तरांचल में कार्य कर रहे हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मूल निवास प्रमाण–पत्र की जो व्यवस्था है वह पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के समय से है, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है या किसी सदस्य को ऐसी जानकारी है तो इसकी जानकारी दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हमने इसकी खुद जाँच करायी, इन्होंने दो कालेजों में इसके आधार पर दाखिला लिया है। एक तो मोती लाल नेहरू कालेज इलाहाबाद में और दूसरा किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में। क्या आपने इसके लिए कोई ठोस नीति बनायी है?

प्रदेश में बन्द पड़ी नहरों की संख्या तथा उन्हें पुनः चालू कराया जाना

*6–बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी नहरें हैं जो पूर्ण रूप से बन्द पड़ी हैं ?

क्या सरकार इन नहरों को पुनः चालू करायेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

प्रदेश में सिंचाई विभाग उत्तरांचल के नियंत्रणाधीन 2258 नहरों में से कुल 291 नहरें बन्द पड़ी हैं।

प्रथम प्राथमिकता पर 141 नहरों को पुनः चालू करना प्रस्तावित है तथा शेष 150 अतिक्षतिग्रस्त नहरों का पुनः सम्भाव्यता परीक्षण कराकर प्राथमिकता के अनुसार कालान्तर में धन की उपलब्धता के अनुसार चालू करने पर विचार किया जायेगा।

प्रथम प्राथमिकता के 45 क्षतिग्रस्त नहरों पर जिला योजना, नाबार्ड एवं सामान्य रख रखाव मद से धन की व्यवस्था करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया गया है जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जायेगा तथा 96 नहरों के सम्बन्ध में आगामी वर्षों के दौरान धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा। शेष 150 अति क्षतिग्रस्त नहरों के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में आंशिक रूप से कितनी नहरें चल रही हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि 150 क्षतिग्रस्त नहरें हैं उन्हें पुनः सम्भवतया परीक्षण कराकर प्राथमिकता के अनुसार कालान्तरण में धन की उपलब्धता के अनुसार चालू करने पर विचार किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक परीक्षण किया जायेगा ? क्या आंशिक रूप से नहरें चल रही हैं यदि चल रही हैं तो कहाँ–कहाँ चल रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, 150 नहरों के बारे में परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। मान्यवर, देहरादून में 14 नहरें हैं, उत्तरकाशी में 29 नहरें, रूद्रप्रयाग में 5 नहरें, चमोली में 15 नहरें, अल्मोड़ा में 14 नहरें, बागेश्वर में 4, पिथौरागढ में 14 नहरें, चम्पावत में 26 नहरें, नैनीताल में 11 नहरें और ऊधमसिंह नगर में एक नहर है। ये नहरें दैवी आपदा या सड़क निर्माण होता है तो उसके कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कहीं पर यह नहरें स्रोत में पानी की कमी के कारण बन्द पड़ी है। मान्यवर, जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर हम काम नहीं करा सकते हैं उसके बाद जो परित्यक्त योग्य नहरें हैं उन्हें परित्यक्त करा दिया जायेगा और जहाँ पर काम करा सकते हैं उसमें काम करायेंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आंशिक रूप से ये नहरें चल रही है या नहीं ? चल रही हैं तो कितनी चल रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आंशिक रूप से प्रदेश में नहीं चल रही है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, दैवी आपदा का पैसा जो नहरें क्षतिग्रस्त हो जाती है, उन पर खर्च किया जाता है। एक किलोमीटर सिल्ट निकालने पर कितना पैसा खर्च होता है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, दैवी आपदा का पैसा सिंचाई विभाग में खर्च नहीं किया जाता है। नाबार्ड से ऋण लेते हैं, जिला योजना से हम इसको बनाते हैं, वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत इन नहरों का काम कराया जाता है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, एक किलोमीटर सिल्ट में कितना खर्च होता है ?

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, सिल्ट का पैसा नहीं दिया जाता है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, पैसा मिलता है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, पर्वतीय नहरों में सिल्ट का पैसा नहीं दिया जाता है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आंशिक रूप में कितनी नहरें चल रही है यह मैंने पूछा था।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आपने पूर्ण रूप से बन्द पड़ी नहरों के बारे में पूछा था। इसकी जानकारी दे दी गयी है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, एक किलोमीटर में सिल्ट सफाई के क्या मानक है ?

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वह टूट गयी है जिससे काफी नुकसान हो रहा है। इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, यह नहर उत्तर प्रदेश में है। और अभी उत्तर प्रदेश से नहरों का स्थानान्तरण नहीं हुआ है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, वहाँ नहर टूट गयी है।

वर्ष 2005–06 की वार्षिक योजना में 31–1–06 तक अवमुक्त की गई राशि एवं उपयोग

*7–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005–06 में वार्षिक योजना की कितनी धनराशि 31 जनवरी, 2006 तक अवमुक्त की गई तथा उसके विरुद्ध कितनी धनराशि उपयोग में ली जा चुकी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक वार्षिक योजना की धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में 2700 करोड़ का परिव्यय तथा रु0 4166.29 करोड़ का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष 31 जनवरी, 2006 तक रु0 2601.24 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति तथा रु0 1501.90 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

वार्षिक योजना की धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जाना भारत सरकार से धन की अवमुक्ति पर निर्भर करेगा।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2700 करोड़ का परिव्यय तथा रु0 4166.29 करोड़ का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष 31 जनवरी, 2006 तक रु0 2601.24 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति तथा रु0 1501.90 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि वह इस वित्तीय वर्ष में जो हमारे बजट का प्रविधान रखा गया है इसका इम्प्लीमेन्ट सुनिश्चित करें। आगे उन्होंने कहा है कि वार्षिक योजना की धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जाना भारत सरकार से धन की अवमुक्ति पर निर्भर करेगा। मान्यवर, यह धनराशि समय से प्रदेश सरकार के पास आये और इसका सदुपयोग हो सके इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 28 फरवरी की स्थिति से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ। 28 फरवरी, 2006 को रु0 2869 करोड़ का बजट था जिसके सापेक्ष रु0 1502 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। जो हमारा अनुमान आज की तारीख तक है वह 3 हजार करोड़ की स्वीकृति और 2400 करोड़ के व्यय का है। जहाँ तक केन्द्र सरकार की परियोजनाओं का प्रश्न है तो केन्द्र सरकार ने अपनी 3 परियोजनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं, केन्द्र सरकार ने भारत निर्माण योजना, एन0यू0आर0एम0, नेशनल हेल्थ मिशन की घोषणा की है। इसके प्रस्ताव हमने भेज दिये हैं। हमारा प्रयास और अनुमान है कि यह प्रस्ताव हमारे परिव्ययों पर हों। हालांकि इन योजनाओं को रिआर्गेनाइजेशन किया गया जिससे कुछ देर हो गई।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, जो हमारा राज्य योजना आयोग है, क्या उसके द्वारा भी यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि जो हमारा पैसा है वह लैप्स होने वाला है ?

(व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जी नहीं।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, जो पैसा इस वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं किया गया है क्या उसे अगले वर्ष में लिया जायेगा, क्या वह पैसा लैप्स हो जायेगा ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वह पैसा लैप्स हो जायेगा और अगले बजट में उसके लिए प्रावधान किया जा सकता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में अवगत कराया है और माननीय मंत्री जी ने जो आकड़े यहाँ पर दिये। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि "वर्तमान वित्तीय

वर्ष 2005–06 में 2700 करोड़ का परिव्यय तथा 4166.29 करोड़ का बजट प्राविधान है'' यह आपने केन्द्र सरकार से लिया है। राज्य सरकार ने 2601.24 करोड़ की स्वीकृतियां इसके विपरीत जारी कर दी हैं और इसके सापेक्ष जो धनराशि व्यय हो चुकी है 31 जनवरी, 2006 तक वह 1501.90 करोड़ की है। तो जो आपकी प्रगति है स्वीकृतियां जारी करने की, वह बहुत धीमी है और स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय करने की प्रगति और धीमी है। राज्य सरकार ने स्वीकृतियों के जो आंकड़े दिये हैं। मैं इसे 2700 करोड़ ही मान रहा हूँ। जो आपका बजट प्राविधान है 4166.29 के सापेक्ष परिव्यय मात्र 2700 करोड़ है और 2601 करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दी है। इसमें जो आपने आगे लिखा है कि उसके हिसाब से परिव्यय में से 1501.90 करोड़ रुपया ही व्यय हुआ जो बहुत ही कम है, आपने कहा कि ''वार्षिक योजना की धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जाना भारत सरकार से धन की अवमुक्ति पर निर्भर करेगा''। तो मान्यवर, इसे आप भारत सरकार पर मत डालिये। पहले जो यह बजट की स्वीकृतियां जारी की है और आज 27 मार्च है और 27 मार्च से 31 मार्च तक ही आप स्वीकृतियां दे सकते हैं और वह धन जो अवशेष है, परिव्यय है, उसका उपयोग क्या होगा ? उत्तर प्रदेश में भी हम इस बात को उठाते रहे हैं। 31 मार्च तक सारी स्वीकृतियां जारी हो रही हैं और विभाग इनका उपयोग कैसे करते हैं यह आपके भी संज्ञान में होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि धनराशि जो आपकी स्वीकृतियां हैं और परिव्यय का अनुपात जो बहुत कम है। उसका उपयोग कैसे होगा ? मार्च के अन्तिम सप्ताह में जो स्वीकृतियां सरकार जारी करेगी, उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो धन आवंटित किया जाएगा, उसका उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से दिशा निर्देश जारी किए जायेंगे। 2700 करोड़ रुपये के एवज में 2600 करोड़ रुपये का उपयोग हम अवश्य कर पाएंगे। मान्यवर, इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ए0जी0 हमको जो फाइनल फीगर देता है, वही हमारे लिए फाइनल होता है, इन आंकड़ों को वहाँ तक संशोधित समझा जाए। हमारा जो पिछले 2–3 सालों का अनुभव है, उसको बताना चाहता हूँ। मान्यवर, वर्ष 2001–02 में 1050 करोड़ रुपये के रु0 1060 करोड़ वर्ष, 2002–03 में रु0 1534 करोड़ के एवज में रु0 1449 करोड़, वर्ष 2003–04 में रु0 1607 करोड़ के एवज में रु0 1678 करोड़ तथा वर्ष 2004–05 में रु0 1865 करोड़ के एवज में रु0 1917 करोड़ खर्च किया गया। इस वर्ष 2700 करोड़ रुपये का प्लान है। यह हमारी भी चिन्ता है कि सरकार की परिलब्धियां बढ़ रही हैं। अगला वर्ष और भी चिन्ता का वर्ष होगा।

जनपद हरिद्वार में निजी चीनी मिलों द्वारा अनधिकृत क्षेत्रों से गन्ना क्रय के विरुद्ध कार्यवाही

*8–श्री हरबंस कपूर–

क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में कुछ निजी चीनी मिलें अपने अधिकृत गन्ना क्रय क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी गन्ना क्रय कर रही हैं ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी अनधिकृत गन्ना क्रय करने वाली मिलों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि निजी चीनी मिलों द्वारा अनधिकृत क्रय किये जाने से सरकारी मिलें प्रभावित हो रही हैं ?

यदि हाँ तो क्या सरकार, सरकारी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद हरिद्वार की चीनी मिलें अपने अधिकृत क्रय केन्द्रों से गन्ना क्रय कर रही है। बाहरी राज्यों से भी गन्ना क्रय करने के लिए चीनी मिलों को अधिकृत किया गया है।

यदि कोई प्रमाणित सूचना प्राप्त होती है तो अवश्य कार्यवाही करेंगे।

शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 एवं गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जनपद हरिद्वार में कोई सरकारी चीनी मिल नहीं है। अन्य जनपदों की सरकारी चीनी मिलों को गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के दृष्टिगत समुचित मात्रा में गन्ना उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गढ़वाल मण्डल में एक मात्र सरकारी चीनी मिल, डोईवाला चीनी मिल है। कुछ वर्ष पूर्व उसका उच्चीकरण भी हुआ था, उसकी पेराई क्षमता बढ़ाई गयी थी। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उच्चीकरण करने से पूर्व डोईवाला चीनी मिल की पेराई क्षमता कितनी थी और उच्चीकरण करने के बाद उसकी पेराई क्षमता कितनी हो गयी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसमें डोईवाला चीनी मिल का कहीं उल्लेख नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मूल प्रश्न का खण्ड–5 सरकारी चीनी मिलों से सम्बन्धित है।

गन्ना राज्य मंत्री (श्री साधू राम)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ऐसे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। डोईवाला चीनी मिल की पेराई क्षमता उच्चीकरण के बाद 25 हजार टन हो गयी है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं यह जानना चाह रहा था कि डोईवाला चीनी मिल जो राजकीय सेक्टर में चल रही है, पूर्व में उसकी पेराई क्षमता क्या थी और वर्तमान में क्या है ?

मान्यवर, वर्तमान में पेराई क्षमता क्या है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि पिछले पाँच वर्षों में डोईवाला शुगर मिल द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी पेराई की गई है ?

श्री साधू राम–

मान्यवर, मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया वे पुनः प्रश्न पूछें। (हँसी)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, बड़ी अजीब स्थिति है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रश्न काल को मजाक बनाया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

श्री साधू राम–

मान्यवर, वर्ष 2002–03 में 25.6 लाख कुन्तल, वर्ष 2003–04 में 29.6 लाख कुन्तल, वर्ष 2004–05 में 26.00 लाख कुन्तल और इस वर्ष 26.07 लाख कुन्तल पेराई की गई है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, वर्तमान में कितनी पेराई हुई है ? मान्यवर, उच्चीकृत होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष कितनी पेराई हुई है ? मान्यवर, पूर्व में चीनी की कीमतें कम थी तो निजी शुगर मिलें गन्ने को उठाने में उदासीनता दिखा रही थी परन्तु आज जब गन्ने की कीमतें बढ़ गई है तो अनधिकृत रूप से, जो गन्ना आवंटित होना चाहिए था वह डोईवाला शुगर मिल को नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट मिलें अनधिकृत रूप से गन्ना प्राप्त कर ले रही हैं। तो क्या सरकार जो प्राइवेट शुगर मिलें अनधिकृत रूप से गन्ना उठा रही हैं उसे रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री साधू राम–

मान्यवर, वर्तमान वर्ष में 26.07 लाख कुन्तल पेराई की गई है। मान्यवर, माननीय सदस्य की जो शिकायत है, वह प्रमाणिक नहीं है। चूँकि प्रत्येक मिल को पूरा–पूरा गन्ना दिया जा रहा है। इसमें किस मिल को कितना गन्ना चाहिए इसका रिजर्वेशन पहले ही हो जाता है। प्रत्येक मिल के लिए गन्ने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही उसका रिजर्वेशन किया जाता है। मान्यवर, डोईवाला मिल का भी रिजर्वेशन है। मान्यवर, पिछले दस वर्षों में 30 लाख टन से अधिक पेराई नहीं हुई है।

चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार अनधिकृत रूप से गन्ना खरीद रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? जो अनधिकृत रूप से गन्ना खरीदा जा रहा है उससे वहाँ के काश्तकारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

मान्यवर, 150 रु0 रेट पर बाहर का गन्ना लिया जाता है, जबकि वहाँ के काश्तकारों का गन्ना 130 रु0 रेट पर लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो चीनी, शीरा पर जो लाभ होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है?

श्री साधू राम–

मान्यवर, जो बाहर के प्रदेशों से हरियाणा, उत्तर पदेश आदि प्रदेशों से खरीदा जा रहा है, यह एक प्राविधान के तहत ही खरीदा जा रहा है।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, इकबालपुर में हर 10 किलोमीटर पर गन्ना खरीदा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री साधू राम–

मान्यवर, प्रमाणिक जानकारी दे दें, इसकी जानकारी की जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो बात रखते हैं उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य सरकार के संज्ञान में लाये हैं, इस पर जाँच करायेंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि डोईवाला शुगर मिल की पेराई क्षमता कितनी है ? इसकी क्षमता के अनुरूप क्या पेराई हो रही है ? यदि नहीं तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ? मान्यवर, मेरे जानकारी में बात आयी है कि जो किराया पाँवटा साहेब से डोईवाला गन्ना लाने वाले किसानों को पड़ता है, वही किराया डोईवाला के आस–पास लगभग 07 किलोमीटर की परिधि में आने वाले किसानों को भी देना पड़ता है।

श्री साधू राम–

मान्यवर, इसकी क्षमता 2530 प्रतिदिन है। मान्यवर, जो बात आपने पाँवटा साहेब और आस–पास के किसानों के बारे में बतायी, यह बात सही है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, क्या यह आस–पास के किसानों के साथ अन्याय नहीं है?

श्री साधू राम–

मान्यवर, बराबर किराया लेना भारत सरकार की पॉलिसी है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, सरकार द्वारा घोषित गन्ना क्रय मूल्य से यदि कोई मिल उससे अधिक मूल्य पर गन्ना लेती है, तो क्या यह शुगर केन कन्ट्रोल 1996 का उल्लंघन नहीं है ? मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया है कि निजी रेट पर गन्ना खरीद रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, विभाग के अधिकारी जो यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान या किसी भी मद में हमारे माननीय मंत्रीगणों की सहायता के लिए रहते हैं यह सही है और उसके लिए प्राविधान है कि जो हमारी सरकारी गैलरी है वह हमारी विधान सभा का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर कोई भी सूचना उसके अनुसेवक या गार्डों के माध्यम से आती है, पर मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे अधिकारी गैलरी से सीधे–सीधे आते हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आगे से इसका ध्यान रखेंगे।

श्री साधू राम–

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न नहीं है।

श्री साधू राम–

मान्यवर, कोई जानकारी हो तो बता दें।

उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत के भूस्खलन से प्रभावितों को राहत राशि का भुगतान

*9–श्री अजय भट्ट–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जिले के वरूणावत पर्वत से भूस्खलन किस वर्ष प्रारम्भ हुआ है ?

इसमें क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण सम्पत्ति (मकान, दुकान, होटलों) के एवज में इसके मालिकों को आज तक कितनी–कितनी धनराशि राहत राशि के बतौर दी गयी है ? उसका पृथक्–पृथक् विवरण क्या है ? यदि आज तक राहत राशि नहीं दी गयी है तो उसका क्या कारण है तथा कब तक सरकार सभी प्रभावितों को उनकी सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई हेतु राहत राशि बाँट देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वरूणावत पर्वत भूस्खलन दिनांक 24 सितम्बर, 2003 से प्रारम्भ हुआ है।

भूस्खलन से क्षतिग्रस्त आवासीय/व्यावसायिक भवनों का मूल्यांकन तकनीकी टीमों द्वारा किया जा चुका है। क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों हेतु 57 भवन स्वामियों के लिए रु0 3.86 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। राहत सहायता वितरण करने हेतु निर्धारित औपचारिकतायें प्रभावित भू/भवन स्वामियों से पूर्ण करायी जा रही है। अभी तक 10 प्रभावित भवन स्वामियों को रु0 13.22 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है। शेष प्रभावित भवन स्वामियों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् शीघ्र राहत सहायता भवन स्वामियों को वितरित कर दी जायेगी।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, वरूणावत पर्वत का मामला गम्भीर है, जिसको तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और आज तक वहाँ के विस्थापितों को पैसा नहीं गया है और विभाग की सहायता नहीं दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कुल कितनी धनराशि आज तक केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है और इसके सापेक्ष आज तक कितना और किस मद में खर्च हुआ है और क्या—क्या कार्य आज तक सरकार द्वारा उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत से प्रभावित लोगों के लिए किये गये हैं ? क्या सरकार ने विस्थापितों को अन्यत्र बसाने के लिए कोई योजना बनाई है ?

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह प्रश्न वास्तव में राहत की राशि से सम्बन्धित नहीं है, पूरी योजना से सम्बन्धित है। चूँकि दूसरा प्रश्न था मैं उसकी जानकारी दे चुका हूँ। मान्यवर, पहले यह 250 करोड़ था फिर टास्क फोर्स ने 282 करोड़ किया और हमें 50 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ और 50 करोड़ इस वर्ष प्राप्त होने की सम्भावना है। मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं योजनावार विवरण बता देता हूँ। मान्यवर, हिल स्लोप स्टैबिलाइजेशन (टी0एच0डी0सी0) में दो वर्ष में 85 करोड़ का कार्य किया जाना है, ऐडीशनल वर्क्स एण्ड मेन्टीनेन्स के लिए 45 करोड़ 25 लाख है, कन्टीजेन्ट रिक्वायरमेन्ट्स के लिए एक करोड़ डी0एम0 के पास अलग से रखा गया है। रामलीला मैदान, मस्जिद मौहल्ला/हॉर्टीकल्चर कॉलोनी में मलबा हटाने के लिए तीन करोड़ उन्नीस लाख है, वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए दस करोड़ की स्वीकृति कर दी गई है, री—लोकेशन एण्ड स्टेबलिशमेन्ट ऑफ गवर्नमेन्ट ऑफिसेस के टेण्डर कर दिये गये हैं, रिहेबिलेटेशन/रिलोकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए 3.48 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये गये हैं।

मान्यवर, 384 परिवार हैं और 12 करोड़ रुपये स्वीकार कर दिया गया है। नत्था के लोगों का रिहेबिलेटेशन किया जाना चाहिए, पुरोला का भी इसमें प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नोट : तारांकित प्रश्न सं0 8 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश बनने से पहले व वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

*10–श्री काशी सिंह ऐरी

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 लघु जल विद्युत निगम द्वारा उत्तरांचल क्षेत्र में कुल कितनी लघु जल विद्युत परियोजनायें निर्मित एवं चालित की गई थी ?

और उनमें कुल ऊर्जा उत्पादन कितना था ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उत्तरांचल बनने के बाद जल विद्युत निगम ने कितनी लघु/मध्यम जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया है ?

और उनका कुल विद्युत उत्पादन कितना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अविभाजित उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम द्वारा उत्तरांचल क्षेत्र में कुल 40 परियोजनायें निर्मित/निर्माणाधीन/विकासाधीन की गई थी जिनमें 13 परियोजनायें उत्तरांचल गठन से पूर्व उत्पादन अवस्था में थी।

वर्ष 2000–01 में इनमें कुल विद्युत उत्पादन 25.6484 मिलियन यूनिट था।

राज्य गठन के पश्चात् 04 निर्माणाधीन परियोजनायें तथा 03 बन्द परियोजनायें ऊर्जीकृत की गई है।

जनवरी, 2006 तक इनसे कुल विद्युत उत्पादन 40.4343 मिलियन यूनिट रहा।

*11–श्री गोपाल सिंह राणा–

उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट झील निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण

1–श्री प्रकाश पन्त–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट झील निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है ?

यदि हाँ तो कब तक ?

क्या सरकार थरकोट झील निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि वित्तीय वर्ष 2005–2006 में अवमुक्त करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

जनपद पिथौरागढ़ के थरकोट झील निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा इस शर्त पर प्रदान की गयी है कि जिलाधिकारी द्वारा वन भूमि का मूल्य बाजार दर पर निर्धारित किया जायेगा तथा मूल्य भुगतान के बाद वन भूमि हस्तान्तरण की जायेगी। भूमि का मूल्य 12.00 लाख आंकलित किया गया है, धनराशि जिलाधिकारी से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्नगत योजना हेतु सिंचाई विभाग द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं की जानी है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास हेतु पैकेज

2—श्री प्रकाश पन्त—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने उद्योग रूग्ण इकाईयों के रूप में चिह्नित किये गये हैं ?

क्या सरकार इन इकाईयों के पुनर्वास हेतु कोई पैकेज दिये जाने पर विचार करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जनपद पिथौरागढ़ की 3 लघु औद्योगिक इकाईयों को रूग्ण इकाईयों के रूप में चिन्हित किया गया है।

रूग्ण इकाई के रूप में चिन्हित मै0 राज इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक आस्थान, विण को पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत बैंक ऋण एवं विद्युत संयोजन की स्वीकृति दी जा चुकी थी किन्तु इकाई के स्वामी के एक मात्र पुत्र की असामायिक मृत्यु के कारण इकाई के स्वामी ने इकाई चलाने में कोई रूचि नहीं ली। उक्त के अतिरिक्त मै0 हिमालयन फुटवियर इण्डस्ट्रीज एवं मै0 मोती पॉलीमर्स इण्डस्ट्रीज को वर्ष 1994 में रूग्ण घोषित करते हुए पुनर्वासन पैकेज उपलब्ध कराया गया था, किन्तु इकाईयों द्वारा पैकेज का सदुपयोग न किये जाने के कारण इकाईयां बन्द हो गयी। उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा दोनों इकाईयों को धारा 29 के अन्तर्गत अधिग्रहित कर मै0 हिमालयन फुटवियर इण्डस्ट्रीज को नीलाम कर दिया गया है तथा मोती पॉलीमर्स इण्डस्ट्रीज द्वारा वित्त निगम से एक मुश्त समाधान योजनान्तर्गत समझौता कर अपनी इकाई को पुनः चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में लगे उद्योगों में प्रदेश के युवकों को रोजगार हेतु नीति

3—श्री मदन कौशिक, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल एवं अजय भट्ट—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में लग रहे उद्योगों में प्रदेश के युवकों को रोजगार हेतु कोई नीति बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ? इस नीति के अन्तर्गत अभी तक कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ। प्रदेश के उद्योगों में प्रदेश के युवकों को 70 प्रतिशत रोजगार दिये जाने से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 25–10–2005 को निर्गत किया जा चुका है।

विशेष पैकेज के अन्तर्गत जनपद देहरादून हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में स्थापित होकर उत्पादन शुरू करने वाले 260 उद्योगों में 14172 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

उत्तरांचल में बिजली दुर्घटना रोकने हेतु नीति एवं विद्युत विभाग द्वारा वितरित मुआवजा

4–श्री मदन कौशिक–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में बिजली दुर्घटना में होने वाली मौतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है ?

यदि हाँ, तो दुर्घटना रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति बनायी गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन दुर्घटनाओं के कारण वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कितना मुआवजा विद्युत विभाग को देना पड़ा ?

श्रीमती अमृता रावत–

बिजली दुर्घटना में होने वाले मौतों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है परन्तु विद्युत नेटवर्क में वृद्धि के सापेक्ष यह वृद्धि विशेष नहीं है।

सरकार द्वारा दुर्घटना रोकने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :–

1. विभिन्न माध्यमों से विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी व्यापक प्रचार–प्रसार।

2. पुराने ओ0सी0बी0 को बदलना।

3. स्टे इन्सुलेटर लगाना।

4. विभागीय कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों को अपनाने हेतु प्रशिक्षण।

वर्ष 2004–05 में रु0 1,09,000.00 तथा वर्ष 2005–06 में रु0 1,55,000.00 मुआवजा दिया गया है।

जनपद टिहरी व उत्तरकाशी में भूमि पैमाइश प्रक्रिया

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी की भूमि वर्ष 1964 में पैमाइश की गयी थी ?

यदि हाँ, तो यह सत्य है कि 40 वर्ष में या 40 वर्ष के उपरान्त भूमि पैमाइश की जानी आवश्यक है ?

यदि हाँ, तो टिहरी–उत्तरकाशी में भूमि पैमाइश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है?

यदि नहीं तो क्यो ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये अंगरक्षकों की संख्या तथा इसकी नीति

6–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को अंगरक्षक (गनर) उपलब्ध कराये गये हैं ?

गनर मुहैया कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल राज्य से अब तक कुल 288 व्यक्तियों को अंगरक्षक (गनर) उपलब्ध कराये गये हैं।

दिनांक 11 जनवरी, 2001 में शासनादेश जारी किया गया है।

7–श्री मदन कौशिक–

दि0 24–3–06 को अतारांकित 50 द्वारा उत्तरित।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 धौलादेवी के राजस्व ग्राम बड़सीमा का विद्युतीकरण

8–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी अन्तर्गत ग्राम सभा मलाड़ी के राजस्व ग्राम बड़सीमा में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त ग्राम में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

जून, 2007 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

9—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—

दि0 24—3—06 को अता0 51 द्वारा उत्तरित।

देहरादून के अजबपुर कला में टिहरी बाँध विस्थापितों की कालोनी में सड़कों का डामरीकरण

10—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी पुनर्वास क्षेत्र टिहरी बाँध कालोनी अजबपुर कला, देहरादून में टिहरी बाँध विस्थापितों के द्वारा कालोनी में पक्की सड़क निर्माण की माँग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त कालोनी की सड़कों का डामरीकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 103/11—2004—12/1(28)/04 दिनांक 31—01—2005 के अनुसार पुनर्वास स्थल के मार्गों का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग को किया जाना प्रस्तावित है जिस पर कार्यवाही गतिमान है। अतः अब डामरीकरण का कार्य हस्तान्तरण उपरान्त सम्बन्धित विभाग से ही सम्पन्न कराया जाना न्यायोचित होगा क्योंकि पुनर्वास निदेशालय को टी0एच0डी0सी0 द्वारा निर्मित जन सुविधाओं के रख रखाव हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सरकारी अर्द्धसरकारी संस्थाओं में आरक्षण कोटे को पूर्ण करने की योजना

11—श्री मदन कौशिक—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं में आरक्षण कोटे को पूर्ण किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे को पूर्ण करने के लिए यद्यपि कोई योजना नहीं बनायी गयी है परन्तु आरक्षण कोटा पूर्ण करने के लिए सीधी भर्ती के पदों हेतु शासनादेश संख्या 1454/कार्मिक—2/2001 दिनांक 31 अगस्त, 2001 तथा पदोन्नति हेतु शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक—2001 दिनांक 31 अगस्त,

2001 पृथक्–पृथक् रोस्टर निर्धारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के बैकलॉग को भरे जाने हेतु शासनादेश संख्या 1168/कार्मिक–2/2003 दिनांक 14–08–2003 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को विशेष अभियान चलाकर भरे जाने हेतु शासनादेश संख्या 173/एम0एम0/XXX(2)/2004 दिनांक 16–06–2004 एवं शासनादेश संख्या 87/XXX(2)/2006, दिनांक 21 जनवरी, 2006 द्वारा रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के वि0ख0 भीमताल की ग्राम पंचायत अनिया के तोक अना में गौला नदी के कटाव से सुरक्षा की माँग

12–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अनिया के तोक अना में गौला नदी से लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीणों के सम्मुख रोजी–रोटी व जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तोक को अन्यत्र बसाने या कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

भू–कटाव रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षा की योजना तैयार की जा रही है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्याली–सौड़ के ग्राम मरगाँव में स्नानघाट का पुनर्निर्माण

13–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्याली–सौड़ के ग्राम मरगाँव (गमरी) में स्नानघाट पुनर्निर्माण लागत 1.54 लाख का प्राक्कलन आपदा प्रबन्धन मद में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रांक मेमो/तेरह–20 (04–05), दिनांक 29 मार्च, 2003 स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है ?

यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों यथा-यातायात से सम्बन्धित अवसंरचना, प्राथमिक विद्यालय, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पेयजल योजनाओं के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि अनुमन्य है। स्नानघाट के पुनर्निर्माण हेतु अनुमन्य नहीं है, जिस कारण आपदा राहत कोष से ग्राम मरगाँव (ममरी) के स्नानघाट का पुनर्निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

भागीरथी नदी पर गंगोत्री से देवप्रयाग तक रन ऑफ रिवर परियोजनाएं बनने से उत्पन्न प्रभावों के निराकरण के उपाय

14-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भागीरथी नदी पर रन ऑफ रिवर विद्युत परियोजना की स्वीकृति से कुल कितने कि०मी० भागीरथी नदी सुरंग में जायेगी?

तथा इससे पारिस्थितिकीय दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भागीरथी नदी पर गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक रन ऑफ रिवर परियोजनाओं से विस्थापन, भूगर्भीय संवेदनशीलता व पर्यावरण खतरे से बचने, संसाधनों के छिनने आदि पर सरकार द्वारा क्या उपाय खोजे गये हैं?

तथा क्या पर्यावरण प्रबन्ध योजना बनायी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत-

लगभग 71 कि०मी० सुरंग बनेगी, यद्यपि अभी सभी परियोजनाओं की डी०पी०आर० नहीं बनी हैं जिससे वास्तविक आँकड़े नहीं दिये जा सकते हैं।

पर्यावरण/पारिस्थितिकीय दृष्टि से नदी में न्यूनतम आवश्यक पानी छोड़ने की व्यवस्था होने से सुरंग बनने पर भी दुष्प्रभाव नहीं होगा।

सभी सम्भव उपाय उपलब्ध हैं, जिस हेतु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति/शर्तें तथा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति, 2003 की व्यवस्था है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट बनाई गई है जबकि प्रस्तावित परियोजनाओं की योजना सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा यथासमय तैयार की जाती है। प्रत्येक परियोजना हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन के आधार पर पर्यावरण अनुमति के अनुसार ही परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के बीर भट्टी में बलियानाले में बहे मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता

15-श्री नारायण सिंह जन्तवाल-

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल में बीर भट्टी के पास सितम्बर, 2005 में बलियानाले के तीव्र बहाव से तीन महिलाओं की मृत्यु हो गयी थी ?

क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई थी जिसकी सूचना जिला अधिकारी, नैनीताल द्वारा मृतक परिवारों को दी गई थी ? यदि हाँ, तो क्या पीड़ित परिवारो को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

मृतक परिवारों को राहत सहायता दिये जाने हेतु किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रत्येक मृतक परिवार को रु0 50–50 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

जनपद हरिद्वार के ब्लॉक नारसन में विद्युत उपभोक्ताओं हेतु लम्बे केबिलों के स्थान पर विद्युत खम्बों की माँग

16–काजी निजामुद्दीन–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ब्लॉक नारसन में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा चालीस मीटर लम्बे केबिल का प्रयोग विद्युत आपूर्ति हेतु किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लॉग केबिल के स्थान पर विद्युत खम्बे लगवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

ऐसे 108 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

उत्तरकाशी में वरूणावत भूस्खलन से निकले मलबे का उचित निस्तारण

17–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत भूस्खलन से निकले हजारों घन मीटर मलबे को ज्ञानसू के समीप भागीरथी नदी के किनारे खाली पड़ी जमीन व बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में डाला जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि मनेरी बाँध परियोजना के जोशीयाड़ा स्थित बैराज से मात्र 70 मीटर दूर डाले जा रहे मलबे को परियोजना के अभियन्ता बाँध के लिए खतरा मान रहे हैं ? यदि हाँ, तो मलवा डम्पिंग कार्य बन्द कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वरूणावत भूस्खलन से निकले मलबे को मनेरी भाली स्टेज–2 के बैराज के अपस्ट्रीम लगभग 800 मी0 ऊपर की ओर भागीरथी नदी के ऊपर ज्ञानसू व पाडुली गधेरे के निकट डाला जा रहा था। वर्तमान समय उक्त स्थल पर मलबे का डम्पिंग कार्य नहीं किया जा रहा है। मलबे से बाँध के लिए कोई खतरा नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी में पिलंग नदी में आई बाढ़ से प्रभावितों को प्रदान सहायता का विवरण

18—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के पिलंग नदी में जुलाई, 2005 के प्रथम सप्ताह में आयी बाढ़ से पिलंग, जौड़ाऊ, सिल्ला आदि गाँवों के काश्तकारों की कुल कितनी कृषि भूमि बाढ़ में बह गयी है तथा सरकार द्वारा पीड़ितों को अब तक किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी गयी ? क्या सरकार उन काश्तकारों को भूमि उपलब्ध करायेगी जिनकी कृषि भूमि बाढ़ में बह गयी थी ? यदि हाँ, तो कब तक और कितनी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

तहसील भटवाड़ी के अन्तर्गत दिनांक 5–7–2005 को पिलंग गाड़ में आयी बाढ़ से काश्तकारों की 1.045 हे0 भूमि बह गयी तथा 21.392 हे0 भूमि पर खड़ी आलू, राजमा एवं धान की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने के फलस्वरूप प्रभावितों में राहत सहायता वितरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त 07 भवन पूर्ण रूप से तथा 05 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित परिवारों को 50,000/– गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया। बाढ़ एवं भूस्खलन से ग्राम पिलंग में मात्र 1.045 हे0 भूमि बही हैं और काश्तकारों के पास अभी भी पर्याप्त भूमि होने से कृषि भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम जौड़ाव व सिल्ला में दिनांक 5–7–2005 को पिलंग गाड़ में आयी बाढ़ से काश्तकारों को कोई क्षति नहीं हुई है।

जनपद पौड़ी में सिंचाई विभाग द्वारा पुनर्गठित नहरों की संख्या

19—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की सिंचाई विभाग की कुल कितनी नहरों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

क्या सिंचाई विभाग के कमाण्ड एरिया में लघु सिंचाई से नहरों का निर्माण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृत रावत—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिंचाई विभाग की कुल 48 नहरों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

जी नहीं।

सिंचाई विभाग के कमाण्ड एरिया में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराया जाना औचित्य पूर्ण एवं नीतिगत रूप से अनुमन्य नहीं है।

प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं अपराध रोकने की योजना

20—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में महिला उत्पीड़न एवं महिला अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

महिला उत्पीड़न एवं महिला अपराध रोकने के लिए राज्य में "राज्य महिला आयोग" का गठन किया गया है तथा राज्य के जनपदों में 16 महिला हैल्प लाईन, 5 महिला ऐच्छिक ब्यूरों तथा 73 महिला डेस्क की स्थापना की गयी है, जिनमें महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरणों के त्वरित निदान हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है। महिला उत्पीड़न/महिला अपराधों से सम्बन्धित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को समुचित दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल झील हेतु "राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना" के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग

21—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल झील के लिये राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

नैनीताल झील के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत कुल रुपये 47.97 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि को मिलाते हुए रु0 33.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 28.60 करोड़ की धनराशि का उपयोग कर लिया गया है तथा अवशेष रु0 4.90 करोड़ की धनराशि का मार्च, 2007 तक उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में वर्ष 2004—05 में भूस्खलन व बाढ़ से प्रभावित कृषकों का जिलेवार ब्यौरा

22—श्री मदन कौशिक—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004—2005 में राज्य में भूस्खलन एवं बाढ़ से कितने कृषकों के मकान एवं भूमि की जिलेवार कितनी—कितनी क्षति हुई है ?

क्या सभी परिवारों को राहत प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्ष 2004–05 में भूस्खलन एवं बाढ़ से 8043 के 5953 मकानों एवं 8739.839 हे0 भूमि की क्षति हुई है। क्षति का जनपदवार विवरण निम्नानुसार है :–

जनपद	प्रभावित कृषक	क्षतिग्रस्त मकान	क्षतिग्रस्त कृषि भूमि (हे0 में)
नैनीताल	24	16	—
अल्मोड़ा	562	364	3708.100
चम्पावत	164	164	1.080
पौड़ी गढ़वाल	500	500	—
हरिद्वार	471	471	195.558
उत्तरकाशी	233	233	—
ऊधमसिंह नगर	3232	1809	4800.00
चमोली	1579	1556	—
बागेश्वर	261	271	—
रुद्रप्रयाग	451	3	35.00
टिहरी गढ़वाल	263	263	—
देहरादून	38	38	0.101
पिथौरागढ़	265	265	—
योग	8043	5953	8739.839

जी हाँ।

राज्य में नयी जातियों को अनुसूचित व पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव

23–श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य में कुछ नयी जातियों को अनुसूचित एवं जनजाति पिछड़ी जाति में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो ये जातियाँ कौन–कौन सी हैं, एवं इसके लिए क्या नीति अपनाई गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित निम्नांकित 12 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है :–

1. कहार कश्यप
2. केवट, मल्लाह, निसाद
3. कुम्हार, प्रजापति
4. धींवर
5. बिन्द
6. मद, राजभर
7. धीमर
8. वाथम
9. तुरहा
10. गौंड
11. मांझी
12. मुछआ

किसी जाति को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

चूँकि अनुसूचित जाति की सूची में किसी जाति को सम्मिलित करने का अधिकार संसद में निहित है। अतः अन्य पिछड़ी जाति की उक्त 12 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु मंत्रिमण्डल की संस्तुति के उपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

60 पंतनगर–गदरपुर वि0ख0 क्षेत्र में लगे सिडकुल के उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों की सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति

24–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 60 पन्तनगर–गदरपुर विकास खण्ड क्षेत्र में सिडकुल में लग रहे उद्योगों में अब तक कितने स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दी गयी ?

क्या सारी भर्ती जिला सेवानियोजन कार्यालय के माध्यम से हुई है ?

श्रीमती अमृता रावत–

60 पन्तनगर–गदरपुर, विकास खण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा विकसित एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर में कुल 2501 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, जिसमें 1955 व्यक्ति उत्तरांचल राज्य के हैं।

उत्पादन शुरू करने वाले उद्योगों में से प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों यथा–ब्रिटानियाँ, पारले व डॉबर के प्रबन्धक (मानव संसाधन) द्वारा मौखिक रूप से यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा जिला सेवायोजन कार्यालय से आवेदन–पत्र मंगाये गये थे।

जनपद उत्तरकाशी के वि०ख० डुण्डा की ग्राम पंचायत खुरमोला में भूस्खलन से प्रभावित देवरियाणी गाँव का अन्यत्र विस्थापन

25–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत खुरमोला अन्तर्गत वर्ष 1995 को भूस्खलन प्रभावित देवरियाणी गाँव के विस्थापन की कार्यवाही को पूरा नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव का विस्थापन यथाशीघ्र करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम खुरमोला के देवरियाणी तोक में अतिवृष्टि/भूस्खलन से वर्ष 1996 में 02 आवासीय भवन पूर्ण रूप से तथा आवासीय भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जिसके लिए प्रभावितों को नियमानुसार अनुमन्य राहत तत्समय ही उपलब्ध करायी गयी। उक्त तोक में 06 परिवार निवास करते हैं जिन्होंने भूस्खलन प्रभावित स्थल से भिन्न सुरक्षित स्थानों पर अपने आवासीय भवन बना लिये हैं। अतः इन परिवारों के विस्थापन की आवश्यकता नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के वि०ख० नौगाँव के धारी में बन्द पड़े पशुचिकित्सा केन्द्र को खोलने पर विचार

26–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के अन्तर्गत धारी में पशु चिकित्सा केन्द्र को बन्द कर दिये जाने के कारण ग्रामीणों को पशु चिकित्सा हेतु लगभग 50 कि०मी० दूर नौगाँव आना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार काश्तकारों के हित में धारी अथवा कलोगी में पुनः चिकित्सा केन्द्र खोलेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अमृता रावत–

जी नहीं।

कलोगी में पशुचिकित्सा केन्द्र पूर्व से ही स्थापित है तथा कलोगी एवं धारी की दूरी मात्र 100 मी० है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के वि०ख० नौगाँव के कुपड़ा गाँव के जलोरी नामे तोक में भूस्खलन रोकने के उपाय

27–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के कुपड़ा गाँव अन्तर्गत जलोरी नामे तोक में भूस्खलन हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार भूस्खलन के कृषकों की खेती को हो रही क्षति रोकने हेतु कोई उपाय करेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के ग्राम कुपड़ा के अन्तर्गत जलोरी नामे तोक में वर्ष 2004–05 में अतिवृष्टि से बंजर भूमि पर भूस्खलन हुआ है, जिससे काश्तकारों की भूमिधरी भूमि को कोई क्षति नहीं हुई है। वर्ष 2005–06 में उक्त तोक में भूस्खलन से कोई क्षति नहीं हुई है।

राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पदोन्नति तथा राज्य कर्मचारी का दर्जा देने पर विचार

28–श्री प्रीतम सिंह पंवार एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी

क्या महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पदोन्नति दिये जाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

विचाराधीन है।

भारत सरकार द्वारा सहायतित आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकर्त्री एवं सहायिका का मानदेय कर्मी के रूप में तैनात किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अभाव में मानदेय कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 नौगाँव में खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती

29–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव में खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी के पद लम्बे समय से रिक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 भटवाड़ी के ग्राम अठाली की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती में लो–वोल्टेज की समस्या

30—श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम अठाली की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती में लो–वोल्टेज की समस्या काफी लम्बे समय से बनी हुई है ?

यदि हाँ, तो उक्त बस्ती की लो–वोल्टेज समस्या को कब तक दूर किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

पूर्व में यह समस्या थी।

वर्तमान में उक्त समस्या का समाधान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत सौन्द के छमरोली गाँव में बादल फटने व अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

31—श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत सौन्द अन्तर्गत छमरोली गाँव में दिनांक 22–07–2005 को बादल फटने, अतिवृष्टि व भूस्खलन के कारण ग्रामीणों की कई नाली कृषि योग्य भूमि बह गयी है ? क्या यह सत्य है कि गाँव के सभी मकानों के अन्दर पानी रिसाव के कारण खतरे की जद में हैं तथा सम्पर्क मार्ग व पुलिया ध्वस्त हो गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्रामीणों की आर्थिक सहायता करेगी एवं सम्पर्क मार्गों व पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत सौन्द के अन्तर्गत छमरोली गाँव में दिनांक 22–07–2005 को बादल फटने की कोई घटना नहीं हुई है। उक्त तिथि को अतिवृष्टि/भूस्खलन के कारण 53 काश्तकारों की 0.499 हे0 कृषि भूमि प्रभावित हुई। दस हजार रु0 प्रति हे0 की दर से 0.499 हे0 क्षतिग्रस्त भूमि रु0 4,975/– की धनराशि प्रभावित काश्तकारों में वितरित की जा रही है।

अतिवृष्टि/भूस्खलन के कारण ग्राम छमरौली में किसी भी आवासीय भवन को क्षति नहीं पहुँची है अन्दर से पानी रिसाव के कारण कोई भी भवन खतरे की जद में नहीं है।

अतिवृष्टि/भूस्खलन से गाँव का सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है तथा ग्राम छमरोली–मंजगाँव के लिए पैदल मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। क्षतिग्रस्त मार्ग व पुलिया की मरम्मत कार्य हेतु आगणन गठित किया जा रहा है। आगणन प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 चिन्यालीसौड़ के श्रीकोट में पशुचिकित्साधिकारी के रिक्त पद पर तैनाती

32—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के श्रीकोट में पशुचिकित्साधिकारी का पद कई वर्षों से रिक्त है ?

यदि हाँ, तो चिकित्साधिकारी की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नयन हेतु योजना एवं उनका स्वरूप

33—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नयन हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो कोई कार्य योजना की स्वरूप क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में इस दिशा में सरकार द्वारा कौन—कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और कितनी महिलाओं का आर्थिक/सामाजिक उन्नयन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

राज्य की महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन हेतु स्वशक्ति, स्वयंसिद्धा, इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना आदि योजनायें संचालित की गयी है। स्वशक्ति परियोजना में 560 महिला समूहों के अन्तर्गत कुल 7510 महिलायें तथा स्वयंसिद्धा परियोजना में 1100 महिला समूहों के अन्तर्गत कुल 17261 महिलायें लाभान्वित की गई है। इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत महिला विकास सम्बन्धी अभिनय परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिनके माध्यम से लगभग 7000 महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। उत्तरांचल राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच एवं निस्तारण के साथ गोष्ठियाँ एवं सेमिनार आयोजित कर महिला अधिकारों के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम हिप्पा सिलदों तथा ग्राम त्यूली में विद्युतीकरण का प्रस्ताव

34—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम हिप्पा सिलदो तथा ग्राम त्यूली में विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2006 में उक्त गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

ग्राम हिप्पा उरेडा द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण है। ग्राम सिलदो व ग्राम त्यूली पूर्व में ग्रिड से विद्युतीकरण हैं परन्तु ग्राम सिलदो में विद्युत आपूर्ति बाधित है जबकि ग्राम त्यूली के अन्य बस्तियों में विद्युतीकरण शेष है। अब इन सभी का ग्रिड से पुनः विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

इन गाँवों का ग्रिड से विद्युतीकरण वर्ष 2006–07 में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के वरूणावत शीर्ष पर पानी निकासी हेतु नाली निर्माण

35–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत भूस्खलन उपचार कार्य में लगी कम्पनी द्वारा वरूणावत शीर्ष पर नाली खोदकर पानी को तेखला व ज्ञानसू की तरफ डाईवर्ट किया गया? क्या यह सत्य है कि पानी डाईवर्ट किये जाने से तेखला व ज्ञानसू में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे काफी क्षति हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वरूणावत पर्वत भूस्खलन उपचार कार्य में लगी कम्पनी द्वारा वरूणावत शीर्ष पर अभी तक ऐसी कोई नाली नहीं बनायी गई है जिसका पानी तेखला व ज्ञानसू की तरफ डाईवर्ट किया गया हो। नाली खुदाई का कार्य निकट भविष्य में अवश्य किया जाना है, परन्तु इसको तेखला व ज्ञानसू की ओर डाईवर्ट करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 नौगाँव के स्यानाचट्टी, जानकी चट्टी यमुनोत्री आदि स्थित होटलों में विद्युत संयोजनों का पूरे वर्ष विद्युत प्रभार की वसूली

36–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के स्यानाचट्टी रानाचट्टी, हुनमानचट्टी, जानकीचट्टी व यमुनोत्री स्थित होटलों में स्थापित विद्युत संयोजनों का पूरे वर्ष का विद्युत प्रभार लिया जाता है ?

क्या सरकार शीतकाल में होटल बन्द रहने की अवधि में स्नोबान्ड के तहत केवल यात्राकाल का ही विद्युत प्रभार लेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ, विद्युत मूल्य वास्तविक उपभोग के आधार पर लिया जाता है एवं न्यूनतम उपभोग भुगतान वर्तमान टैरिफ के अनुसार आवश्यक है।

विद्युत टैरिफ निर्धारण का क्षेत्राधिकार मा0 उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के अन्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के जलोरी नामे तोक में भूस्खलन से खेती को हो रही क्षति

37–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के कुपड़ा गाँव अन्तर्गत जलोरी नामे तोक में भूस्खलन हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार भूस्खलन से कृषकों की खेती को हो रही क्षति हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड, नौगाँव के ग्राम कुपड़ा के अन्तर्गत जलोरी नामे तोक में वर्ष 2004–05 में अतिवृष्टि से बंजर भूमि पर भूस्खलन हुआ है, जिससे काश्तकारों की भूमिधरी भूमि को कोई क्षति नहीं हुई है। वर्ष 2005–06 में उक्त तोक में भूस्खलन से कोई क्षति नहीं हुई है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 भटवाड़ी के पिलंग गाँव की पहाड़ी पर पड़ी दरारों से खतरा

38–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के पिलंग गाँव के ऊपर पहाड़ी पर दरारें पड़ने से गाँव के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पिलंग गाँव का पुनर्वास करायेगी ? यदि हाँ, तो कहाँ एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में दिनांक 5–7–2005 को पिलंग गाड में आयी बाढ़ से ग्राम पिलंग की कृषि भूमि एवं आवासीय भवनों को क्षति पहुँची थी। जाँच आख्या के अनुसार वर्तमान में पिलंग गाँव के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं और गाँव को पुनर्वासित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनपद उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट मुख्यालय में भट्टाखाला नाले में भूस्खलन व अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ का खतरा

39–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट मुख्यालय में भट्टाखाला नाले में भूस्खलन व अतिवृष्टि के कारण कई मकानों के ढहने का खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नाले पर मकानों की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियन्त्रण कार्य करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

उक्त बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए रु0 35.36 लाख की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 भटवाडी के ग्राम सौरा में अतिवृष्टि से प्रभावितों के पुनर्वास की योजना

40–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम सौरा में 10 अगस्त, 2002 को अतिवृष्टि के कारण सौरा गाँव के कई परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हो गया था ? क्या यह सत्य है कि जिला प्रशासन उत्तरकाशी द्वारा सात परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा भू–वैज्ञानिकों से सर्वेक्षण करवाया गया था ? क्या सरकार प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

तहसील भटवाडी के ग्राम सौरा में दिनांक 10 अगस्त, 2002 को अतिवृष्टि के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। अतिवृष्टि से कोई क्षति न होने के कारण ग्राम सौरा को अयन्त्र बसाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही भू–वैज्ञानिकों से कोई सर्वेक्षण कराया गया है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी से सालू गाँव में भूस्खलन प्रभावितों का पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता

41–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के सालू गाँव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर लिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सालू गाँव के कुल कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाना है ?

प्रत्येक परिवार को कितनी–कितनी धनराशि नगद अथवा भवन निर्माण सहायता के लिए दी जा रही है ? प्रभावित परिवारों को कब तक और कहाँ पुनर्वास किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के सालू गाँव के भूस्खलन से 65 प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने का प्रस्ताव टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है। जाँच के पश्चात् राजस्व अधिकारियों द्वारा 58 प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने का प्रयास किया गया।

प्रत्येक परिवार को कुल रु0 3.60 लाख की धनराशि तीन किस्तों में प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त के रूप में रु0 1.10–1.10 लाख तथा तृतीय किस्त के रूप में रु0 1.40 लाख की धनराशि दी जायेगी।

जाँचोपरान्त 58 प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने हेतु प्रथम किस्त के रूप में भूमि क्रय हेतु रु0 1.10 लाख प्रति परिवार की दर से रु0 63.80 लाख की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। धनराशि का वितरण किया जा रहा है। सभी प्रभावित परिवारों के लिए भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवा लिया गया है। प्रभावितों के द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ किये जाने तथा पूर्ण किये जाने पर शेष धनराशि 2.50 लाख का भुगतान क्रमशः 1.10 लाख एवं 1.40 लाख की दो किस्तों में कर दिया जायेगा।

जनपद पौड़ी के रा0 महाविद्यालय चौबटाखाल का भवन निर्माण

42–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय चौबटाखाल भवनविहीन है ?

क्या यह सत्य है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश सरकार में इसका प्राक्कलन स्वीकृत था ?

यदि हाँ, तो क्या भवन का निर्माण शीघ्र किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

जी हाँ।

शासनादेश दिनांक 16 फरवरी, 2006 द्वारा भवन निर्माण हेतु रु0 398.60 लाख के आगणन पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रु0 7.71 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

43–श्री बिशन सिंह चुफाल–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त

जनपद पिथौरागढ़ के नम्बीसा नहर के मेठीगाड़ के पास क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण

44–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में नम्बीसा नहर के मेठीगाड़ के पास सुरक्षा दीवार टूट जाने से मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सुरक्षा दीवार का निर्माण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ में नम्बीसा नहर की मेठीगाड़ के पास क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण वर्ष 2006–07 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम मुगरोली में क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन की मरम्मत

45–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम मुगरोली में वर्ष 1998–99 में विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त हो गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्युत लाईन को ठीक करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

मार्च, 2006 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत भूस्खलन शीर्ष पर स्थित मलबे को लोडरों से डम्पिंग कराया जाना

46–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत भूस्खलन शीर्ष पर स्थित मलबे को कार्यदायी संस्था द्वारा गिराया जा रहा है ? क्या

सरकार बतायेगी कि जमा मलबे को कार्यदायी संस्था द्वारा लोडरों के माध्यम से डम्पिंग किया जाना था ? यदि हाँ, तो लोडरों के माध्यम से मलबे की डम्पिंग न कराये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार अनुबन्ध के अनुसार मलबे को लोडरों के माध्यम से डम्पिंग करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वरूणावत पर्वत भूस्खलन शीर्ष पर स्थित मलबे को कार्यदायी संस्था द्वारा गिराया नहीं जा रहा है अपितु डम्परों/लोडरों के माध्यम से डम्पिंग क्षेत्र तक ले जाया जा रहा है। मलबे का ढुलान अब तक डम्परों/लोडरों के द्वारा किया गया तथा वर्तमान में भी लोडरों के माध्यम से ही मलबा ढुलान कर चिन्हित डम्पिंग क्षेत्र में डाला जा रहा है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

उत्तरकाशी में मनेरीभाली परियोजना द्वितीय चरण के कार्य बिना निविदा भारत सरकार की एन0पी0सी0सी0 कम्पनी से छीनकर ठेकेदारों की कम्पनी को दिए जाने की अनियमितता की जाँच

47–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण में लगभग 8 करोड़ रुपयों का कार्य बिना निविदा निकाले भारत सरकार की एन0पी0सी0सी0 कम्पनी से छीनकर ठेकेदारों की बनी श्रीग कम्पनी को दिये जाने के क्या कारण है ?

क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

एन0पी0सी0सी0 से अनुबन्धित कार्यों की प्रगति धीमी होने के कारण परियोजना हित में समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उनके द्वारा निष्पादित कार्यों में से अनुबन्ध की शर्तानुसार आंशिक कार्य परियोजना क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार को सौंपा गया।

इसकी आवश्यकता नहीं है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन के लम्बित प्रार्थना–पत्र

48–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन के कितने प्रार्थना–पत्र आज की तिथि तक स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित हैं ?

अवलम्बित प्रार्थना–पत्र को कब तक स्वीकृत किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी में वृद्धावस्था पेंशन में 2500, विधवा भरण पोषण अनुदान में 600 तथा विकलांग भरण पोषण अनुदान में 115 प्रार्थना–पत्र स्वीकृति हेतु लम्बित हैं।

प्रदेश के अन्य जनपदों से भी उक्त योजनाओं में लम्बित आवेदन–पत्रों की सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं। सूचनाएं प्राप्त होने के उपरान्त समस्त जनपदों में लक्ष्यों में वृद्धि हेतु विचार किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में विधवा, वृद्धावस्था तथा विकलांगों की पेंशन का भुगतान

49–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विधवा/वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन का भुगतान बैंकों के द्वारा किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि सुदूर अंचलों में रहने वाले लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांगजनों की स्थिति को देखते हुए उनकी पेंशन का भुगतान पूर्व की भांति आगामी वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल, 2006) से डाकघरों द्वारा कराएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं। केवल राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 7–11–2005 से 9–11–2005 तक शिविर का आयोजन करके रेखांकित बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया। जिन लाभार्थियों को उक्तानुसार बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने में परेशानी हुई, उनके बैंकों को निरस्त करके उनके द्वारा दिए गये पतों पर मनीऑर्डर द्वारा पेंशन का भुगतान किया गया।

जी नहीं।

जी हाँ। पूर्व की भाँति आगामी वित्तीय वर्ष में भी डाकघर के माध्यम से पेंशन भुगतान की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के रौता गाँव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माणाधीन उड़ामाड़ा, पाट्यू चौपड़ा मोटर मार्ग की प्रगति रिपोर्ट की माँग

50—श्री महेन्द्र सिंह भट्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के रौता गाँव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन उड़ामाड़ा, पाट्यू, चौपड़ा मोटर मार्ग की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रस्तावित मोटर मार्ग के विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त डी०पी०आर० तैयार कर निर्धारित टैक्नीकल एजेन्सी (आई०आई०टी०, रुड़की) से स्कुटनाइज कराकर ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार को प्रेषित करने की कार्यवाही गतिमान है। वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

जनपद चमोली के वि०ख० कर्णप्रयाग के ग्राम नौसारी के अनुसूचित जाति बस्ती के लोगों के विस्थापन की कार्यवाही

51—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के ग्राम नौसारी के अनुसूचित जाति बस्ती के लोगों के विस्थापन की कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित थी ?

यदि हाँ, तो क्या उस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ?

क्या सभी परिवारों का विस्थापन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

जी हाँ।

आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार विस्थापन हेतु धनराशि अनुमन्य नहीं है। जिस कारण आपदा राहत कोष से विस्थापन हेतु धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं है।

विकास खण्ड कर्णप्रयाग के नौसारी ग्राम के अनुसूचित जाति के लोगों के विस्थापन की कार्यवाही वन अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है।

प्रदेश में आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या की जानकारी एवं शेष ग्राम पंचायतों में आगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार

52—श्रीमती आशा देवी—

क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आँगनबाड़ी केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें बाकी हैं जिनमें आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जानी बाकी है ?

क्या सरकार शीघ्र छूटी हुई ग्राम पंचायतों में ऑगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत--

उत्तरांचल के अन्तर्गत कुल 7792 ऑगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा सहायतित आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना का मानक जनसंख्या पर आधारित है ग्राम पंचायत पर आधारित नहीं है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रुद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि व ऊखीमठ में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण

53--श्रीमती आशा देवी--

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि एवं ऊखीमठ दैवीय आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील हैं? क्या यह सत्य है कि जनपद में सड़क, पुल, पेयजल योजनाएँ दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हैं ? सरकार ने 2002 से अब तक कुल कितनी क्षतिग्रस्त योजनाओं पर दैवीय आपदा से धन खर्च किया है ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत--

जनपद रुद्रप्रयाग विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। भूकम्पीय दृष्टिकोण से यह जनपद सर्वाधिक खतरे के जोन 05 की श्रेणी में आता है।

वर्ष 2002--03 से वर्ष 2005--06 में फरवरी, 2006 तक दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कुल 112 विभागीय परिसम्पत्तियों सड़क, पुल, पेयजल योजनाओं के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु कुल रु0 1,88,19,770/-- की धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित विभागों को अवमुक्त की जा चुकी है।

जनपद रुद्रप्रयाग के अलकनन्दा तल्लानागपुर पम्पिंग योजना निर्माण के सम्बन्ध में

54--श्रीमती आशा देवी--

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के तल्लानागपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु कितनी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा संचालित योजनाओं की क्षमता कितनी एम0एल0डी0 है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में माँग कुल कितने एम0एल0डी0 की है ?

क्या सरकार माँग के सापेक्ष आपूर्ति के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

क्या सरकार अलकनन्दा तल्लानागपुर पम्पिंग योजना निर्माण पर भी विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

तल्लानागपुर में जलापूर्ति हेतु दो योजनायें संचालित की जा रही है जिनकी कुल क्षमता 789 एल0पी0एम0 (0.875 एम0एल0डी0) है।

वर्तमान में मानक के अनुसार 1.666 एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है।

जी हाँ।

जी हाँ।

सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलन विरचित होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग की ग्राम सभा खत्याड़ी के पाडूली गाँव की कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण

55–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्ण प्रयाग के ग्राम सभा खत्याडी के पाडूली गाँव की कृषि योग्य भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

सिंचाई सुविधा हेतु पाडूली पनैरा गधेरे में 0.50 क्यूसेक पानी है जो 05 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हेतु आवश्यकता अनुसार कम है तथा गर्मियों में और भी कम होने की सम्भावना है। अतः सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार योजना फिजियल नहीं है।

राज्य में स्थापित निगमों में कार्यरत कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के निराकरण पर विचार

56–श्री प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि राज्य में स्थापित निगमों में कार्यरत कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों में एक रूपता है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सरकार सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु योजना बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों की राज्य सरकार के कर्मचारियों से वेतनमान में पैरिटी नहीं है। राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति के प्रकरणों पर विचार करने हेतु वेतन विसंगति समिति गठित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में पावर कारपोरेशन डिविजन खोलने पर विचार

57–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में पावर कारपोरेशन का डिविजन खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

तद्नुसार।

मानक पूरे नहीं होने के कारण।

उत्तरांचल पेयजल निगम में अधीक्षण अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियरों के विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्तियाँ एवं उनका जनपदवार ब्यौरा

58–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं जूनियर इन्जीनियरों के कुल कितने पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति कब निकाली गई ?

क्या मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सभी विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं ?

यदि हाँ, तो उनका जनपदवार ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अधीक्षण अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाती है। विभाग द्वारा 71 सहायक अभियन्ताओं तथा 279 जूनियर इन्जीनियरों के पदों हेतु दिनांक 02–11–04 एवं 03–11–04 को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई।

उपरोक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष 63 सहायक अभियन्ताओं तथा 214 जूनियर इन्जीनियरों के पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। सभी पदों के सापेक्ष नियुक्तियाँ प्रदान की गई जिनमें से वर्तमान में 47 सहायक अभियन्ता एवं 203 जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं। सहायक अभियन्ता अनुसूचित जाति के 07, पिछड़े वर्ग के 05 एवं जूनियर इंजीनियर के पिछड़े वर्ग में 08 पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी। शेष 04 सहायक अभियन्ताओं के पदों पर 02 सामान्य वर्ग एवं 02 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 3 जूनियर इंजीनियर के पदों पर 02 सामान्य वर्ग एवं 01 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाना है।

नियुक्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियरों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	सहायक अभियन्ता	जूनियर इंजीनियर
पौड़ी	8	39
चमोली	2	6
टिहरी	5	19
उत्तरकाशी	3	9
देहरादून	8	22
हरिद्वार	0	9
रुद्रप्रयाग	2	3
नैनीताल	5	20
ऊधमसिंह नगर	0	6
चम्पावत	2	10
अल्मोड़ा	6	34
पिथौरागढ़	5	21
बागेश्वर	1	5
योग	47	203

जनपद चमोली के आश्रम पद्धति विद्यालय सैकोट में पंचायत उद्योग समिति गोचर को धनराशि का भुगतान

59–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि आश्रम पद्धति विद्यालय सैकोट चमोली के आदेश संख्या 166/रा०आ०प०वि०/दिनांक 15 मार्च, 2004 के में पंचायत उद्योग समिति गोचर द्वारा एक लाख मूल्य के स्टील फ्रेम तख्तों की आपूर्ति की गई थी ?

यदि हाँ, तो विभाग द्वारा पंचायत उद्योग समिति को धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

विभाग द्वारा कोषागार चैक संख्या 415641, दिनांक 29 मार्च, 2004 द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2004 को एक लाख रुपये का भुगतान पंचायत उद्योग समिति गोचर को किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी की थाला सरियाना की क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की जीर्णोद्धार

60–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की थाला सरियाना पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल लाईन को ठीक करने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत इस योजना के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रु0 4.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार सुविधा

61–श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग के संस्तुतियों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति समस्त सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वेतन समिति द्वारा राज्य कर्मचारियों के समान समस्त सुविधायें यथावत प्रदान करने की संस्तुति नहीं की गयी है।

जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सरकारी सेवा में सेवायोजित करना तथा मृतक आन्दोलनकारियों के परिवारों हेतु योजना

62–श्रीमती आशा देवी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आन्दोलन में गम्भीर रूप से घायल कुल कितने लोगों को चिन्हित किया गया है, चिन्हित आन्दोलनकारियों में से कितने लोगों को सरकारी सेवा में लिया गया तथा कितने शेष हैं? सरकार द्वारा शेष व्यक्तियों के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के कितने आन्दोलनकारियों की मृत्यु हो चुकी है ?

क्या सरकार आन्दोलनकारियों के परिवारों हेतु योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आन्दोलन में 07 घायल आन्दोलनकारियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें विभिन्न विभागों में सेवायोजित किया जा चुका है।

जनपद रुद्रप्रयाग के 04 आन्दोलनकारियों की मृत्यु हो चुकी है।

जी नहीं।

सम्प्रति, राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/सात दिन तक या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गये चिन्हित आन्दोलनकारियों को शासनादेशानुसार सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम ताड़ीखेत का विद्युतीकरण

63–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम ताड़ीखेत में वर्ष 2006 में विद्युतीकरण कराया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल के राजस्व बन्दी गृह में बंदियों हेतु अतिरिक्त कक्षों का निर्माण

64–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के राजस्व बन्दी गृह में क्षमता से अधिक बन्दी हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार बंदियों हेतु अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों .

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण

65–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह निर्माण से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान में नैनीताल स्थित एक सिनेमा हाल की भूमि व भवन प्रेक्षागृह उपयोग हेतु क्रय का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर नगरपालिका परिषद् एवं जनपद प्रशासन से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। वृहद वित्तीय उपाशय होने के कारण इसकी उपयोगिता व अन्य बिन्दुओं पर सम्यक् परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

नैनीताल में नैनीझील पर एरियेशन एवं साइफिलींग कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं की संख्या

66–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल में नैनीझील पर एरियेशन एवं साइफिलींग कार्य हेतु आमन्त्रित निविदा पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं ?

निविदा के निर्णय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गयी तथा उक्त कार्य हेतु समय सीमा क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

नैनीझील पर एरियेशन हेतु 16 निविदायें एवं साइफिलींग कार्य हेतु 09 निविदायें अर्थात् कुल 25 निविदायें प्राप्त हुई।

निविदाओं में निर्णय हेतु निविदादाता संस्थाओं द्वारा तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया, विशेषज्ञ तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर चयनित फर्मों से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव माँगे गये। प्राप्त प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु फर्मों के चयन पर अन्तिम निर्णय से तीन माह की समय सीमा निर्धारित है।

67—श्री प्रकाश पन्त—

प्रथम मंगलवार के अता0 102 में स्था0

राज्य में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जनपदवार सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण वरीयता पर विचार

68—श्री प्रकाश पंत—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थित विभागों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति जनपदवार सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण वरीयता के अनुसार किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ पद हेतु निर्धारित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जाती हैं परन्तु शासनादेश संख्या 1974/कार्मिक–2/2001 दिनांक 09–01–2002 के अन्तर्गत राज्य के किसी एक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 घाट की ग्राम सभा भरई के हितमोली तोक हेतु पेयजल योजना पर विचार

69—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्राम सभा भरई के हितमोली तोक हेतु पेयजल योजना बनाने पर विचार करेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के ग्राम भारणी में 6 जुलाई, 2004 को हुई भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों की क्षतिपूर्ति

70—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्राम भारणी में 6 जुलाई, 2004 को हुई भारी वर्षा से चट्टान खिसकने के कारण कितने आवासीय मकानों को क्षति पहुँची है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्राम भारणी में 06 जुलाई, 2004 को हुई भारी वर्षा के चट्टान खिसकने के कारण ग्राम भारणी के आवासीय मकानों को कोई क्षति नही हुई और न ही क्षतिपूर्ति हुई कोई धनराशि ही वितरित की गई है।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के ग्राम सभा शरणाचॉई के गुगलीतोक कालिंका कठा नामक तोक पर पेयजल व्यवस्था हेतु योजना

71–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम सभा शरणाचॉई के गुगली तोक कालिंका कठा नाम तोक में वर्ष में छः माह ग्रामीण परिवार निवास करते है ?

यदि हॉं, तो उक्त तोक पर पेयजल व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्णित तोक में ग्रामीण वर्ष में मात्र 4 माह (वर्षाऋतु के दौरान) निवास करते हैं।

जी नहीं।

यद्यपि वर्णित तोक में ग्रामवासी अस्थाई रूप से रहते हैं। तथापि सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

72–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

दि0 24–3–06 को अतारांकित 62 द्वारा उत्तरित।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 द्वारीखाल कदूड़बड़ा पम्पिंग पेयजल योजना हेतु अवमुक्त धनराशि

73–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल में कदूड़बड़ा गॉंव व आसपास के अन्य गॉंवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कदूड़बड़ा पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्तावित है ?

यदि हॉं, तो इसके लिए कोई धनराशि अवमुक्त की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हॉं।

जी हॉं।

योजना के प्राक्कलन पर प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त संसाधनों की उपलब्धता पर धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयाँ खोलने पर विचार

74—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार उद्योग धन्धे खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में भी कोई औद्योगिक इकाई खोली जायेगी, यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी नहीं।

उत्तरांचल राज्य स्थापना के उपरान्त विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत रुपये 1.00 लाख से अधिक पूंजी विनियोजित की 26 इकाईयों तथा रुपये 1.00 लाख से कम पूँजी विनियोजन की 64 इकाईयाँ लघु/लघुत्तर उद्योगों के रूप में स्थापित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के ग्रामसभा गोदिगिवाला के तोक लोहागाड का विद्युतीकरण

75—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम सभा गोदिगिवाला के तोक लोहागाड में आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तोक का विद्युतीकरण करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी की ग्रामसभा रौता की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना का जीर्णोद्धार

76—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की ग्रामसभा रौता की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना को ठीक कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

रौता पेयजल योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है।

माह मार्च, 2006 के अन्त तक कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य स्थापना आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य आन्दोलनकारी घोषित करने पर विचार

77–श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बतलायेंगे कि सरकार राज्य स्थापना आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य आन्दोलनकारी घोषित करने की माँग पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त घोषणा कर ली जायेगी तथा क्या–क्या सुविधायें प्रदान की जानी प्रस्तावित है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के आन्दोलन में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें राज्य आन्दोलनकारी घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में बकरियों में फैली अज्ञात बीमारी की रोकथाम के उपाय

78–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पशुधन मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम रडवा में 25 फरवरी, 2002 से 16 मई, 2002 के मध्य 58 बकरियाँ अज्ञात बीमारी से मर गयी?

यदि हाँ, तो बकरियों के मालिक को क्या सहायता दी गयी तथा बीमारी के रोकथाम हेतु क्या उपाय किये गये ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

विभाग में इस हेतु सहायता प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। बीमारी की रोकथाम हेतु तत्समय यथोचित उपचार पशुचिकित्साधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0 ख0 घाट के ग्राम सभा मोखतल्ला के तुणकोट गाँव में पेयजल योजना

79–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्राम सभा मोखतल्ला के तुणकोट गाँव में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई पेयजल योजना बनाई गयी है ?

यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

तुणकोट तोक, मोख बारी पेयजल योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है।

इस योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है तथा माह मार्च, 2006 के अन्त तक पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी की ग्राम सभा सौड़ागंगरा के राजस्व ग्राम नागधार के लिए एकल पेयजल योजना

80–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की ग्राम सभा सौड़ागंगरा के राजस्व ग्राम नागधार के लिए जिलायोजना 2004–05 से एकल पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी ? यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

आली काण्डई पेयजल योजना में राजस्व ग्राम नागधार सम्मिलित है। इस योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है तथा माह मार्च, 2006 के अन्त तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग की ग्रामसभा मंगरौली में बेडुडाला नामक तोक से मंगरोली बगड़ तक पेयजल योजना

81–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के ग्रामसभा मंगरौली में बेडुडाला नामक तोक से मंगरोली बगड़ तक पेयजल योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

योजना के सम्बन्ध में स्थलीय सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित को दिये गये हैं। सर्वेक्षण के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 कोट के स्थान बहेड़ाखाल स्थित नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र को पुनर्जीवित करने की योजना

62–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में स्थित नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र वर्षों से मृत पड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय पशुपालकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है ?

यदि हाँ, तो उक्त केन्द्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इस केन्द्र को कब तक पुनर्जीवित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 18(1)/व0ग्रा0वि0/पशु0/2001 दिनांक 18 मार्च, 2001 द्वारा नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं। वर्तमान में अभिजनन केन्द्र का कार्य उत्तरांचल लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों को पुनर्जीवित किये जाने की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूँगी में कब्जेदारों की भूमि पर नजराना माफ कर मालिकाना हक प्रदान करने पर विचार

63–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूँगी अन्तर्गत ग्राम कालाढूँगी खाम में वर्ष 1947 के बाद के 49 भूमि कब्जेदारों की भूमि पर नजराना माफ कर मालिकाना हक प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक मालिकाना हक प्रदान कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नहीं नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1947 के बाद के 49 कब्जेदारों में से ऐसे कब्जेदार जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा निर्बल वर्ग के हों उनके आवासीय प्रयोजन के अवैध कब्जों को रु0 250/– प्रति

वर्ग गज की दर का 50 प्रतिशत के अनुसार नजराना लेकर मालिकाना हक प्रदान किया जा सकता है। किन्तु किसी भी कब्जेदार द्वारा अभी तक नजराना जमा करने हेतु अपनी लिखित सहमति नहीं दी है।

प्रदेश में रा0 महाविद्यालयों में संविदा पर विजिटिंग फैक्ल्टी के अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्ति पर विचार

84—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत विजिटिंग फैकल्टी कितने समय से कार्यरत है। तथा इसके चयन के समय सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अपनायी गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इनकी सेवायें नियमित रूप से चलाने हेतु सार्थक कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राजकीय महाविद्यालयों में अगस्त, 2001 में संविदा पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था की गई थी। प्रतिवर्ष आवश्यकता के आधार पर संविदा पर पुनः अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता रहा है। विजिटिंग फैकल्टी के चयन हेतु एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई थी।

प्रवक्ता पद लोक सेवा आयोग की परिधि का होने के कारण विज्ञापित पदों में चयन हेतु विजिटिंग प्रवक्ताओं के लिए अधिमान की व्यवस्था की गई है।

विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था के अन्तर्गत अभ्यर्थी संविदा पर मानदेय में पठन—पाठन की व्यवस्था हेतु रखे गये हैं। संविदा पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मानदेय के आधार पर कार्य करने के एवज में नियमित नियुक्ति की माँग नहीं की जायेगी।

प्रदेश में लोक सेवकों तथा शासन के मध्य लम्बित वादों के निस्तारण हेतु लोक सेवा अभिकरण की स्थापना

85—श्री हरबंस कपूर—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक सेवकों तथा शासन के मध्य लम्बित वादों के निस्तारण हेतु लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गयी है ?

उक्त अभिकरण में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कितनी नियुक्तियाँ की गयी हैं ?

क्या यह सत्य है उक्त अभिकरण द्वारा नियुक्तियाँ करने में समुचित प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन नियुक्तियों को निरस्त कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचनायें एकत्र की जा रही हैं।

उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव के पौलगाँव के शहीद आशाराम जगूड़ी की मूर्ति का अनावरण

86–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव अन्तर्गत पौलगाँव के शहीद आशाराम जगूड़ी की मूर्ति का अनावरण फरवरी, 2005 को होना था ? यदि हाँ, तो मूर्ति का अनावरण किस तिथि तक कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ग्राम पौलगाँव में शहीद आशाराम जगूड़ी की मूर्ति का अनावरण माह फरवरी, 2005 में प्रस्तावित था किन्तु प्रस्तावित मूर्ति स्थल आरक्षित वन क्षेत्र में होने के कारण मूर्ति स्थापना नहीं की जा सकी है। इस मूर्ति की स्थापना हेतु नये स्थल का चयन किया जा रहा है। स्थल चयन हो जाने के उपरान्त ही मूर्ति स्थापना/अनावरण की कार्यवाही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

87–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

द्वितीय बुधवार के अता0 02 में स्थानान्तरित।

जनपद नैनीताल में स्थित भीमताल एवं भवाली में कार्यरत कर्मचारियों को बी0–2 श्रेणी का आवासीय भत्ते की सुविधा

88–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल में स्थित भीमताल एवं भवाली की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार उक्त स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी नैनीताल की भाँति बी–2 श्रेणी का आवासीय भत्ता प्रदान करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त स्थान आवासीय भत्ते के लिए बी–2 श्रेणी के मानक पूर्ण नहीं करते हैं।

नैनीताल के वि0ख0 भीमताल में स्थित आमपड़ाव–चौपड़ा में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत एवं आपदा से निपटने के सुरक्षात्मक प्रबन्ध

89–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल में स्थित आमपड़ाव–चौपड़ा में दिनांक 22–09–2004 की रात्रि में दैवीय आपदा में भारी तबाही हुई थी ? यदि हाँ, तो क्या मृतकों के आश्रितों तथा अन्य प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने हेतु सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गयी है ? क्या सरकार द्वारा भविष्य में उक्त क्षेत्र की आपदा समस्या से निपटने हेतु सुरक्षात्मक प्रबन्ध कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल में स्थित आमपड़ाव–चौपड़ा में दिनांक 22–9–2004 की रात्रि में भारी तबाही हुई थी जिसमें तीन जनहानि हुई थी। प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध करा दी गयी थी।

आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों हेतु अस्थायी आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है। जिस कारण प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाया जाना सम्भव नहीं है।

आमपड़ाव क्षेत्र की दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त तीन कार्य योजनाओं हेतु रु0 5.65 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नैनीताल को तत्काल उपलब्ध करा दी गयी थी।

खनन नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार

90–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री खनन नीति में परिवर्तन कर स्थानीय बेरोजगारों (शिक्षित प्रशिक्षितों) के माध्यम से नदी चुगान आदि में प्राथमिकता देने तथा खनन पट्टा जारी करने का अधिकार उप जिला अधिकारी को प्राधिकृत किये जाने सम्बन्धी नीति में संशोधन किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में प्रश्नानुसार प्राविधान नहीं है।

राज्य में भेड़पालकों के उत्थान तथा उनके द्वारा उत्पादित ऊनी सामग्री के विपणन की कार्ययोजना एवं उसका स्वरूप

91–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के भेड़पालकों के उत्थान तथा उनके द्वारा उत्पादित ऊनी सामग्री के विपणन हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गयी है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

राज्य में भेड़पालकों के उत्थान हेतु उत्तरांचल भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। भेड़ों से उत्पादित होने वाली ऊन का क्रय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तरांचल द्वारा किया जाता है तथा भेड़पालकों द्वारा तैयार किये गये ऊनी वस्त्रों के विपणन हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा जिला/राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

साधन सहकारी समितियों के पर्वतीय जनपदों में तैनात कैडर सचिवों को पंचम वेतनमान पर विचार

92–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि साधन सहकारी समितियों के पर्वतीय जनपदों में तैनात कैडर सचिवों को पंचम वेतनमान देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

पैक्स सचिवों के वेतन भुगतान हेतु प्रत्येक जनपद में कैडर फण्ड स्थापित है जिसमें समिति द्वारा वितरित ऋण का 1.5% एवं बैंक द्वारा 0.5% का अंशदान दिया जाता है शेष की प्रतिपूर्ति जनपदों द्वारा शासन से माँग की जाती है। वर्तमान में पर्वतीय जनपदों के पैक्स समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पैक्सों एवं बैंकों द्वारा कैडर फण्ड में जमा किये जाने वाले निर्दिष्ट अंशदान से पैक्सों के सचिवों के वेतन फण्ड में अधिविकर्ष की स्थिति बनी हुई है। राज्य के कार्मिकों के भाँति पैक्स सचिवों को भी दिनांक 1–1–1996 में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के क्रम में जिन जनपदों के कैडर फण्ड में ओवर ड्राफ्ट नहीं था उनके पैक्स सचिवों को निबन्धक द्वारा 31–05–2003 को पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया है और कैडर फण्ड में ओवर ड्राफ्ट वाले जनपदों के पैक्स सचिवों को रु0 800.00 प्रतिमाह अन्तरिम सहायता के रूप में दिया गया है।

पर्वतीय जनपदों के जिला सहकारी बैंकों के कैडर फण्ड में अधिविकर्ष की स्थिति के कारण कैडर सचिवों को पंचम वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं है।

सरकारी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को श्रेणी तीन व चार के अन्तर्गत नियमितीकरण

93–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को श्रेणी तीन व चार के अन्तर्गत नियमितीकरण करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के जौरासी पेयजल योजना का पुनर्गठन

94–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के जौरासी पेयजल पुनर्गठन की स्वीकृति के सापेक्ष कार्य पूर्ण कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जौरासी पेयजल योजना पुनर्गठन हेतु स्वीकृत नहीं है।

जौरासी पेयजल योजना के जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2001–02 में पूर्ण किए गये। वर्तमान में पेयजल की मात्रा बढ़ाये जाने हेतु नया स्रोत जोड़ने की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्ष 2006–07 की जिला योजना में कार्य प्रस्तावित किया गया है।

जनपद चमोली के वि0ख0 घाट की ग्रामसभा फाली में जल संस्थान द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त पेयजल योजना का जीर्णोद्धार

95–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्रामसभा फाली में जल संस्थान द्वारा निर्मित पेयजल योजना पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना के सुधार की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

इस योजना का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2006–07 की जिला योजना में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी बाँध बनने से बदली भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रतापनगर को जिला घोषित करने पर विचार

96–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत टिहरी बाँध बन जाने के कारण जनपद टिहरी गढ़वाल की भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल गयी हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रतापनगर क्षेत्र को जिला घोषित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिसीमन आयोग भारत सरकार के द्वारा परिसीमन के दौरान नई प्रशासनिक इकाईयों के गठन पर रोक लगाई गई है।

जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा में सीलिंग भूमि के आवंटन का ब्योरा

97–श्री गोपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा से सीलिंग भूमि कितनी है तथा उपलब्ध सीलिंग भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित होगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा के अन्तर्गत सीलिंग से प्राप्त कुल भूमि 2547.20 एकड़ है। जिसमें से 1006.24 एकड़ भूमिहीनों को आवंटित है। 156.84 एकड़ अकृषक/गाँव सभा में घोषित है तथा अवशेष 1384.12 एकड़ भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः वर्तमान में सिडकुल को हस्तान्तरण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा ऊधमसिंह नगर के भवन की मरम्मत

98—श्री गोपाल सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री भिज्ञ हैं कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा ऊधमसिंह नगर का भवन अत्यन्त पुराना हो चुका है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त भवन कभी भी गिर सकता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर के भवन की मरम्मत हेतु रुपये 23.64 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान समय में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु संस्थानों को दी गई सम्बद्धता के कारण

99—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के तृतीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के क्रम में बतायेंगे कि कुमायूँ तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान समय में और कितने संस्थानों को बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने की सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कुमायूँ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 06 संस्थाओं तथा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत 24 और संस्थाओं को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई है। शासन की अनापत्ति के उपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिये जाने के कारण अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0ख0 खटीमा की जीर्णशीर्ण भवन का पुनर्निर्माण

100—श्री गोपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड खटीमा के पुराने जीर्णशीर्ण हो चुके भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

भवन को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित नहीं किया गया है और न ही जिला योजना में उक्त निर्माण हेतु परिव्यय अनुमोदित है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट में मनसा देवी पेयजल योजना की प्रगति

101–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मनसा देवी पेयजल योजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रपत्र शासन को प्राप्त हो चुके हैं ?

यदि हाँ, तो योजना की प्रगति क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त योजना को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ, वन विभाग के शासनादेश संख्या एस0जी0/27/7–1–2006–700 (40)/2006, दिनांक 17–01–2006 द्वारा वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

योजना पर दिनांक 09–01–06 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा उक्त योजना जुलाई, 2006 तक पूर्ण होनी सम्भावित है।

उत्तरांचल में नलकूप सहायकों को नियमित नियुक्ति देने पर विचार

102–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में नलकूप सहायकों को नियमित नियुक्ति देने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

नलकूप सहायकों को नियमित नियुक्ति देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग नलकूप चालकों के पदों पर अंशकालिक नलकूप चालकों को विनियमितीकरण नियमावली 1966" के अनुसार 1 अक्टूबर, 1986 से पूर्व नियुक्त नलकूप सहायकों (अंशकालीन नलकूप चालक) का नलकूप चालक के पद पर विनियमितीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1986 के पश्चात् नियुक्त नलकूप सहायकों का विनियमितीकरण नहीं हुआ है। चूँकि नलकूप पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों को हस्तगत किया जाना है इस कारण भी विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

जनपद नैनीताल के नौकुचियाताल में टैम्पलटन विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा

103–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि नौकुचियाताल (जनपद नैनीताल) में टैम्पलटन विद्यालय स्थापित है ?

क्या विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की भूमि पर कब्जा कर उन्हें परेशान किये जाने की जानकारी प्रशासन को है ?

यदि हाँ, तो शासन द्वारा प्रभावित ग्रामीणों को न्याय प्रदान करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। टैम्पलटन विद्यालय के नाम माल कागजातों में 144 नाली 15 मुट्ठी भूमि दर्ज है, जिस पर विद्यालय द्वारा तार–बाड़ लगाई गई है। इसी तार–बाड़ वाली भूमि के अन्दर 15 नाली 05 मुट्ठी भूमि राज्य सरकार की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 425(एम0बी0)2006 विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लाभ का पद धारण करने वाले विधायकों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, कल होने वाले चुनाव की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, लाभ के पदों के बारे में बात पूरे भारत वर्ष में चल रही है आज यहाँ पर.......

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी कृपया बैठिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो विधायक लाभ के पदों पर बैठे हुए हैं, कल को अगर विधायकगण वोट देते हैं, जो भी प्रत्याशी जीतता है वह असवैधानिक होगा उसकी सदस्यता समाप्त होगी। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर पहले व्यवस्था दे चुका हूँ। कृपया बैठिए।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत पहली औचित्य के प्रश्न की सूचना मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह से प्राप्त हुई है। जो धन्यवाद प्रस्ताव पर दिये गये संशोधनों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में है। धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्राप्त संशोधनों पर कृत कार्यवाही को सदन में पढ़े जाने की व्यवस्था नियमों में नहीं है। नियम 19(8) के अन्तर्गत ऐसा कोई पत्र प्राप्त होगा तो उसे अवश्य ही पढ़कर सुनाया जायेगा। मैं मा0 श्री मातबर सिंह जी के इस औचित्य के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। दूसरी नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में मा0 सदस्य श्री प्रकाश पंत ने दी है। जो कतिपय मा0 सदस्यों के निर्हरता से ग्रसित होने के सम्बन्ध में है। यह सूचना पूर्व में उठायी जा चुकी है। जिस पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूँ। मैं पुनः इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं इनमें से मैं सात सूचनायें स्वीकार कर रहा हूँ। शेष को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा श्री नारायण राम आर्य का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में अनुपस्थित थे)

धारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नन्धौर नदी, सूखी नदी को चुगान पर दिये जाने तथा नदी से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा प्रारम्भ से पूर्व तटबन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, धारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नन्धौर नदी ने विगत 2 वर्षों से चोरगलियाँ में बाढ़ से भारी तबाही मचायी है, नदी का रूख चोरगलियाँ ग्रामीण क्षेत्र में हो जाने से कई परिवार बेघरबार हो गये हैं एवं कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदी में पत्थर, रेता आदि भारी मात्रा में जमा होने से नदी का प्रवाह आबादी क्षेत्र की ओर हो गया है, यही स्थिति गौलापार क्षेत्र में सूखी नदी एवं गौला नदी का भी है।

लोक महत्व एवं जनहित के इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए मेरा अनुरोध है कि चोरगलियाँ में नन्धौर नदी, सूखा नदी को चुगान के लिए दिया जाय, साथ ही विगत दो वर्षों में नदी से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा प्रारम्भ होने से पहले तटबन्धों का निर्माण करवाया जाय, गौला नदी में भी गौलापार बाईपास के पास रावत नगर, इन्द्रानगर, वनदेवी मन्दिर के पास तटबन्धों का निर्माण करवाया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० चौखुटिया द्वाराहाट अन्तर्गत स्वामी विवेकानन्द, उ०मा०वि० सिमलखेत, श्री लाल बहादुर शास्त्री उ०मा०वि० नागाड एवं जनता उ०मा०वि० छानागोलू विद्यालय का अनुदान के अभाव में विकास नहीं हो पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड चौखुटिया, द्वाराहाट अन्तर्गत स्वामी विवेकानन्द, उ०मा०वि० सिमलखेत, श्री लाल बहादुर शास्त्री उ०मा०वि० नागाड एवं जनता उ०मा०वि० छानागोलू विद्यालय विगत एक दशक पूर्व से वित्तविहीन मान्यता के आधार पर चल रहे हैं और विद्यालय अनुदान के अभाव में समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। जहाँ सरकार अपने सर्वशिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत् है वहीं इस दुर्गम क्षेत्र में छात्र–छात्राओं को शिक्षा ग्रहण के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि क्षेत्रीय जनता के पिछड़ेपन व निर्धनता के कारण विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन आदि का प्रबन्ध करने में विद्यालय प्रबन्ध समिति असमर्थता व्यक्त कर रही है जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो चुका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

वन विभाग देहरादून की तिलक रोड स्थित कालोनी की जर्जर सीवर लाइन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, वन विभाग देहरादून की तिलक रोड स्थित कालोनी की सीवर लाइन जीर्ण–शीर्ण एवं अनेक स्थानों से क्षतिग्रस्त होने के कारण सीवर की सारी गन्दगी खुली नालियों एवं सड़कों पर बहने से क्षेत्रवासियों का जीना दूभर हो चला है। विभागीय अधिकारियों को अनेक बार अवगत कराने पर भी समस्या का कोई समाधान न होना अत्यन्त खेद का विषय है।

महोदय, तिलक रोड के आस–पास का सारा क्षेत्र घनी आबादी क्षेत्र है तथा सीवर की गन्दगी से बदबू एवं दुर्गन्ध से जहाँ एक ओर क्षेत्रवासी त्रस्त हैं वहीं दूसरी ओर किसी भी समय महामारी की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

महोदय, सूचना अविलम्बनीय, लोक महत्व की तात्कालिक एवं महत्वपूर्ण है। अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस सूचना के माध्यम से मैं सदन का ध्यानाकर्षित कर समस्या के समुचित समाधान की माँग करता हूँ।

देहरादून महानगर के अन्तर्गत वार्ड–11 राजीव नगर में बरसाती नाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान देहरादून महानगर के अन्तर्गत वार्ड–11 राजीव नगर में बरसाती नाले से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उक्त क्षेत्र में अपर राजीव नगर नाले में बरसाती पानी से भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जंगल का पानी, घास, पत्ती बरसात में अथवा वर्षा होने पर घरों में घुस जाता है, जिस कारण विगत वर्ष भारी नुकसान क्षेत्रवासियों को उठाना पड़ा। मान्यवर, स्थिति कभी–कभी इतनी विकट हो जाती है कि जान बचाने के लिए घर खाली करने पड़ते हैं। विगत वर्ष की बरसात के बाद नगर निगम द्वारा नाले के कुछ भाग पर पुश्ता निर्माण कराया गया, लेकिन कुछ भाग अभी अवशेष है, कुछ भाग पर पुश्तें की ऊँचाई कम है, जिससे भारी बरसात में पानी का खतरा हो सकता है। अतः नाले के पुश्ते को ऊँचा कराया जाना जरूरी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के पैंढी–कुजासू मोटर मार्ग की कटिंग का लो0नि0वि0 द्वारा ठेकेदारों का भुगतान अभी तक नहीं किए जाने से मजदूरों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के लोक निर्माण विभाग द्वारा हल्का वाहन मार्ग के रूप में विगत 3 वर्ष पूर्व पैंढी–कुलासू मोटर मार्ग की कटिंग करने एवं ठेकेदारों को भुगतान आज तक भी न होने से मजदूरों में व्याप्त जनाक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, उक्त मार्ग को हल्के वाहन मार्ग के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जन आन्दोलन के बाद उक्त मार्ग पर कटिंग कार्य हुआ जो कि आज तक भी अधूरा है। परन्तु विभाग द्वारा आज तक भी इस सड़क कटिंग पर लगे ठेकेदारों सहित मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया। जिससे स्थानीय नागरिकों एवं मजदूरों में रोष व्याप्त है।

अतः महोदय इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय में विश्राम गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग वी0आई0पी0 जिला है। यह जनपद 1997 में बना, किन्तु आज दिन तक इस जनपद में किसी भी विभाग ने विश्राम गृह का निर्माण नहीं कराया है। फलतः रुद्रप्रयाग मुख्यालय में ठहरने की बड़ी अव्यवस्था है। लोक निर्माण विभाग ने विश्राम गृह निर्माण करने का आगणन शासन में भेजा है। जिला मुख्यालय में कम से कम एक विश्राम गृह होना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग में विश्राम गृह निर्माण हेतु सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे शासन में पड़े आगणन पर तत्काल कार्यवाही कर रुद्रप्रयाग में विश्राम गृह निर्माण की कार्यवाही करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद नैनीताल में भीमताल ब्लाक के ग्राम सूड़ी बेलगढ़ व चन्दा देवी में बेलगढ़ नाले से होने वाले भूमि कटाव का नियंत्रण/सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद नैनीताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सूड़ी बेलगढ़ व चन्दा देवी में बेलगढ़ नाले से होने वाले भूमि कटाव का नियंत्रण/सुरक्षा के सम्बन्ध में" श्री गिरीश पलड़िया एवं अन्य निवासीगण जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल के ग्राम बोहरागाँव में अत्यधिक पुरानी क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आनुज्ञा से "जनपद नैनीताल के ग्राम बोहरागाँव में अत्यधिक पुरानी क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, स०वि०स० द्वारा तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आर० एस० रावत, उत्तरकाशी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 द्वारा यह अभिसूचित किया गया कि तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आर० एस० रावत, उत्तरकाशी ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त, 2004 द्वारा कतिपय सूचनायें अपने विधायी कार्यों के कुशल संचालन के लिए माँगी थी। किन्तु एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी जब सूचनायें प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने पुनः दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुस्मरण पत्र भेजा तथा लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन, उत्तरकाशी में मौखिक रूप से श्री आर० एस० रावत, बी० एस० ए० को माँगी गई सूचनायें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपरोक्त सूचनायें उपलब्ध न होने के कारण उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री के पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2005 द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा माननीय सदस्य को उनके द्वारा अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रावत द्वारा यह अनुरोध किया गया कि माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना माँगी गई थी, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य के प्रतिनिधि से दूरभाष पर उनके द्वारा अनुरोध किया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वांछित सूचना विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध रहती है। वह वांछित सूचना विकास खण्ड स्तर से प्राप्त करके दिनांक 30 सितम्बर, 2004 तक माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे, किन्तु इसी दौरान दिनांक 20/21 सितम्बर, 2004 को उनके उत्तरकाशी से देहरादून स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप माननीय सदस्य को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसके लिए तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी सम्प्रति प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज, बुलावाला, देहरादून को सचेत किया जा रहा है।

उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2458(1)/सामान्य प्रशासन/2003, दिनांक 30 सितम्बर, 2003 द्वारा शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष को सूचित किया गया है कि संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। उक्त अनुदेश का अनुपालन इस प्रकरण में नहीं किया गया है। माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना तथा उपलब्ध कराई गई वस्तुस्थिति की जानकारी के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा माँगी गई सूचना तथा दिये गये पत्रों पर यथा सम्भव तत्काल कार्यवाही की जाय और की गई कार्यवाई की सूचना माननीय सदस्यों को भी यथाशीघ्र दी जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट, स0वि0 सभा द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चमोली एवं अन्य के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के अनुसार सर्व–शिक्षा के अन्तर्गत जनपदवार प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण तथा इन विद्यालयों की चयन प्रक्रिया में माननीय विधायकों एवं सांसदों को सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था। जिसके उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन प्राथमिक एवं नवीन जूनियर हाई स्कूलों के चयन में बेसिक शिक्षा समिति में माननीय सांसद एवं माननीय विधायक या उनके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। परियोजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित की गई है जिसमें माननीय सांसदों एवं माननीय विधायकों की संस्तुतियों एवं प्रस्तावों को वरीयता के आधार पर लिया जाता है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री अनिल नौटियाल एवं श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा बेसिक शिक्षा समिति की बैठकों में माननीय शिकायतकर्ता सदस्यों को न बुलाने तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति में प्राथमिक तथा नवीन जूनियर हाई स्कूलों के चयन में विधायकों की संस्तुति तथा प्रस्तावों को न मानने के सम्बन्ध में दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पृथक्–पृथक् रूप में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई। उक्त दोनों सूचनाओं का विषय एक ही होने के कारण दोनों सूचनाओं को समेकित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 6 मई, 2005 तथा पुनः दिनांक 29 जुलाई, 2005 को स्मरण पत्र भेजा गया।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2005 के द्वारा अवगत कराया कि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तरांचल सभी के लिये शिक्षा परिषद् देहरादून एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, चमोली द्वारा अपने पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 2004 के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक के सम्बन्ध में जिला पंचायत अध्यक्ष को अवगत कराया गया कि समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में लोक सभा एवं विधान सभा के माननीय सदस्य होते हैं। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 31 सितम्बर, 2004 द्वारा निर्देशित किया कि जनपद में नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किये जाने हेतु दिनांक 2 फरवरी, 2005 को जिला समिति की बैठक नियत की जाय तथा बैठक में समिति के सभी सदस्यों सहित दो माननीय विधायक डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, बद्रीनाथ, विधान सभा क्षेत्र तथा श्री गोविन्द लाल शाह, पिण्डर विधान सभा क्षेत्र को आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में बुलाया जाय।

इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों सहित उक्त दोनों माननीय सदस्यों को आमंत्रण पत्र भेजा तथा दोनों विधायकों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। जिला बेसिक शिक्षा समिति के गठन से सम्बन्धित शासनादेश सं0 1191/15–5–95–34/92, दिनांक 28 फरवरी, 1996 में मात्र यह उल्लिखित होने पर कि लोक सभा/विधान सभा के सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र या उसका भाग जिले की सीमा के भीतर पड़ता हो, को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जायेगा, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि कितने विधान सभा के माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया जायेगा। इसलिए जिला समिति के अध्यक्ष/मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सम्भवतः दो ही विधायकों को आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय शिक्षा मंत्री ने सूचित किया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विधायकों को बैठक में आमंत्रित न करने के पीछे उनके मस्तिष्क में कोई दुरभिसंधि अथवा दुराशय नहीं है तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा मा0 शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की जानकारी के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा आभास नहीं होता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने माननीय सदस्यों को जानबूझकर समिति की बैठक में नहीं बुलाया।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 2006 की बैठक में दिनांक 27 मार्च, 2006 से दिनांक 03 अप्रैल, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>मार्च, 2006</u>

27 सोमवार (1) वित्तीय वर्ष, 2006–07 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 01:00 बजे)

	(2) वित्तीय वर्ष, 2006–07 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण। (01:00 बजे)
	(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
	(4) वित्तीय वर्ष 2006–07 के एक भाग के लिए लेखानुदान पर चर्चा एवं मतदान। (सायं 05:00 बजे)
	(5) उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं पारण।
<u>विधायी कार्य</u>	(1) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
	(2) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल(अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
28 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
29 बुधवार	बैठक नहीं होगी।
30 गुरुवार	अवकाश (चेटी चन्द)।
31 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।
<u>अप्रैल, 2006</u>	
01 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
02 रविवार	अवकाश।
03 सोमवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।
	(2) वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक पर चर्चा।
<u>विधायी कार्य</u>	(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
	(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
	(3) राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं मौ0 सहजाद, श्री अजय भट्ट, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्री काशी सिंह ऐरी व श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है। आज 50 दिन हो गये हैं, जिले का सवाल है। मेरा अनुरोध है कि ग्राहयता पर सुन लें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, इस सूचना का उत्तर हमारे पास नहीं आया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अभी तो काफी समय है, फैक्स से उत्तर मंगाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, दो लाईन का उत्तर दे दीजिएगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चूँकि हमारे पास उत्तर नहीं आया है, इसलिए जो भी मैं कहूँगी, उसे आपको स्वीकार करना होगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मुझे स्वीकार है।

*श्री सहजाद–

जनपद हरिद्वार में औद्योगीकरण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहाँ के बेरोजगार नौजवान युवकों द्वारा अपनी जमीन व घर–बार गिरवी रखकर ट्रैक्टर–ट्राली खरीदी गई और इसके अन्तर्गत रोजगार प्रारम्भ किया। लेकिन वहाँ के प्रशासन द्वारा इन ट्रैक्टर–ट्रालियों को पकड़ कर उन को बेकार में बन्द किया जा रहा है और उन पर 5000 हजार से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाता है। मान्यवर, आज हरिद्वार में स्थिति यह है कि वहाँ के नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है। जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन थी उनकी बिक चुकी है। यदि उनसे यह रोजगार भी छिन जायेगा तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। मान्यवर, आज की तारीख में नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही है। सरकार कहती है कि क्षेत्र के 70 प्रतिशत लोगों को वहाँ लग रही फैक्ट्रियों में रोजगार दिया जायेगा। किन्तु वहाँ पर सात प्रतिशत लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। जो भी फैक्ट्रियाँ आती हैं वे जहाँ से आती हैं वहीं के लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देती हैं। क्षेत्र के तो मात्र कुछ प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। मान्यवर, आज हरिद्वार में दमन दीव का ट्रांसपोर्ट आ रहा है। मान्यवर, हरिद्वार के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वहाँ की जनता आन्दोलन के लिए आतुर है और कभी भी उनका आन्दोलन गम्भीर रूप धारण कर सकता है, और उस वक्त वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यदि वहाँ पर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। मान्यवर, आज वहाँ के बेरोजगारों के पास जमीन है नहीं, किसान भोला-भोला होता है, जमीनें उनकी बिक रही हैं लेकिन उसके पास पैसा रुकता नहीं। ऐसी हालत में वहाँ के काश्तकारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है। यदि वहाँ के किसान अपने खेतों से ट्रैक्टर-ट्राली के माध्यम से जहाँ भराव करना होता है करता है तो उस पर भी वहाँ के प्रशासन द्वारा रोक लगा दी जाती है और उन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। यह न्यायसंगत नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में विगत महीनों में अवैध खनन और अवैध परिवहन सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से दो मामले सचिव, औद्योगिक विकास के सम्मुख अपीलीय अधिकारी के रूप में सुनवाई हेतु प्रस्तुत भी हुए। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आये कि सम्बन्धित लोगों द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं अन्य भूमि से बिना रवन्ने के मिट्टी का अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा था। उत्तरांचल उप खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 70 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोगों से एम0एम0-11 रवन्ना प्राप्त नहीं हुआ । इस प्रकार किये जा रहे अवैध खनन और परिवहन को दृष्टि में रखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा एम0एम0डी0आर0 एक्ट की धारा 21 (1) एवं 21 (2) के अधीन समुचित अर्थ दण्ड दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा किसी भी बेरोजगार नौजवान को नियमानुसार रोजगार करने से नहीं रोका गया है।

श्री सहजाद-

मान्यवर, जहाँ रवन्ना कट रहा है वहाँ भी अवैध खनन हो रहा है। मान्यवर, मैं नदियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नदी के बाहर जहाँ पर काश्तकार के अपने खेत हैं यदि वह अपने खेत से मिट्टी उठा रहा है तो उससे भी 25 हजार रुपये जुर्माना लिया जा रहा है। यह न्यायसंगत नहीं है। मान्यवर, जो जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है उसकी सूचना मुझे पूर्व में ही डी0एम0 साहब द्वारा दे दी गई है कि आपका जवाब भेज दिया गया है। मान्यवर, यह उन्होंने एक्ट के अनुसार दिया है। मैं गंगा नदी की बात नहीं कर रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, यह ग्राम समाज की भूमि पर बिना रवन्ने के मिट्टी के अवैध खनन के बारे में भी है।

वन एवं शहरी विकास मंत्री–*(श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर अपने खेत में भी खनिज है, तब भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होती है।

श्री सहजाद–

मान्यवर, अनुमति शासन स्तर पर नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पहले गोला और हरिद्वार की नदियों में बहुत अवैध खनन हुआ। इस अवैध खनन को रोकने के लिए मंत्रिपरिषद् की उप समिति बनी। उस समिति ने निर्णय लिया कि अपने खेत की मिट्टी उठाने के लिए भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। मान्यवर, उस समिति में मैं भी हूँ, इसलिए आपको यह जानकारी दे रहा हूँ।

श्री सहजाद–

मान्यवर, 25 हजार रु0 जुर्माना लिया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपकी बात प्रमाणिक होने के नाते इस पर बात करूँगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गिने चुने ही रह गये हैं और उनके प्रति भी यह सरकार कोई गम्भीर दिखाई नहीं दे रही है। मान्यवर, चूँकि एक उदाहरण के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रेम सिंह नेगी जी जिला टिहरी गढ़वाल के मूल निवासी हैं तथा दि0 03–11–2005 से लापता है। मान्यवर, इन्हें अन्तिम बार देहरादून में देखा गया। मान्यवर, दि0 15–11–2005 को अपहरण एवं हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट देहरादून कोतवाली में, जिसका अपराध संख्या 473/05, दर्ज करायी गयी है। मान्यवर, एक तरफ जेसिका लाल हत्या के लिए भारत सरकार चिन्तित रहती है, दूसरी तरफ जिन्होंने आज हमको आजादी दी, जिनकी बदौलत हम स्वतंत्र हुए, जिनके कारण कहीं भी आने–जाने को स्वतंत्र हैं, जिन्होंने अपने बलिदान एवं त्याग के जरिये हमें स्वतंत्र कराया है आज उनकी खोजबीन तक करने की सरकार ने कोई जरूरत नहीं समझी। मान्यवर, चार माह 24 दिन से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लापता है और उनके पुत्र ने, जो एक अधिवक्ता है, अपने पिता की अपहरण एवं हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी है। मान्यवर, इतना ही नहीं जब सरकार ने कोई कार्यवाही नही की तब उनके पुत्र ने 20 हजार का इनाम अपने पिता की सूचना देने वाले की घोषणा की है। यह सूचना जगह–जगह अखबारों में छपवायी गयी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो सब के लिए पूजनीय है, भारत वर्ष के लिए पूजनीय है, उनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगाना गम्भीर बात है। मान्यवर, आज उनके पुत्र, जो एक एडवोकेट भी हैं, श्री भरत सिंह अपने पिता के लिए जगह–जगह भटकते रहे। जहाँ–जहाँ वे गये वहाँ के अधिकारियों का रूख भी उनके प्रति ठीक नहीं रहा। मान्यवर, इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। मान्यवर, हम कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, जब एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, जो लापता है, जिनकी मरे और जिंदा की कोई खबर नहीं है तो उत्तरांचल में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी यह विचारणीय है। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए पूरे सदन की आज की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दिनांक 15–11–2005 को श्री भरत सिंह नेगी पुत्र श्री प्रेम सिंह नेगी, एडवोकेट कोर्ट कम्पाउन्ड नई टिहरी ने थाना चम्बा में अपने पिता श्री प्रेम सिंह, स्वतंत्रता सेनानी का दिनांक 3–11–05 को दिन में करीब 1:30 बजे 19–बी राजपुर रोड से अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया तथा चिन्तामणि भट्ट निवासी ग्राम सेमवाल जनपद टिहरी पर सन्देह होने की बात दर्ज करायी। थाना चम्बा से अभियोग दिनांक 5–12–2005 को थाना कोतवाली देहरादून को स्थानान्तरित कर, थाना कोतवाली, देहरादून द्वारा विवेचना करायी गयी। विवेचना के दौरान वादी पक्ष ने आरोप लगाये कि चिन्तामणि भट्ट निवासी टिहरी गढ़वाल ने उनके पिता के रुपये वापस न करने व हड़पने की नीयत से सतीश भट्ट व अन्य के साथ मिलकर उनका सुनियोजित तरीके से अपहरण कर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में विवेचना से पाया गया कि श्री प्रेम सिंह ग्राम सेमवाल, टाटा सूमों से देहरादून तक आये थे। श्री प्रेम सिंह नेगी लगभग 85 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं। उनकी खोजबीन हेतु सभी प्रयास किये गये हैं। जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो देहरादून के माध्यम से आस–पास के जनपदों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सूचना हेतु पोस्टर चिपकाये गये तथा लगातार सूचना भेजी गई। समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रसारण किया गया। महत्वपूर्ण अभियोग होने के कारण विवेचना प्रचलित है तथा गुमशुदा की तलाश के प्रयत्न जारी हैं। अभी उनकी जानकारी नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मामला है, क्या सरकार इसकी विवेचना सी0बी0आई0 से कराने की स्वीकृति देगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस पर जाँच अभी इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कर रखी है और विशेष ढंग से जाँच कराई जा रही है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगी तो कराई जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर शिक्षा मित्र की व्यवस्था इस उद्देश्य के साथ लागू की गई थी कि दूर–दराज क्षेत्रों में जहाँ अध्यापक विद्यालयों में जाते नहीं है, विद्यालयों में ताले बन्द रहते हैं, इसलिए उन विद्यालयों में सुचारू रूप से अध्यापक हों तो इस दृष्टिकोण को लेकर पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मित्र की व्यवस्था लागू की और मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार ने भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मान्यवर, जिस उद्देश्य से शिक्षा मित्र की व्यवस्था लागू की गई, पर मुझे अफसोस है कि वर्तमान में शिक्षा मित्र की व्यवस्था लागू होना असम्भव है। मान्यवर, उत्तरांचल में मैं चमोली की बात बताऊँ तो वहाँ पर विद्यालय तो हैं पर वहाँ आज भी शिकायत है कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं पहुँच रहे हैं, गाँव के छात्र को ही पढ़ने के लिए रखा जाता है। मान्यवर, इस तरह के मामले सामने आये हैं और प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्र की विज्ञप्ति जारी की जाती है और विज्ञप्ति इस तरह से लिखी जाती है कि अपने चहेतों को सरकारी सेवा दी जाये। मान्यवर, विज्ञप्ति में स्पष्ट है कि शिक्षा मित्र की योग्यता स्नातक हो।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र भण्डारी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य अपनी मूल बात पर आयें, जिस पर आपत्ति है वही कहें।

श्री अध्यक्ष–

आप मूल बात ही कहें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं अपनी मूल बात पर ही आ रहा हूँ। मान्यवर, मैंने कहा कि शिक्षा मित्र की विज्ञप्ति निकाली, मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, शिक्षा मित्र की विज्ञप्ति में कहा गया कि योग्यता स्नातक रखी जायेगी इसके साथ ही कहा गया कि शिक्षा मित्र ग्राम सभा स्तर पर स्नातक लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अनियमितता के बारे में कहें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, इसमें कहा गया कि गाँव में स्नातक नहीं मिलेगा तो ब्लाक स्तर पर लेंगे और आपने विज्ञप्ति में बी0एड0 कहा और सी0पी0एड0 और डी0पी0एड0 को प्राथमिकता देंगे। जो कहा गया था कि गाँव के व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे उसे दरकिनार किया गया। चमोली में इसमें धाँधली की गई है। ग्राम शिक्षा समिति से आवेदन लिया

जायेगा बाद में ब्लाक प्रमुख के अनुमोदन के बाद सूची भेजे जाने का प्राविधान था। विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत इसमें अनियमित नियुक्ति दी गई है। जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी इसको निरस्त करता है तो खण्ड शिक्षा अधिकारी ट्रेनिंग पर भेज देता है। मान्यवर, कई बार विज्ञप्ति निकाली गई। पहली विज्ञप्ति लगभग 18 फरवरी, दूसरी करीब 19 फरवरी को संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई। जिसमें लिखा गया कि प्राथमिक विद्यालय आली काण्डई एवं गोदी गिंवाला में शिक्षा मित्र पूर्व से कार्यरत हैं, अतः अग्रिम आदेशों तक इन दोनों विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति स्थगित की जाती है।

मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी को पता ही नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र पूर्व में कार्यरत हैं। एक गाँव भरतपुर है वहाँ पूर्व से एक शिक्षक कार्य कर रहा है। यहाँ पर शिक्षा मित्र का पद विज्ञाप्ति किया जाता है परन्तु वहाँ पर एक ही छात्र अध्ययनरत है। ऐसे में पूर्व से 12000 वेतन के एक अध्यापक एवं 4000 वेतन के शिक्षा मित्र की नियुक्ति हास्यास्पद है। परन्तु भरतपुर को आज भी निरस्त नहीं किया गया। मान्यवर, आज स्थिति यह हो गई है कि चमोली के अन्तर्गत जो भी नियुक्ति हुई है उसमें लेन–देन की बात आ रही है। माननीय मंत्री जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इसकी जाँच करायें। आपका जिले का शिक्षा अधिकारी, आपने खण्ड में शिक्षा समिति बनाई, ग्राम सभा में शिक्षा समिति बनाई, आपने जिले में शिक्षा समिति बनायी। एक बार आपने रिजर्वेशन नहीं किया। एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें रिजर्वेशन बार–बार बदला है, आपने जनपद चमोली में 17 बार संशोधित विज्ञप्तियाँ निकाली हैं। मैं विशेषरूप से आरोप लगाना चाहता हूँ वहाँ पर बड़ी मात्रा में पैसों का लेन–देन किया गया है और शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दी गई। मैं चाहूँगा कि इसकी एक स्पष्ट जाँच की जाये जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मान्यवर, इसकी स्पष्ट जाँच कराने की सदन में घोषणा की जाय, यह गम्भीर विषय है, अविलम्बनीय विषय है, इसलिए आज की समस्त कार्यवाही को रोकते हुए इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या 9 को स्थगित कर मद संख्या 10 को ले रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2006–2007 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 10 पर माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी वित्तीय वर्ष, 2006–2007 का आय–व्ययक प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कृपया बैठकर ही पढ़ें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठकर ही पढ़ें।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूँ माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, आपने मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे बैठकर पढ़ने की अनुमति दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2006–07 का बजट तथा एक माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस परम सम्मानित सदन के समक्ष प्रदेश की प्रथम निर्वाचित सरकार का लगातार पाँचवा बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार का दूसरा बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें केन्द्र सरकार की प्राथमिकताएं एवं रणनीति स्पष्ट की गई है ताकि देश की आर्थिक प्रगति में गति आ सके। उत्तरांचल राज्य में भी इसी आधार पर तथा उत्तरांचल राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक कार्यवाही की गई है।

भारत निर्माण में उत्तरांचल निर्माण

गत वर्ष मैंने इस सम्मानित सदन को अवगत कराया था कि केन्द्र सरकार द्वारा "भारत निर्माण" के लिए वर्ष 2009 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनके अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0), त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी), ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं सम्मिलित हैं। इन योजनाओं तथा क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में रु0 18696 करोड़ का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष से लगभग 54% अधिक है। इन केन्द्रीय योजनाओं में हमने आय–व्ययक की मदों में अतिरिक्त व्यवस्था की है जिसका वर्णन आगे किया गया है।

भारत सरकार द्वारा आठ अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं, जिनमें सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, राजीव गाँधी पेयजल मिशन, सम्पूर्ण सफाई अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण नवीकरण मिशन हैं। भारत सरकार द्वारा आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए 2005–06 में कुल रु0 34927 की धनराशि आवंटित की गई थी। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल आवंटन रु0 50015 करोड़ होगा जो रु0 15088 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि या 43.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है। हम भारत निर्माण में उत्तरांचल निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन आठ अग्रगामी कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक आवंटन प्राप्त कर उत्तरांचल के निर्माण को और अधिक गति प्रदान ? का प्रयास करेंगे।

आर्थिक परिदृश्य

राज्य की सकल आय एवं सकल घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वमान्य मेरुदण्ड है। उत्तरांचल राज्य के सृजन के पूर्व वर्ष 1994–95 से 1999–2000 की अवधि में उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश का भाग रहते हुए विकास की औसत दर अपेक्षाकृत काफी कम (3.2%) तथा अस्थिर रही थी। राज्य सृजन के उपरान्त वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि में विकास की औसत दर अपेक्षाकृत बेहतर रही है। वर्ष 2000–01 में यह वृद्धि दर 10.7%, 2001–02 में 5.9%, 2002–03 में 10.2%, 2003–04 में 11.7% तथा 2004–05 में 11.69% अनुमानित है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरांचल राज्य के लिए स्थिर भावों पर वृद्धि दर का लक्ष्य 6.8% रखा गया था, राज्य में दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में विकास दर क्रमशः 10.2%, 11.7% तथा 11.69% अनुमानित की गयी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सत्तापक्ष को बजट भाषण को सुनने में रूचि नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

(बजट भाषण क्रमगत)

इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर क्रमशः 4.0%, 8.5% तथा 6.9% रही।

वर्ष 2004—05 में स्थिर (1993–94) भावों (कान्स्टैंट प्राइस) पर उत्तरांचल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रु0 11057 करोड़ अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष 2003–04 के रु0 9899 करोड़ के सापेक्ष 11.69% अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 6.9% रही। प्रचलित भावों (करेन्ट प्राइस) पर वर्ष 2003–04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रु0 17369 करोड़ अनुमानित किया गया जो कि वर्ष 2004–05 में बढ़कर रु0 20205 करोड़ हो गया है। इस प्रकार प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान में 16.33% की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर (93–94) भावों पर वृद्धि दर क्रमशः 11.24%, 12.82%, 12.71%, 14.66% तथा 14.86% का लक्ष्य हैं इन्हीं वर्षों में प्रचलित भावों पर क्रमशः 15.39%, 18.46%, 18.28%, 20.09% तथा 20.46% की वृद्धि दर का लक्ष्य है। इस सम्मानित सदन के सदस्यों एवं प्रदेश की समस्त जनता के सहयोग के बिना यह विकास दर प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं हो सकता था और भविष्य में भी मैं आपसे सहयोग की कामना करता हूँ।

वार्षिक योजना

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का आकार प्रचलित भावों पर रु0 9050 करोड़ निर्धारित किया गया था। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि वार्षिक योजना 2006–07 का आकार केन्द्र सरकार द्वारा रु0 4000 करोड़ निर्धारित किया गया है। 2001–02 में योजना का आकार रु0 1050 करोड़ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002–03 से 2006–07 में रु0 11707.31 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया :–

(रु0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय
1	2
2002–03	1534.13
2003–04	1607.75
2004–05	1865.37

1	2
2005—06	2700.00
2006—07	4000.00
10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्वीकृत परिव्यय	11707.31

वार्षिक योजना के आकार में प्रतिवर्ष वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप ही यह उच्च विकास दर प्राप्त हुई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रचलित भावों पर अनुमानित धनराशि रु0 9050 करोड़ के सापेक्ष रु0 11707.31 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत हुआ जिसके लिए हम कैन्द्रीय योजना आयोग के आभारी हैं। हमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कम से कम रु0 30 हजार करोड़ की योजना हेतु प्रयास करना होगा ताकि हमारा प्रदेश, देश के विकास दर के मामले में एक ''अग्रगण्य प्रदेश'' (फ्लैगशिप) के रूप में जाना जाए।

मैं वर्ष 2006—07 के आय—व्ययक के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा:—

- बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। राजस्व स्रोतों के प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन से संसाधनों में बढ़ोत्तरी के प्रयास किए जायेंगे।
- गत वर्षों के वित्तीय अनुशासन से कई सार्थक परिणाम सामने आये हैं। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2005—06 में राजस्व घाटा जो रु0 433.59 करोड़ अनुमानित था, वर्ष 2006—07 में घटकर रुपया 155.71 करोड़ रहने का अनुमान है और मुझे विश्वास है कि आगामी वर्ष 2007—08 में और सुधार होगा।
- वर्ष 2006—07 के अनुमानों के अनुसार आयोजनागत पक्ष में कुल रु0 5024.73 करोड़ का प्राविधान है जो गत वर्ष के मूल आय—व्ययक अनुमानों की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। योजनागत परिव्यय के अतिरिक्त कुछ अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाएं समाहित की गई हैं, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों को अधिक गति मिले।
- मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य के कर राजस्व की प्राप्तियों में भी प्रदेश ने विशेष सफलता प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2005—06 में कर राजस्व का अनुमान रु0 2579.64 करोड़ था जिसके सापेक्ष 2006—07 में अनुमानित प्राप्ति रु0 3136.70 करोड़ है जो गत वर्ष की तुलना में 21.59 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य में बेरोजगारों की स्थिति में सुधार लाने हेतु केन्द्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को राज्य के तीन जनपदों में लागू की गई है और प्रयास किया जा रहा है कि अगले वर्ष केन्द्र सरकार कम से कम छः जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध करा सके।
- राज्य सरकार द्वारा भी बेरोजगारी कम करने के लिए विशेष पहल करते हुए समस्त जनपदों में उत्तरांचल सार्वभौमिक रोजगार योजना का शुभारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु रु0 32.50 करोड़ का प्राविधान है।

- केन्द्र सरकार ने मार्च, 2006 में 1 जनवरी, 2006 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की घोषणा की है अतः उसी दर से उसी तिथि से राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को यह सुविधा उपलब्ध कराएगी।

  राज्य कर्मचारियों द्वारा आवास निर्माण हेतु आसान ब्याज दरों पर ऋण तथा बीमा से आच्छादित बैंक ऋण एवं अग्रिम दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। भविष्य निधि नियमावली का सरलीकरण किया गया है तथा चिकित्सा परिचर्या हेतु बीमा कम्पनी के माध्यम से सरकारी एवं ख्याति प्राप्त निजी क्षेत्र के अस्पतालों में उपचार कराने हेतु सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों को स्मार्ट कार्ड निर्गत किए जाने की कार्ययोजना बनाई गई है।

- मुझे इस सम्मानित सदन को सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि वर्ष 2006–07 में प्रदेश के सभी वर्गों के 65 वर्ष से अधिक पात्र वृद्ध को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन रु0 200 प्रतिमाह केन्द्राँश तथा रु0 200 राज्याँश के अतिरिक्त 60 से 65 वर्ष के वृद्ध, विकलाँग व निराश्रित विधवाओं की पेंशन धनराशि रु0 250 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 400 प्रतिमाह की जाएगी, जो कि वर्ष 2004–05 के सापेक्ष 60 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित करती है।

- "स्पेशल कम्पोनेंट प्लान" एवं "ट्राईबल सब–प्लान" के अन्तर्गत 2006–07 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए रु0 795.32 करोड़ तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 148.87 करोड़ का प्राविधान किया गया है। "स्पेशल कम्पोनेंट प्लान" में गत वर्ष की तुलना में लगभग 133 प्रतिशत धनराशि की बढ़ोत्तरी की गई है।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक (अकलियत) वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति चालू वर्ष में दोगुनी की गई है। कक्षा 1 से 5 तक मासिक छात्रवृत्ति रु0 25 से बढ़ाकर रु0 50 की गई है। इसी प्रकार कक्षा 6 से एवं 9 से 10 की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। दशमोत्तर (आवासीय) रु0 425 से रु0 740, दशमोत्तर अनावासीय रु0 190 से रु0 330, अस्वच्छ पेशे में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 को रु0 200 से बढ़ाकर रु0 300 एवं कक्षा 6 से 10 के लिए रु0 250 से बढ़ाकर रु0 375 प्रतिमाह की गई है। छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना से लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा।

- मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एवं मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने हेतु "प्रोजेक्ट तालीम" के माध्यम से मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा दिए जाने की कार्यवाही गतिमान है। अल्पसंख्यक समुदाय

(अविलयत) के युवक एवं युवतियों को रोजगारपरक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से "प्रोजेक्ट बुलन्द" प्रारम्भ किया जा रहा है तथा इस समुदाय में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु रु0 50 लाख का शुरुआती प्राविधान किया जा रहा है। मौलाना आजाद फाउंडेशन से भी धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

- "हिमाद्रि" ब्रॉण्ड नाम से प्रदेश में निर्मित हस्त शिल्प एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु यात्रा मार्ग तथा बद्रीनाथ, केदानाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, पिरान कलियर शरीफ, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर विशेष बिक्री केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। "हिमाद्रि" ब्रॉण्ड नाम से राज्य की विशिष्ट पहचान बनाने हेतु नई दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में भी विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- प्रदेश में पन्तनगर, हरिद्वार सैलाकुई एवं कोटद्वार के औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त राज्य में सार्वजनिक निजी सहभागिता में 18 औद्यागिक आस्थान विकसित किए गए हैं एवं सितारगंज में 'एल्डिको' के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिनमें अब तक लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश वचनबद्ध हुआ है जिससे लगभग 1 लाख 50 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है। अब तक 262 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है एवं इससे 14 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रमुख निवेशकों में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, ऑल्पस इण्डस्ट्रीज, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फोनिक्स लैम्प्स् ब्रिटॉनियाँ, डॉबर, बोल्टाज, हल्दी राम आदि हैं। वर्षों से बन्द पड़ी काशीपुर एवं जसपुर कताई मिलों को निजी सहभागिता से संचालित किया गया है।
- राज्य में विभिन्न वर्गों हेतु सामाजिक सुरक्षा/चिकित्सा बीमा की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 3 लाख 65 हजार परिवारों में दुर्घटना/विकलाँगता हेतु बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से कराया गया है, वर्ष 2006–07 के बजट में प्रीमियम के भुगतान हेतु रु0 3.81 करोड़ की व्यवस्था है। राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है। राज्य के 9.5 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू की गई है। इसी प्रकार फूलों की घाटी, हेमकुण्ड साहिब के पर्यटकों, श्री केदारनाथ क्षेत्र के खच्चर मालिकों एवं श्रमिकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्र सुरक्षा बीमा योजना लागू करने के साथ–साथ आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए भी

विशेष बीमा योजना लागू की गई है। बुनकरों, छीपियों तथा इस प्रकार के शिल्पकारों हेतु अलग से बीमा योजना लागू है। हमारी सरकार एक विस्तृत कार्य योजना बना रही है ताकि सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा देय सम्पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- विभिन्न बीमा योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में "व्याधि निधि" की स्थापना की गई है जिससे निर्धन परिवारों को गम्भीर बीमारियों के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता की जाती है।
- राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के लिए रु0 3 लाख तक दुर्घटना बीमा के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।
- स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रत्येक जनपद को रु0 1 करोड़ के स्थान पर राज्य का अंशदान रु0 2 करोड़ यानि 13 जनपदों हेतु दोगुना कर कुल रु0 26 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- राज्य के विकास में महिलाओं की विशेष भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006–07 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" घोषित किया गया है।
- राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर रु0 3000 का विशेष अनुदान दिया जाएगा।
- केवल महिलाओं के नाम से भू–खण्ड/भूमि/दुकान एवं आवास के क्रय करने पर स्टॉम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी।
- हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है तथा प्रदेश में "जैण्डर बजटिंग" की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत सभी विभागों को निर्देशित किया गया है [illegible] तेव परिव्यय की धनराशि का लगभग 30 प्रतिशत [illegible] वों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए लक्षित किया [illegible]
- कार्यशील महिला कर्मियों की सुविधा व सुरक्षा हेतु देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, हल्द्वानी (नैनीताल) में एक–एक वर्किंग विमैन हॉस्टल की स्थापना की जाएगी।
- खेलों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न खेलों के परिषदों का गठन किया जा रहा है तथा उन्हें सहायता दी जा रही है ताकि हमारे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त कर सकें।

जिससे राष्ट्र एवं राज्य का सम्मान बढ़ सके। इसी को दृष्टि में रखते हुए देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है तथा अन्य शहरों में उपलब्ध स्टेडियम को और विकसित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 16 मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।

- राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत सभी पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी। इस क्रम में ग्राम पंचायत प्रधान को रु0 600 प्रतिमाह, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को रु0 3000 प्रतिमाह, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने पर रु0 200 प्रति बैठक प्रतिमाह, जिला पंचायत के सदस्यों को जिला पंचायत में बैठक लेने हेतु रु0 300 प्रति बैठक प्रति सदस्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष को रु0 4000 प्रतिमाह निश्चित यात्रा भत्ता/मानदेय दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति के व्यक्ति अक्सर ग्रामों अथवा शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित होते हैं, जहाँ अवस्थापना सुविधाओं का अभाव रहता है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित ग्रामों तथा मजरों के लिए "विलेज एक्शन प्लान" बनाकर अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्य हेतु रु0 50.35 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।
- आवास, नगर विकास विभाग की योजनाओं हेतु 2006–07 में दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर लगभग रु0 500 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी, ताकि नगरीय क्षेत्रों में मानक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है ताकि एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत बजट उपलब्ध कराकर कार्य पूरा किया जा सके।
- वित्तीय वर्ष 2006–07 में पेयजल की अतिरिक्त सुविधा हेतु 2500 हैण्ड पम्प की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने भी वर्ष 2006–07 के अपने बजट में उत्तरांचल को चाय निधि से सहायता तथा एक होटल प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के लिए चिन्हित किया है।
- जड़ी बूटियों के संवर्द्धन के लिए सहकारिता विभाग, वन विभाग व उद्यान विभाग के अनुदानों में कुल लगभग रु0 13.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2005–06 में स्वीकृत धनराशि रु0 168 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में रु0 246 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य है। वर्ष 2006–07 में राज्यांश के लिए 40 करोड़ का प्राविधान है।

- उर्दू भाषा किसी समुदाय की भाषा नहीं, अपितु विश्वव्यापी भाषा है अतः भाषा के विकास हेतु उर्दू अध्यापकों के 263 पद सृजित किए गए हैं। भारत सरकार से प्रथम बार रु0 1.26 करोड़ स्वीकृत हुआ है।
- मिड–डे–मील के लिए वर्ष 2006–07 में रु0 43.22 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- हाई स्कूल व माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिए रु0 15 करोड़ से बढ़ाकर रु0 34 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 127 प्रतिशत अधिक है।
- बेसिक स्कूलों में भवनों के अनुरक्षण हेतु रु0 6 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टिशिपेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम बार ज्वाइन्ट वेन्चर फण्ड हेतु रु0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अर्जन व प्रतिकर हेतु राज्यांश रु0 40 करोड़ से 50 प्रतिशत बढ़ाकर रु0 60 करोड़ किया गया है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अगले वर्ष लगभग रु0 400 करोड़ की कार्य योजना अनुमानित है।
- सिंचाई विभाग के बजट प्राविधान में लगभग 32 प्रतिशत वृद्धि कर रु0 544 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता, पिरान कलियर शरीफ तथा पूर्णागिरि आदि धार्मिक स्थलों के विकास हेतु समग्र रूप से कार्यवाही की जाएगी।
- चार धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बजट में समुचित व्यवस्था की गई है।
- राज्य के नवयुवकों को तकनीकी ज्ञान पर आधारित रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें, को दृष्टि से रखते हुए 15 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार के संस्थानों में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त उपकरणों की उपलब्धता हेतु अतिरिक्त बजट प्राविधान किया गया है ताकि प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा में गुणवत्ता आ सके और वे स्पर्द्धा के आधार पर रोजगार प्राप्त कर सकें।
- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि, आवास निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, कम्प्यूटर क्रय हेतु पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इफको के सौजन्य से 2006–07 में सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य के बैंकों में जमा होने वाली धनराशि राज्य के विकास में अधिक से अधिक उपयोग हो सके, की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं कि

राज्य स्थापना के समय ऋण जमा अनुपात 24.26 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर, 2005 में 43.89 प्रतिशत हो गया है तथा प्रयास किया जा रहा है कि यह अनुपात आगामी वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए।

- वर्ष 2004 से 2007 तक की अवधि में कृषि ऋण को दोगुना करने का लक्ष्य है, (रु0 555 करोड से रु0 1110 करोड) जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2005 तक रु0 718.36 करोड कृषि ऋण बैंको द्वारा वितरित किया जा चुका है।
- कृषि ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क छूट की सीमा रु0 1 लाख से बढ़ाकर रु0 3 लाख की गई है।
- वर्ष 2006–07 में 281615 बी0पी0एल0 परिवारों को कुटीर ज्योति तथा अन्य योजनाओं के अधीन निःशुल्क विद्युत संयोजन दिया जाएगा।
- प्रख्यात शंकर नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से देहरादून में नेत्र चिकित्सालय तथा अन्य कतिपय स्थानों पर वेनु चिकित्सालय के सहयोग से नेत्र चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य में चिकित्सा शिक्षा के प्रसार तथा अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा के आधार पर श्रीनगर एवं रुद्रपुर में मेडिकल कालेज हेतु व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स) की स्थापना हेतु अपने बजट में व्यवस्था की गई है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रभावी समन्वय कर इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यशील बनाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में गुरू रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हैल्थ एण्ड साईंस की स्थापना में भी राज्य सरकार द्वारा सहयोग दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट–जौली ग्रांट को कैंसर उपचार की सुविधा स्थापना हेतु रु0 10 करोड एवं हल्द्वानी वन ट्रस्ट अस्पताल को विशिष्ट उपचारों हेतु रु0 10 करोड उपलब्ध कराया गया है।
- वन चिकित्सालय, हल्द्वानी में करूणा निधि की स्थापना की जाएगी, ताकि वहाँ पर असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।
- राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर पर बढ़ोत्तरी को दृष्टि में रखते हुए दून विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, हिमनभ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, आई0सी0एफ0ए0आई0 विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इन विश्वविद्यालयों में उच्च मानकों पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।
- कुमायूं विश्वविद्यालय के भीमताल एवं अल्मोड़ा परिसर तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी एवं नई टिहरी परिसर में कुल चार डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
- हथकरघा–बुनकर, छीपियों आदि के कल्याण हेतु बजट में रु0 50 लाख का प्राविधान किया गया है जिसे आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में बढ़ाया जाएगा।

- राज्य में बायो–टेक्नॉलोजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उच्चस्तरीय विकास एवं राज्य में ज्ञान केन्द्र की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए पन्तनगर में बायो–टेक्नॉलोजी पार्क तथा पन्त नगर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में पटवाडॉगर (नैनीताल) में व्यवस्था की गई है तथा देहरादून में आई0टी0 पार्क के विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इस प्रकार की अवस्थापना सुविधा से राज्य तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ ही राज्य के उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को रोजगार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी होगी।
- 2004–05 पेराई सत्र में पेरे गए गन्ने का सम्पूर्ण रु0 410.54 करोड़ पेराई सत्र 2005–06 के प्रारम्भ में भुगतान कर दिया गया है तथा 2005–06 में गन्ना मूल्य में रु0 8 प्रति कुन्तल बढ़ोत्तरी की गई। पन्त नगर विश्वविद्यालय तथा गन्ना किसान संस्थान, काशीपुर के तत्वाधान में गन्ना विकास हेतु टिश्यू कल्चर तकनीकी इकाई की स्थापना पर कार्यवाही की जा रही है।
- राज्य के प्रशासन एवं सामान्य प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने हेतु उक्त आयोग द्वारा समुचित संस्तुतियाँ की जा सकें।
- राज्य में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए सूचना के अधिकार आयोग का गठन किया गया है।
- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार द्वारा "सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम" तथा योजना पर बल देने के फलस्वरूप उत्तरांचल के कई ग्रामों को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत किया गया।
- राज्य में सूखे से निपटने के लिए राजस्व के मुख्य देयों को स्थगित करना, वसूली के लिए कोई उत्पीड़क कार्यवाही न करना, क्षतिग्रस्त हैण्ड–पम्पों को ठीक कराना तथा नए हैण्ड–पम्प लगवाने के साथ–साथ टैंकरों / खच्चरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समुचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा भारत सरकार से समुचित सहायता हेतु अध्ययन दल भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।
- राज्य में वित्त विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में राजकोषीय प्रबन्धन, शोध एवं विश्लेषण संगठन की स्थापना की जाएगी। यह संगठन राजकोषीय प्रबन्धन में सुधार, वित्तीय प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, संसाधनों का बेहतर अनुश्रवण, कोषागार विकास एवं नेटवर्किंग, ऋण प्रबन्धन, क्रय प्रक्रिया विकास, पेंशन नियोजन आदि के विश्लेषण का कार्य करेगा।
- उत्तरांचल पूर्व सैनिक उद्यम लिमिटेड (उपसुल) द्वारा महत्वपूर्ण योगदान देते हुए लगभग 3000 पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

- राज्य में एक और इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जायेगी।

राजकोषीय सेवाएं

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, आबकारी, परिवहन तथा मनोरंजन कर प्रमुख हैं। बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है। करदाताओं के सहयोग एवं वर्तमान नियमों के बेहतर प्रवर्तन से अधिकाधिक प्राप्तियों के लक्ष्य रखे गए हैं।

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर का राज्य की राजस्व प्राप्तियों में मुख्य योगदान है। राज्य गठन के उपरान्त व्यापार कर में उत्साहवर्धक प्रगति परिलक्षित हुई है। वर्ष 2001–02 में रु0 486.20 करोड़, वर्ष 2002–03 में रु0 551.06 करोड़, वर्ष 2003–04 में रु0 661.96 करोड़ तथा वर्ष 2004–05 में रु0 793.50 करोड़ की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2005–06 के लिए लक्ष्य रु0 890 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में लगभग रु0 1158.83 करोड़ का संग्रह अनुमानित है। प्रदेश में 1 अक्टूबर, 2005 से मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू कर दी गई है।

छोटे करदाताओं को रु0 50 लाख की सीमा तक समाधान योजना की व्यवस्था के अन्तर्गत हिसाब–किताब रखने की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। नई कर प्रणाली में कर निर्धारण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सरलीकृत कर दी गई है।

करदाताओं के हित में उनकी दुर्घटना बीमा योजना पर कार्यवाही गतिमान है।

वाणिज्य कर विभाग की कार्य प्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभाग के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में विकासनगर, मसूरी एवं टनकपुर में तीन नए मण्डल कार्यालय खोले गए हैं तथा निकट भविष्य में गोपेश्वर, बागेश्वर, किच्छा एवं उत्तरकाशी में भी मण्डल कार्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है।

आबकारी

प्रदेश की मौलिक आबकारी नीति का उद्देश्य मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध एवं प्रभावी प्रवर्तन के साथ मद्यनिषेध नीति को प्रमुखता देते हुए मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार कर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए वैधानिक बिक्री से राज्य के विकास के लिए समुचित राजस्व प्राप्त करके संसाधन जुटाना है।

आबकारी विभाग हेतु वर्ष 2006–07 के लिए रु0 400 करोड़ आबकारी राजस्व के रूप में अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

परिवहन

वर्तमान में परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में कम्प्यूटर के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में विभाग द्वारा

पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। मार्ग दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। नशे की हालत में वाहनों का संचालन रोकने के उद्देश्य से प्रवर्तन दलों को ब्रेथ एनेलाईजर उपलब्ध कराए गए हैं।

केन्द्र सरकार की सहायता से देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है जिसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है तथा वर्ष 2006–07 में उत्तरांचल परिवहन निगम के लिए रु0 20 करोड़ अंश पूँजी एवं रु0 9.60 करोड़ संचालन व्यय हेतु प्राविधान है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

जनता को पंजीकरण कार्य में सुविधा के लिए विभागीय भवनों का निर्माण व कम्प्यूटरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष हरिद्वार, रुडकी, किच्छा, सितारगंज तथा हल्द्वानी में नए भवनों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। देहरादून की भाँति इस वर्ष हरिद्वार, रुडकी तथा हल्द्वानी में भी कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही गतिमान है तथा भविष्य में इसे और विस्तारित किया जाएगा। वर्ष 2006–07 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से रु0 328.28 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

मनोरंजन कर

छविगृहों में दर्शकों की संख्या घटने तथा अनेक छवि गृहों के बन्द होने से छविगृहों से प्राप्त राजस्व की कमी आई है। जुलाई, 2002 से मनोरंजन कर की दरें 100 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की गई है तथा छविगृहों की दशा सुधारने के लिए रख–रखाव हेतु प्रति टिकट अनुरक्षण शुल्क जनवरी, 2004 में रु0 1.50 से बढ़ाकर रु0 3 कर दिया गया है। मल्टीप्लेक्स छविगृहों की स्थापना किए जाने हेतु 5 वर्ष तक शत–प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट दिए जाने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुमान रु0 5.50 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में मनोरंजन कर से रु0 5.88 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

संस्थागत वित्त

राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। राज्य स्थापना के समय जो ऋण जमा अनुपात मात्र 24.26% था तथा दिसम्बर, 2005 में बढ़कर 43.89% हो गया है। प्रयास किया जा रहा है कि यह अनुपात अगले वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक हो सके।

केन्द्र सरकार के द्वारा मार्च, 2007 तक कृषि ऋण को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए आधार वर्ष मार्च, 2004 निर्धारित है जबकि प्रदेश में कुल कृषि ऋण रु0 555 करोड़ था और इसे मार्च, 2007 तक रु0 1110 करोड़ किया जाना है। दिसम्बर, 2005 तक रु0 718.36 करोड़ ऋण वितरित किया जा चुका है तथा रु0 1110 करोड़ के लक्ष्य को मार्च, 2007 तक प्राप्त किए जाने का प्रयास बैंकों द्वारा किया जा रहा है। कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा रु0 1 लाख बढ़ाकर रु0 3 लाख की गयी है।

राष्ट्रीय बचत योजना में जमा धनराशि प्रदेश के वार्षिक योजना के वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2006–07 में राष्ट्रीय बचत योजना के वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य रु0 1100 करोड़ के विपरीत रु0 1170 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम

12वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में सरकार द्वारा उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित किया गया है। अधिनियम की धारा 3(1) के प्राविधान के अनुसार बजट साहित्य में मध्यकालीन वित्तीय सुधार कार्यक्रम 2006 प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें राज्य के आर्थिक परिवेश एवं राजकोषीय स्थिति के विस्तृत विवरण दिए गए हैं।

बाह्य सहायतित राजकोषीय प्रबन्धन एवं सुधार परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी क्षमता का विकास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत परियोजना मूल्यॉकन एवं नियोजन, वित्तीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण, वित्तीय लेन–देनों का कम्प्यूटरीकरण, लेखा–परीक्षा कार्यों में गुणवत्ता लाना इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। समस्त कोषागारों को मुख्यालय से नेटवर्किंग द्वारा जोड़ा जाना भी प्रस्तावित है।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मान्यवर,

सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष प्राथमिकता दिए जाने के कारण ही प्रदेश के विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, परन्तु अभी भी अवस्थापना सुविधाओं में बहुत कुछ करना शेष है और हमें इसके सुदृढीकरण के लिए और अधिक प्रयास जारी रखने हैं। अतः ऊर्जा, सड़क एवं सेतु, जलापूर्ति, सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, कृषि और औद्यानिकी, शिक्षा तथा चिकित्सा को आय–व्ययक में विशेष प्राथमिकता दी गई है।

ऊर्जा

राज्य की बढ़ती हुई विद्युत माँग की आपूर्ति हेतु राज्य की अपार जल विद्युत सम्भावना के शीघ्र दोहन के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

सरकार ने वर्ष 2002–03 में यह लक्ष्य रखा था कि 5 वर्ष में 3000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। वर्तमान में लगभग 12578 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं जिनका विकास/निर्माण विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2006 में टिहरी–प्रथम परियोजना (1000 मेगावाट), मनेरी भाली–द्वितीय परियोजना (304 मेगावाट) व विष्णु प्रयाग परियोजना (400 मेगावाट) से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होना सम्भावित है जबकि धौलीगंगा परियोजना (280 मेगावाट) से विद्युत उत्पादन वर्ष 2005 में प्रारम्भ हो गया है।

राज्य सरकार वर्ष 2007 तक प्रत्येक गाँव के विद्युतीकरण हेतु कृत संकल्प है जबकि प्रत्येक परिवार हेतु विद्युत पहुँच वर्ष 2009 तक किया जाना प्रस्तावित है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु अब भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी राजकीय गाँधी ग्रामीण

विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से 10 प्रतिशत ऋण द्वारा योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए रु0 658.79 करोड़ की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत की जा चुकी है जिसके सापेक्ष चार जनपदों की रु0 220.59 करोड़ लागत की योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने सभी जनपदों में क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया है ताकि धनाबंटन में विलम्ब के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में विलम्ब न हो। इस योजना के अन्तर्गत 787 नये गाँवों, 682 विद्युत आपूर्ति बाधित गाँवों व 2039 तोकों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है जबकि 281615 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत सन्नियोजन निःशुल्क किया जाना प्रस्तावित है।

53 दूरस्थ गाँवों में ग्रिड से विद्युतीकरण की सम्भावना फिलहाल न होने के कारण 9 माइक्रोहाईडिल परियोजनाओं को निर्माण से संचालन तक नई पहल करते हुए स्थानीय ऊर्जा समितियों के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु आवंटित किया गया है। 227 गाँव जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एक ही परिवार निवास करते हैं वहाँ पर भी प्रकाश की समुचित व्यवस्था बनाई जाए, के आधार पर ऐसे गाँवों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

सड़क एवं सेतु

सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य के शहरों एवं कस्बों में सड़कों के पुनर्निर्माण और विस्तारीकरण कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों को मार्ग सेतुओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक अनुमानों में चालू निर्माण कार्यों के लिए रु0 362.00 करोड़ एवं नये कार्यों हेतु रु0 8.00 करोड़ का प्राविधान है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान के चालू निर्माण कार्य हेतु रु0 72.00 करोड़ तथा नये निर्माण कार्यों के लिए रु0 3.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार उपकरण, संयन्त्र (डोजर आदि) क्रय, बाढ़ भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण, क्रोनिक स्लिप जोन के उपचार, विभागीय भवनों एवं पूल्ड आवासों के निर्माण हेतु रु0 10.66 करोड़ तथा मार्गों की राइडिंग क्वालिटी सुधार, गुणवत्ता परीक्षण आदि कार्य के लिए रु0 2.70 करोड़ ए0डी0बी0 से स्वीकृत कार्यों, भारत निर्माण योजना तथा 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मार्गों एवं भवनों के सुधारीकरण हेतु रु0 101.00 करोड़ का प्राविधान रखते हुए इस वित्तीय वर्ष में कुल रु0 750.89 करोड़ का प्राविधान किया है जो गत वर्ष के प्राविधान रु0 564.18 करोड़ से रु0 186.71 करोड़ अधिक है।

केन्द्रीय योजना के कार्यों हेतु रु0 25 करोड़ का प्राविधान है, जिससे 150 किमी0 मार्गों का पुनःनिर्माण व सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर अध्ययन कार्य सम्पन्न कर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण स्वीकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हम प्रयासरत हैं तथा घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए संसाधन प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद टिहरी, देहरादून व नैनीताल में विभागीय प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है। योजनाओं के मूल्यांकन एवं प्रभावी समीक्षा हेतु विभाग का कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है।

पेयजल

पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ पर्यावरण स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

राज्य में पेयजल सैक्टर में बृहद विनिवेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक की सहायता से लगभग रु0 450 करोड़ की योजना के वित्त पोषण हेतु वार्ता अन्तिम चरण में है। इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्रामीण उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता समितियों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनी रह सकेगी।

शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए रु0 60.92 करोड़ का तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में रु0 10.08 करोड़ का प्राविधान है। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 125.03 करोड़ का तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में रु0 23.40 करोड़ का प्राविधान है जिसमें त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत रु0 22.00 करोड़ ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत रु0 2 करोड़ तथा जिला योजना के अन्तर्गत रु0 68.60 करोड़ का प्रविधान है। जनजाति उप योजना में रु0 4 करोड़ ग्रामीण जलापूर्ति हेतु प्राविधानित है।

राज्य में हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन के लिए जिला योजना के अन्तर्गत रु0 15 करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई

सिंचाई सुविधा की सघनता बढ़ाने हेतु भारत सरकार के "न्यूनतम साझा कार्यक्रम" एवं "भारत निर्माण परियोजना" को दृष्टि में रखते हुए सरकार राज्य के अन्तर्गत सिंचाई संसाधनों में वृद्धि हेतु कृत संकल्प है।

राज्य के अधिकांश जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी गूलों, हौज और हाइड्रम आदि के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त आर्टीजन कूपों एवं बोरिंग पम्प सैट के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करके अतिरिक्त असिंचित क्षेत्रों को भी आच्छादित किये जाने को पूर्ववत् प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए रु0 310.43 करोड़ निर्माणाधीन नहरों के लिए रु0 45.90 करोड़, लघु डाल नहरों के पुनरोद्धार के लिए रु0 13.94 करोड़ तथा राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए रु0 87.65 करोड़ की व्यवस्था है। लघु सिंचाई तथा मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ योजना में क्रमशः रु0 75 करोड़ तथा

रु0 18.66 करोड़ का प्राविधान है। हाईड्रम परियोजनाओं के लिए 5.90 करोड़ का प्राविधान है। 'भारत निर्माण' के अन्तर्गत सिंचाई परियाजनाओं हेतु रु0 87.80 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग (स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क) योजनान्तर्गत विकास खण्डस्तर तक नेटवर्क स्थापित किए जाने और उसके माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का राज्यव्यापी क्रियान्वयन करने की योजना हेतु 10 करोड़ का प्राविधान है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग जैसे काल सेण्टर, बी0पी0ओ0 को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन हेतु बैण्डविड्थि कनेक्टीविटी आदि पर होने वाले व्यय हेतु रु0 3 करोड़ का प्राविधान है।

नेशनल ई–गवर्नेंस योजनान्तर्गत क्षमता विकास केन्द्र के नेशलन इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए रु0 35 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण, सहवर्ती सामग्री एवं इस हेतु प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवाओं पर होने वाले व्यय के लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। ई–गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु स्थापित किए जाने वाले राज्य स्तर पर डाटा सेण्टर के निर्माण कार्य हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

ई–गवर्नेंस परियोजना हेतु जिलास्तरीय डाटा सेण्टर केन्द्र स्थापित करने हेतु रु0 5 करोड़ की व्यवस्था है। राज्य ई–गवर्नेंस परियोजनाओं एवं विभागीय कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं के सफल संचालन हेतु राज्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपेक्षित व्यय रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

केन्द्र सहायतित नेशनल ई–गवर्नेंस योजना हेतु रु0 40 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

उत्तरांचल ई–गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के क्रियान्वयन पर व्यय के लिए रु0 35 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है। विश्व बैंक पोषित आर्थिक सुधार परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है "उत्तरांचल ई–गवर्नेंस इनिसिएटिव्स" परियोजना हेतु रु0 10.75 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है।

औद्योगिक विकास

भारत सरकार के औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज तथा प्रदेश की औद्योगिक नीति, 2003 के तहत औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी निवेश हेतु यह राज्य निवेशकों द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

राज्य में अब तक समुचित पूँजी निवेश की 260 से अधिक नई इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। इन इकाईयों में रु0 528 करोड़ के पूँजी विनियोजन के साथ 14172 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अन्य औद्योगिक इकाईयाँ स्थापना के विभिन्न चरणों में है तथा वर्ष 2006–07 के अन्त तक सभी इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है। प्रस्तावित 2033 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना होने पर लगभग 150000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसमें लगभग रु0 20.00 हजार करोड़ निवेश का अनुमान है।

राज्य में लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु सभी अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एकीकृत अवसंरचनात्मक केन्द्रों (आई0आई0डी0सी0) की स्थापना देहरादून, पंतनगर तथा हरिद्वार में की जा रही है। इन केन्द्रों के विकास हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार कुल रु0 4 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उपरोक्त केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ राज्य में अन्य स्थानों पर नए केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएंगे।

राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु प्रयत्नशील है। सिड्कुल द्वारा देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर 60 एकड़ भूमि में आई0टी0 पार्क विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में आई0टी0 पार्क विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में आई0टी0 पार्क हेतु रु0 40 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। आगामी वर्ष में इनके विकास कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

राज्य में स्वरोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रोजगार योजना में राज्य के लक्ष्यों को पुनः 7000 से बढ़ाकर 8000 कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विगत वर्षों के सफल लाभार्थियों को अपने उद्यम के विस्तार अथवा नए उद्योग की स्थापना हेतु समुचित वित्त पोषण हेतु राज्य में "उत्तरांचल प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस 2005 (पी0एम0आर0वाई0 प्लस–2005) नई योजना" प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत बैंक गारण्टी शुल्क के रूप में बैंक को देय 2.5 प्रतिशत अधिकतम रु0 50000 तक की गारण्टी फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक उद्यमियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन द्वारा विशेष राज्य पूँजी उपादान योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 1 लाख तक की धनराशि पूँजी उपादान के रूप में अनुमन्य होगी। आगामी वर्ष में उपादान की इस मात्रा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करके अधिकतम रु0 5 लाख किया जाएगा ताकि पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में उद्यमी उद्योग लगाने हेतु आकर्षित हो सकें।

विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों एवं हस्तशिल्प व हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापार मेलों का आयोजन किया जा रहा है तथा विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय व जनपदस्तर की औद्योगिक प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं।

प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि सूचना एवं विपणन के क्षेत्र में प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही की जा सके।

"हिमाद्रि" ब्रॉण्ड नाम से प्रदेश में निर्मित हस्त शिल्प एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु यात्रा मार्ग तथा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, पिरान कलियर शरीफ, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर विशेष बिक्री केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। "हिमाद्रि" ब्रॉण्ड नाम से राज्य की विशिष्ट पहचान बनाने हेतु नई दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में भी विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

वर्ष 2006–07 में उद्यमकर्ता विकास योजना के लिए रु0 60 लाख, यू0पी0 कार्बाइड कैमिकल लिमिटेड के दायित्वों के भुगतान के लिए रु0 52.22 लाख, औद्योगिक विकास प्रोत्साहन योजना हेतु रु0 50 लाख, जिला उद्योग केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए रु0 30 लाख, लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान योजना के लिए रु0 2 करोड़ उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना के लिए रु0 1 करोड़, कलस्टर विकास योजना के लिए रु0 50 लाख, पी0एम0आर0वाई0–प्लस योजना के लिए रु0 1.25 करोड़, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उपादान सहायता हेतु रु0 2.50 करोड़, औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए रु0 2 करोड़, हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए रु0 1. 05 करोड़, काशीपुर जसपुर की रुग्ण कताई मिलों की पुनर्स्थापना एवं वी0आर0एस0 योजना के लिए रु0 6.59 करोड़ का प्राविधान है।

पन्तनगर विश्वविद्यालय में सिड्कुल औद्योगिक आस्थान एवं पन्तनगर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में पटवाडाँगर में बॉयो टेक्नॉलोजी पार्क की स्थापना हेतु रु0 15 करोड़, का प्राविधान है। हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए रु0 50 लाख, का प्राविधान है जिसे आवश्यकता पड़ने पर और अधिक बढ़ाया जाएगा।

भूतत्व एवं खनिकर्म

राज्य में खनिज सम्पदा से प्राप्त होने वाली आय के वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 40.00 करोड़ के स्थान पर रु0 44.00 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। उत्तरांचल राज्य खनिज नीति, 2001 के पुनरीक्षण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

नागरिक उड्डयन

राज्य के स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों को क्रियाशील करने हेतु योजनाएं स्वीकृत की गई है। पन्तनगर हवाई अड्डे एवं जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के समग्र विकास एवं विस्तार हेतु कार्यवाही गतिमान है।

निजी क्षेत्र के सहयोग से दिल्ली–देहरादून विमान सेवा सुचारू रूप से संचालित की जा रही है तथा नई दिल्ली–पन्तनगर–नई दिल्ली के बीच विमान सेवा परिचालन हेतु निजी क्षेत्र के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर नियमित विमान सेवाएं संचालित की जा रही हैं। निकट भविष्य में इस सेवा में विस्तार कर इसे नई दिल्ली–पन्तनगर–देहरादून–पन्तनगर–नई दिल्ली किए जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में नागर विमानन पर पूँजीगत व्यय हेतु रु0 34 करोड़ का बजट प्राविधान है। राज्य के अन्य हवाई पट्टियाँ जैसे गौचर, नैनी–सैनी, चिन्यालीसौंण के रख–रखाव तथा उन्हें कार्यशील करने के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार केदारनाथ धाम हेतु 'पवनहंस' द्वारा हैलीकॉप्टर सेवा चलाई जा रही है, ऐसी ही व्यवस्था अन्य धार्मिक स्थलों हेतु प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास

विद्यालयी शिक्षा

विद्यालयी शिक्षा विभाग में 14847 प्राथमिक, 4067 उच्च प्राथमिक, 837 हाई स्कूल एवं 1118 इण्टरमीडिएट कॉलेज संचालित हैं, जिनमें कुल 2295331 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गत चार वर्षों में बहुत तीव्र विस्तार एवं प्रगति की गई है।

शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के 13 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान योजना संचालित की जा रही है जिसके लिए वर्ष 2006–07 में 25% राज्यांश के लिए रु0 40.00 करोड़ का प्राविधान है।

माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में 302 जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया गया है, जिसमें से 169 हाई स्कूल वर्ष 2005–06 में स्थापित किए गए हैं। राज्य गठन से अब तक कुल 194 हाई स्कूलों का इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण किया गया है, जिसमें से 106 इण्टरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना चालू वर्ष में की गई है। राज्य के 17 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रान्तीयकृत किया गया है।

राज्य के समस्त राजकीय व परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन पकाने हेतु निर्धारित कनवर्जन कॉस्ट को एक रुपया प्रति छात्र प्रतिदिन से बढ़ाकर दो रुपये प्रति छात्र की गई है।

राज्य के समस्त परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना से लगभग 16 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य के सभी राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना की जा चुकी है।

राज्य के डायट विहीन 4 जनपदों में से जनपद ऊधमसिंह नगर में डायट एवं जनपद रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर में मिनी डायटों की स्वीकृति प्रदान करने के

साथ–साथ इन डायटों में आवश्यक पदों का सृजन भी किया जा चुका है। इससे प्रत्येक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। आय–व्ययक में प्राथमिक शिक्षा के लिए रु0 635.12 करोड़ तथा माध्यमिक के लिए रु0 615.30 करोड़ का प्राविधान है।

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के क्रम में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर रु0 3000 के विशेष अनुदान योजना को भी कार्यान्वित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा

10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्तमान महाविद्यालयों के भवनों, प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा असेवित/पिछड़े क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में संचालित राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त स्नातक स्तर पर नवीन विषय व संकाय प्रारम्भ किए गए हैं। अब तक 9 जनपदों में 9 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं 4 अन्य जनपदों में भी चरणबद्ध रूप से इनका विकास किया जाएगा।

देहरादून में उपलब्ध उच्च स्तर की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप उच्च शिक्षा हेतु दून विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विश्वविद्यालय द्वारा लगातार विशिष्टता की ओर बढ़ने के लिए अध्ययन व अध्यापन हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। दून विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रु0 25.00 करोड़ की व्यवस्था है।

प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों के छात्रों तथा प्रदेश में अवस्थित सामान्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की व्यक्तिगत छात्र के रूप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को समुचित शैक्षिक निर्देश उपलब्ध कराए जाने हेतु उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जिसके लिए रु0 8.00 करोड़ का प्राविधान है। वर्ष 2006–07 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए रु0 22.47 करोड़ तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के लिए रु0 19.39 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृत शिक्षा

हरिद्वार स्थित संस्कृत अकादमी के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। संस्कृत शिक्षा के लिए प्रदेश द्वारा पृथक से संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जिसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक के माध्यम से प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के साथ–साथ गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में सभी सहायता प्राप्त/निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं में संचालित तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों को एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाने हेतु राज्य में उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई है जिसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

वर्ष 2005–06 में पॉलिटेक्निकों में शिक्षण प्रशिक्षण को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु सभी पाठ्यक्रमों को उद्योगों के अनुरूप बनाया गया है। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए पाठ्यक्रमों में आई0आई0टी0 रुड़की के सहयोग से बदलाव किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सके।

एन0टी0पी0सी0 की सहायता से कालाढूंगी में पॉलिटेक्निक स्थापित किए जाने हेतु रु0 29.35 लाख का प्राविधान है। इस पॉलिटेक्निक के भवनों के निर्माण के लिए शत–प्रतिशत सहायता एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में अन्य नए पॉलिटेक्निक खोलने के लिए नई माँग से रु0 89.19 लाख का प्राविधान है।

पन्तनगर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रु0 8.18 करोड़, द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रु0 8.57 करोड़ तथा इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के लिए रु0 10.59 करोड़ का प्राविधान है।

खेल तथा युवा कल्याण

राज्य में खेलों के विकास को सुनियोजित एवं समुचित तरीके से सीमित संसाधनों में विकसित किए जाने की दृष्टि से सरकार द्वारा खेल नीति तैयार की गयी है। वर्तमान में राज्य में 10 स्टेडियम निर्मित एवं 3 निर्माणाधीन हैं तथा 7 इण्डोर हॉल निर्मित एवं 2 निर्माणाधीन हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने हेतु 16 ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के सभी विकास खण्डों में एक ग्रामीण स्टेडियम चरणबद्ध रूप में स्थापित किया जाएगा। राज्य में शांति व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी एव दैवी आपदा जैसे विशिष्ट कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न कार्यों हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षित प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में लगभग पाँच हजार प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। इन स्वयंसेवकों का मानदेय रु0 85 से बढ़ाकर रु0 100 प्रतिदिन किया गया है।

संस्कृति

संस्कृति विभाग द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का रख–रखाव व संवर्द्धन, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का संरक्षण एवं संवर्द्धन एवं विकास तथा इनका प्रचार–प्रसार, प्राचीन पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण तथा इनका अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों को संग्रहित कर उनका संरक्षण तथा प्रदेश की प्राचीन धरोहरों को संरक्षित रखना तथा शोध छात्र–छात्राओं को शोध कार्य करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना आदि कार्य किए जा रहे हैं। संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 18 करोड़ का प्राविधान है। साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद् के भवन आदि के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्य में जनसामान्य को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में 124

नए उपकेन्द्रों की स्थापना, 350 उप केन्द्रों का निर्माण, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 70 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण व 10 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के 95 ब्लाकों में कार्यरत चिकित्सा इकाईयों को चरणबद्ध रूप से उच्चीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। 49 ब्लाकों में पूर्व से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उच्च चिकित्सा संस्था क्रियाशील है। 17 ब्लाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं शेष 29 ब्लाकों में चिकित्सा संस्थाओं को चरणबद्ध रूप में उच्चीकृत किया जाएगा।

उप केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रु0 28.15 करोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु रु0 7.55 करोड़, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु रु0 8.02 करोड़ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। जनपद ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा तथा निदान की सुविधा हेतु सचल चिकित्सालयों की स्थापना हेतु रु0 23.33 लाख का प्राविधान है।

भारत सरकार के सहयोग से रूरल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम संदर्भण (रेफरल) इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत राज्य में चरणबद्ध रूप में असेवित क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर से 4085 स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं (ए0एस0एच0ए0) का चयन किया जा रहा है।

द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जनसामान्य को विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राम दत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल, महिला चिकित्सालय देहरादून एवं हल्द्वानी, संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार जनपद पौड़ी, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

कैंसर रोगियों के विशिष्ट उपचार हेतु कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून में ऑकोलोजी यूनिट की स्थापना केन्द्र सरकार के सहयोग से की जा रही है। विश्व बैंक पोषित उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम व सुदूर स्थानों पर चिकित्सा व निदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 9 सचल चिकित्सा वैन के संचालन हेतु नई माँग के माध्यम से रु0 1.07 करोड़ का प्राविधान है। यात्रा मार्गों पर 5 स्थानों पर नई माँग के माध्यम से ट्रोमा सैंटर के निर्माण व स्थापना हेतु रु0 4.50 करोड़ का प्राविधान है।

श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय श्रीनगर का 300 शैय्याओं हेतु विस्तारीकरण पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2006–07 में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हेतु रु0 21.47 करोड़ एवं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज हेतु रु0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

जनसामान्य को स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने तथा एक ही स्थान पर विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नई माँग के माध्यम से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 'स्वास्थ्य मेला' आयोजित करने हेतु रु0 5 लाख प्रति की दर से रु0 3.55 करोड़ का प्राविधान है।

नई माँग के माध्यम से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत शंकर नेत्रालय, चेन्नई के सहयोग से तृतीयक स्तर (टर्शयरी) के नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हेतु रु0 1.25 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में एम्स की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसके लिए हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं।

आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा

राज्य में 498 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय कार्यरत हैं। ग्रामीण अंचलों में जहाँ पर किसी भी पद्धति की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए 24 आयुर्वेदिक, 9 यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना तथा टी0एस0पी0 योजना के तहत 5 और एस0सी0पी0 के तहत 6 चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के ज्ञान में वृद्धि हेतु वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में पुनर्बोध प्रशिक्षण/सतत लघु अवधि प्रशिक्षण संचालित किए जाने हेतु प्राविधान है।

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की बढ़ती माँग को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए 8 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत 1 तथा एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत 3 चिकित्सालयों, कुल 12 चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 3 जिला होम्योपैथिक अधिकारी कार्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है। जन सामान्य को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए रु0 14.59 करोड़ का प्राविधान है।

आवास एवं नगर विकास

प्रदेश को पर्यटन मानचित्र में और अधिक आगे लाने तथा तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। शहरी विकास योजनाओं के लिए आय–व्ययक में गत वर्ष के अनुमान रु0 240 करोड़ के सापेक्ष रु0 374 करोड़ की व्यवस्था है, कुम्भ क्षेत्र के नियंत्रण एवं व्यवस्था के लिए रु0 10 करोड़, बाह्य सहायतित परियोजना के लिए रु0 10 करोड़ कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों के लिए रु0 3 करोड़ नैनीताल क्षेत्र की झीलों तथा बलिया नाला के सुधार एवं संरक्षण हेतु रु0 22.55 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण व विकास के लिए रु0 20 करोड़ तथा नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के लिए रु0 67.24 करोड़ का प्राविधान है। विभिन्न परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारी के लिए रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र पोषित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए रु0 2 करोड़, आवास एवं मलिन बस्ती सुधार के लिए रु0 15 करोड़ मोहल्ला

स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। गंगोत्री में पार्किंग की व्यवस्था हेतु रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। गंगा कार्य योजनान्तर्गत रु0 18 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान में भी व्यवस्था की गई है।

पर्यटन

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुनियोजित एवं त्वरित समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूँजी निवेश में वृद्धि, रोजगार के लिए उपादान योजनाएं, मानव संसाधन विकास, प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है। हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि उत्तरांचल में एक होटल मैनेजमैंट संस्थान खोलने के निर्णय का उल्लेख इस वर्ष के आय–व्ययक में लिया गया है।

विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं को सृजित करने की दृष्टि से तैयार किए गए विभिन्न मास्टर प्लान प्रगति के विभिन्न चरणों में है। चारधाम क्षेत्र का विकास, पौड़ी–खिर्सू–लैंसडाउन व पिथौरागढ़–मुनस्यारी नए पर्यटन परिपथों से सम्बन्धित मास्टर प्लान भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी को स्की–रिजॉर्ट के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार कर उसे विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है।

आगामी वित्तीय वर्ष में हेमकुण्ड साहिब–फूलों की घाटी, नैनीताल–अल्मोड़ा पर्यटन परिपथ सहित श्री गंगोत्री व श्री केदारनाथ धाम में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। अन्य छोटे–बड़े पर्यटन गन्तव्यों में विभिन्न अवस्थापनाओं के सृजन हेतु लगभग रु0 15 करोड़ का प्राविधान केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त किया जा रहा है। नानकमत्ता, पिरान कलियर शरीफ आदि धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए इस योजना को बेरोजगार युवकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। उपादान राशि बढ़ाकर 25 प्रतिशत व योजना राशि बढ़ाकर रु0 15 लाख कर दी गई है जिससे उच्च स्तरीय पर्यटन इकाईयाँ/सुविधाएं सृजित हो सकें। पर्यटकों की सुरक्षा एवं मार्ग दर्शन प्रदान किए जाने हेतु पर्यटन पुलिस की व्यवस्था भी की गई है।

समाज कल्याण

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलाँगों एवं समाज के सभी कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में केन्द्राँश रु0 200 प्रति लाभार्थी प्रति माह आगामी वित्त वर्ष से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार

द्वारा भी रु0 200 का अंशदान दिया जाएगा और जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उन सबको रु0 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन के लिए रु0 33.85 करोड़ की व्यवस्था है। विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन भी सभी पात्र विधवाओं एवं पात्र विकलांगजनों को रु0 400 प्रतिमाह की बढ़ी हुई दर से अनुमन्य की जाएगी। विधवा पेंशन के लिए आय-व्ययक में रु0 20.01 करोड़ की व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं से सभी पात्र लाभार्थियों को आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु रु0 4.00 करोड़ का प्राविधान है। राज्य के अधिकाँश भागों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग गाँवों तथा शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित होते हैं जो प्रायः प्रतिष्ठित भागों से अलग समझे जाते हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में सामान्य सुविधाओं का अभाव भी रहता है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 'अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की योजना को गति देने हेतु इसका क्रियान्वयन जिलास्तरीय समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है एवं इन समितियों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2006-07 में इस योजना हेतु रु0 50.35 करोड़ की धनराशि का प्राविधान है। प्रदेश सरकार के प्रयास से भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को नई दिशा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब-प्लान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नियोजन विभाग से हटाकर समाज कल्याण विभाग को दी है जिसमें एक अलग प्रकोष्ठ का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि इन वर्गों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2005-06 के बजट में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक से क्रमशः अनुदान संख्या 30 एवं अनुदान संख्या 31 आवंटित किया गया है जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हो सकेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दी जा रही छात्रवृत्ति की दरें कक्षा 1 से 10 तक दोगुनी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में छात्रवृत्ति के लिए रु0 41.12 करोड़ का प्राविधान है। आश्रम पद्धति विद्यालयों के 4 भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु0 6.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम से सहायता प्राप्त कर लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति इस वर्ष दोगुनी कर दी गई थी तथा वर्ष 2006-07 में छात्रवृत्ति के लिए रु0 4.60 करोड़ का प्राविधान है।

विकलांग कल्याण

विकलांगजनों के कल्याण के लिए पृथक विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है ताकि इनके लिए समग्र रूप से कार्यवाही की जा सके। इन्हें भारत सरकार की सहायता से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं तथा प्रशिक्षण सहित अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2006–07 के लिए विकलांग कल्याण हेतु रु0 7.91 करोड़ का प्राविधान है।

प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में निःशक्तजनों को विकलांगजन अधिनियम द्वारा प्राविधानित 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने हेतु पदों का चिन्हीकरण कर विशेष भर्ती अभियान गतिमान है।

अल्पसंख्यक कल्याण

हमारे अल्पसंख्यक भाईयों एवं बहनों की ओर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। वर्ष 2006–07 के लिए 125000 अल्पसंख्यक छात्रों को लाभान्वित करने हेतु रु0 5.80 करोड़ की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में व्यय करने का प्राविधान किया है। राज्य में मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने उद्देश्य से "मुस्लिम एजुकेशन मिशन" की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत 'प्रोजेक्ट तालीम' के माध्यम से मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने की कार्यवाही गतिमान है। मुस्लिम समुदाय के युवक एवं युवतियों को रोजगारपरक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से "प्रोजेक्ट बुलन्द" को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है जिससे समुदाय में व्याप्त बेराजगारी की समस्या का समाधान हो सके। इस हेतु रु0 55 लाख का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को सिलाई–बुनाई इत्यादि का प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाने के लिए नई मॉंग से रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। देहरादून में मुसाफिरखाने के निर्माण के लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम को रोजगार योजनाओं के संचालन हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ स्थापित उद्यम 'उपसुल' ने अपनी स्थापना दिनांक 15 मई, 2004 से अब तक विभिन्न उत्तरांचल सरकार एवं भारत सरकार के विभागों, उद्यमों, उपक्रमों, संस्थाओं आदि में लगभग 3000 व्यक्तियों को सेवायोजित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ही कार्य करने का निर्देश दिया गया है जिससे उत्तरांचल में उपसुल के माध्यम से और अधिक भूतपूर्व सैनिकों को सेवायोजित किया जा सकेगा।

वर्ष 2005–06 में 651 भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सेवायोजित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र देहरादून व अल्मोड़ा में संचालित हैं।

युद्ध विधवाओं एवं आश्रित पुत्रियों के पुनर्वास हेतु महिला प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी में सिलाई-बुनाई एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पूर्व सैनिकों/सैनिक आश्रितों के कल्याण हेतु वर्ष 2005-06 में एक नई योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला स्तर पर पूर्व सैनिकों/सैनिक आश्रितों को कौशलवृद्धि एवं रोजगारपरक योजना के अन्तर्गत अभिमुखीकरण, कोचिंग तथा व्यवसायिक (कम्प्यूटर) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश के द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के जीविकोपार्जन हेतु 1 अप्रैल, 2005 से दिए जाने वाले अनुदान को रु0 500 से बढ़ाकर रु0 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे लगभग 4110 पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाएं लाभान्वित होंगी। वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय अनुदान एवं वार्षिक (एन्युटी) में भी वृद्धि की गई है। सैनिक कल्याण की विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रु0 7.87 करोड़ का प्राविधान है। सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए रु0 1.41 करोड़ की व्यवस्था है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान स्वरूप दी जाने वाली पेंशन में भी वृद्धि की गई है तथा केन्द्र की भाँति राजनीतिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जा रही है जिसके लिए रु0 12.80 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

उत्तरांचल राज्य गठन का आन्दोलन हो अथवा यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का प्रश्न हो, यहाँ महिला शक्ति का अभूतपूर्व योगदान रहा है। नवीन राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास नामक नए विभाग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी योजनाओं को गति प्रदान की जाए।

राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय मलिन बस्तियों में आई0सी0डी0एस0 के आच्छादन को लक्ष्य बनाते हुए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया है।

किशोरियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसके लिए किशोरी शक्ति योजना समस्त बाल विकास परियोजनाओं में लागू की जाएगी। प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र पर 3 किशोरियों को पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की समस्या के निवारण हेतु 'डबल फोर्टीफाईड नमक' (इस नमक में आयोडीन तथा ऑयरन का मिश्रण है) का वितरण सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों से निःशुल्क कराया जा रहा है। सभी केन्द्रों में पके-पकाए भोजन की भी व्यवस्था प्रारम्भ की गई है ताकि पोषाहार को बच्चों के स्वादानुसार पकाकर खिलाया जाए।

स्वयंसिद्धा एवं इन्दिरा महिला समेकित विकास योजनाओं को लागू करते हुए महिलाओं में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पहाड़ की महिलाओं पर अत्यधिक कार्य बोझ को कम करने हेतु तथा "महिला स्वयं सहायता समूहों" के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एवं समाजिक सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत उदिशा प्रशिक्षण परियोजना, मेडिसीन किट, प्री–स्कूल एजुकेशन किट, अनुपूरक पोषाहार, ऑयरन आयोडीन युक्त नमक, कुक्ड फूड स्कीम आई0सी0डी0एस0 तृतीय, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, स्वयंसिद्धा परियोजना (आई0डब्ल्यू0ई0पी0), इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना आदि के लिए कुल रु0 56 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य के विकास में महिलाओं की विशेष भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006–07 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" घोषित किया गया है एवं सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे आने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव है। साथ ही महिलाओं के नाम से भूमि अथवा भवन क्रय करने पर स्टॉम्प ड्यूटी में छूट देना प्रस्तावित है।

कृषि एवं जलागम प्रबन्धन

कृषि क्षेत्र में विकास की गति को तीव्रतर किए जाने हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में एग्रीकल्चर टैक्नॉलोजी मैनेजमेन्ट एजेंसी के गठन के साथ केन्द्र पोषित सपोर्ट–टू–स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स को आठ जनपदों से बढ़ाकर समस्त 13 जनपदों में लागू किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जनपदों को विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिव सिचुएशन के अन्तर्गत बाँटते हुए स्ट्रेटिजिक रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन प्लान तैयार की जा रही है। इससे क्षेत्र विशेष की समस्याओं को समझने तथा उनके लिए विकास की रणनीति तैयार करने में प्रभावकारी निर्देशन प्राप्त होगा। भारत सरकार से इस कार्यक्रम हेतु अगले वर्ष 2006–07 के लिए रु0 2 करोड़ का परिव्यय सुनिश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

राज्य में क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैदानी क्षेत्र में ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन के साथ जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उन्नत प्रजाति के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2006–07 में कोरवैली बीजोत्पादन कार्यक्रम को प्रदेश की अन्य घाटियों तक फैलाया जाएगा। इस हेतु रु0 1 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के सहयोग से "पर्वतीय फसलों की पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का शोध कार्यक्रम" संचालित किया जाएगा।

मैक्रोमैनेजमेंट में कृषि योजनान्तर्गत एकीकृत धान्य, दलहन एवं तिलहन विकास कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, गन्ना विकास कार्यक्रम तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु रु0 20 करोड़ की व्यवस्था है।

वर्तमान में कार्यान्वित विश्व बैंक की वित्त पोषित उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना "ग्राम्या" के अन्तर्गत 7 जनपदों के 12 विकास खण्डों के 251 ग्राम पंचायतों में परियोजना कार्य प्रारम्भ किया गया है। रु0 405 करोड़ की लागत की यह

परियोजना पर्वतीय जनपदों के 18 विकास खण्डों के 461 ग्राम पंचायतों में चलाई जानी है। चयनित क्षेत्रों की अवशेष 210 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2006–07 से परियोजना प्रारम्भ की जाएगी। इसके अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में रु0 34.48 करोड़ का प्राविधान है।

उद्यान

उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु को देखते हुए कृषि योग्य भूमि का अधिकतम एवं लाभकारी उपयोग औद्यानिक फसलों से ही सम्भव है। उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन तथा फल पट्टी विकास के अन्तर्गत औद्योगिक फसलों को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करना, फल विकास, शाकभाजी विकास, आलू विकास, पुष्प विकास, औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राज सहायता तथा फल पट्टी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एपिडा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आदि की योजनाओं पर 20 प्रतिशत राज्यांश की योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक औद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कुल चैन आदि की विभिन्न योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सहायता राशि के समतुल्य सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। औद्यानिक विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2006–07 हेतु रु0 29.28 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान में भी व्यवस्था है।

चाय विकास

उत्तरांचल की जलवायु उच्च गुणवत्ता युक्त चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है, अतः इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006–07 में 75 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान स्थापित करने का लक्ष्य है तथा रु0 69000 प्रति हेक्टेयर सहायता चाय कृषिकरण हेतु मैचिंग ग्राण्ट के रूप में 30 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है एवं 24 लाख चाय पौध नर्सरी का अनुरक्षण व 27 लाख नई चाय पौध तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि केन्द्र सरकार द्वारा चाय विकास के लिए 'चाय निधि' स्थापित करते हुए वर्ष 2006–07 के लिए रु0 100 करोड़ दिए जाने का प्राविधान किया है और पाँच चाय उत्पादक राज्यों में उत्तरांचल को भी सम्मिलित किया गया है जिससे राज्य में चाय विकास की गतिविधि में तेजी लाई जा सकेगी। प्रदेश में चाय विकास बोर्ड का गठन भी किया गया है।

रेशम विकास

रेशम उत्पादन प्रचार–प्रसार योजना के अन्तर्गत रेशम कीटपालन व कोया उत्पादन एवं विपणन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य लगभग 3500 रेशम कीटपालक परिवारों द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूँजी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की पंजीकृत रेशम सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करते हुए इन समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों का सम्पादन कराने का प्रयास है। समितियों

के माध्यम से शहतूत वृक्षारोपण, चॉकी कीटपालन, उत्तरावस्था कीटपालन, कोया उत्पादन, कोया विपणन, रेशम धागाकरण इत्यादि क्रियाकलाप सम्पन्न कराने हेतु वर्ष 2006–07 में योजना में रु0 5.94 करोड़ का प्राविधान है। चॉकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन के लिए रु0 80 लाख का प्राविधान है।

जैविक रेशम विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत जैविक क्रियाकलापों, जैव उर्वरकों आदि के माध्यम से सामुदायिक/निजी क्षेत्र को रेशम विकास गतिविधियों में पूर्व सक्षम एवं दक्ष बनाता है। वृक्षारोपण विकास कार्यक्रम के लिए रु0 8.00 लाख का प्राविधान है। इसके साथ–साथ विभाग द्वारा 90 प्रतिशत केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना सी0डी0पी0 के लिए रु0 31 लाख का प्राविधान है। रेशम प्रशिक्षण योजना के लिए रु0 56 लाख का प्राविधान है।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

गन्ना किसानों के व्यापक हित में पेराई सत्र 2004–05 में कुल पेरे गए गन्ने का सम्पूर्ण गन्ना भुगतान रु0 419.54 करोड़ पेराई सत्र 2005–06 प्रारम्भ करने से पूर्व ही किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा गन्ना कृषकों के वृहद हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2005–06 में सामान्य गन्ने की प्रजाति का मूल्य रु0 115 प्रति कुन्टल एवं अगेती प्रजाति का गन्ना मूल्य रु0 120 प्रति कुन्टल घोषित किया गया है। उक्त गन्ना मूल्य गत वर्ष की तुलना में रु0 8 प्रति कुन्टल अधिक है।

गन्ने के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ना उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा चलाई जा रही पाँच वर्षीय गन्ना बीज बदलाव योजना के अन्तर्गत गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा विकसित प्रजातियों के साथ–साथ प्रदेश के बाहर से प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल प्रजातियों को कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

गन्ना विकास की योजनाओं के अन्तर्गत अन्तर्ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए रु0 75 लाख तथा गन्ना विकास की योजना के लिए रु0 55 लाख का प्राविधान है।

चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार किए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रु0 114.00 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। गन्ने की प्रजातियों के त्वरित विकास हेतु पन्तनगर विश्वविद्यालय में एक टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने के लिए रु0 5.70 करोड़ का प्रस्ताव भी भारत सरकार को शुगर डेवलपमेन्ट फण्ड से सहायता हेतु भेजा गया है।

पशुपालन एवं डेरी विकास

पशुपालन की विभिन्न योजनाओं यथा पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों में दवा, रोग नियंत्रण हेतु वैक्सीन व्यवस्था, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढीकरण, चारा विकास कार्यक्रम आदि हेतु रु0 21 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान में व्यवस्था की गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू पर निगरानी रखने एवं बर्ड फ्लू की घटना होने पर तत्काल रोकथाम के लिए टॉस्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

राज्य में डेरी विकास हेतु संचालित डेरी विकास योजना, महिला डेरी विकास परियोजना, सघन मिनी डेरी परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का गठन एवं सुदृढ़ीकरण समन्वित डेरी विकास योजना आदि योजनाओं के लिए रु0 10.00 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की गई है।

मत्स्य विकास

उत्तरांचल में मत्स्य विकास हेतु जल सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसमें मत्स्य विकास कर इस सम्पदा के समुचित उपयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीनयुक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन तथा निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग रु0 7.73 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास

केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्य को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा ग्रामीण रोजगार को सम्पूर्ण ग्रामीण योजना द्वारा, ग्रामीण आवास को इन्दिरा आवास/प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना द्वारा तथा संयोजिता को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में सक्रियतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रदेश के 5 जनपदों तथा टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के 17 विकास खण्डों में 42960 परिवारों के आजीविका अवसर हेतु वाह्य सहायतित परियोजना आई0एफ0ए0डी0 द्वारा स्वीकृत की गई है जिसके लिए रु0 15.31 करोड़ का प्राविधान है।

रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए लगभग रु0 19.06 करोड़ का ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के लिए रु0 12 करोड़ का प्राविधान है। इन्टीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेन्ट, अन्य जलागम योजनाओं हेतु रु0 1.40 करोड़ का प्राविधान है। सूखा क्षेत्र हेतु रु0 6.31 करोड़ का प्राविधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन आदि के लिए राज्यांश के रूप में रु0 60 करोड़ का प्राविधान है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष में लगभग 15660 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य है जिससे लगभग 52000 व्यक्तियों को वर्ष में 300 दिन रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। प्रदेश में 18500 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेन्स) में वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नीति का लाभ उठाते हुए की जाएगी।

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रदेश के सबसे पिछड़े तीन जनपदों टिहरी, चम्पावत व चमोली में फरवरी, 2006 से योजना आरम्भ की जा चुकी है। इस योजना हेतु वर्ष 2006–07 में रु0 8.70 करोड़ का प्राविधान राज्यांश के रूप में है।

भविष्य में इस योजना का अन्य जनपदों में भी चरणबद्ध रूप से विस्तार किया जाना है। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाने हेतु पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक नई उत्तरांचल सार्वभौमिक रोजगार योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए नई माँग से रू0 32.50 करोड़ की व्यवस्था है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों को आयवर्द्धक रोजगार उपलब्ध कराना है।

पंचायती राज

प्रदेश में 4583 पंचायत भवनविहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु रू0 78 करोड़ की धनराशि 2 वर्षों में उपलब्ध कराई गई है तथा अवशेष कार्यों हेतु रू0 89.64 लाख का प्राविधान है। क्षेत्र पंचायत निधि के लिए रू0 23.75 करोड़ की व्यवस्था है। 12वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्राम पंचायतों हेतु रू0 64.00 करोड़, इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत रू0 142.46 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ किए जाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय दिए जाने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

विधायक निधि

वर्ष 2006–07 में विधायक निधि के अन्तर्गत रू0 71.00 करोड़ का प्राविधान है।

मान्यवर, वर्ष 2006–07 में विधायक निधि के अन्तर्गत रू0 71.00 करोड़ का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से आग्रह तथा निवेदन करूँगा कि इसमें 25 लाख रुपये और बढ़ा दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि माननीय विधायकों ने 2 करोड़ रुपये निधि करने का आग्रह किया है, पत्र के माध्यम से भी हमने अवगत कराया है। यदि दो करोड़ सम्भव न हो तो कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये इसे कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

इस बारे में आपका पत्र भी मिला है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमारा तो अनुरोध है कि 2 करोड़ की माँग माननीय विधायकों द्वारा की गई है, यदि यह सम्भव न हो तो डेढ़ करो तो होनी ही चाहिए। पच्चीस लाख और बढ़ा दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

इसी में जो आप कूपन के लिए कह रहे हैं इसको छोड़कर फिर आप डेढ़ करोड़ रुपये ले लीजिए। आप संसदीय कार्य मंत्री जी से वार्ता कर जो राय देंगे वह मान लेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है जो विधायक निधि है वह विकास कार्यों के लिए है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मा0 सदस्य देहरादून हम आपका बड़ा आदर करते हैं, हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं आप। हरबंस में जो सब कुछ हर वंश के लिए किया जायेगा वह यहाँ भी कर दिया जायेगा आप तय कर लें बातचीत करके किया जायेगा।

(हँसी)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह तो हमारी एक माँग थी विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए ही माननीय विधायकों द्वारा इसकी माँग की जा रही है।

*श्री भगत सिंह कोश्यरी–

मान्यवर, बजट भाषण में जो शब्द सार्वभौमिक लिखा गया है, यह सार्वभौमिक कैसे हो सकता है। विधायक निधि के लिए तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ज्यादा आतुर हैं, उनकी बात तो मान ही लीजिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वह त्रुटिवश सार्वभौमिक हो गया है, इसीलिए मैंने अपने भाषण में इसे सार्वप्रादेशिक कहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह माँग तो सार्वदलिक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मुझे अभी उत्तर भाषण भी देना है, कुछ बातें तब के लिए भी छोड़ दीजिये।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप अपने मुखारबिन्दु से डेढ़ करोड़ विधायक निधि की घोषणा कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, आपके स्नेहसिक्त मुखारविन्दु से शब्दों की जो बौछार हुई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। वित्त विभाग से मैं इस सम्बन्ध में प्रयास करूँगा।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारिता

सहकारिता की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 29.59 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें सहकारी ऋण सम्बन्धी योजना, भेषज विकास एवं जड़ी बूटी योजना, सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार, लघु एवं सीमान्त कृषक सदस्यों हेतु दुर्घटना बीमा योजना आदि शामिल हैं।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश में वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जनसहभागिता वन प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जनसहभागिता के संदर्भ में बाँस, च्यूरा, थुनेर तथा बायोफ्यूल, जेट्रोफा आदि प्रजातियों की रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनाएं लागू की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2006–07 में नई माँग से अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं जिसके अन्तर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना एवं विकास के लिए रु0 1 करोड़, संरक्षण आरक्षिति प्रबन्धन जैसे आसन झील, झिलमिल ताल आदि के लिए रु0 1 करोड़, वन प्रभागों में वास स्तर सुधार के लिए रु0 2 करोड़, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव प्रबन्धन के लिए रु0 2 करोड़, समस्याग्रस्त वन्य जीवों के लिए रु0 2 करोड़ व वन क्षेत्रों में स्थित गोठ, खत्ते एवं टौंगियाँ बस्तियों के पुनर्वास के लिए रु0 5 करोड़ तथा मूल्यवान भेषजीय महत्व की वृक्ष प्रजातियों का रोपण के लिए रु0 10 करोड़ की व्यवस्था है।

वन मोटर मार्गों के विशेष सुदृढ़ीकरण की योजनान्तर्गत रु0 100 करोड़ की व्यवस्था है। फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट/मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए रु0 41 करोड़ की व्यवस्था है।

नियोजन

केन्द्र पोषित सीमान्त विकास खण्डों का विकास योजनान्तर्गत रु0 8 करोड़ तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिए रु0 36.90 करोड़ का प्राविधान है। सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत रु0 22.40 करोड़ तथा भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण को अनुदान के लिए रु0 5 करोड़ की व्यवस्था है जिसे यथावश्यकता बढ़ाया जाएगा।

कर्मचारी कल्याण

उत्तरांचल में नई सरलीकृत भविष्य निर्वाह निधि नियमावली बनाई गई है, इसमें वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि विषयक निष्कासन की स्वीकृति के अधिकार कार्यालयाध्यक्ष को दे दिए गए हैं। कम्प्यूटर, वॉशिंग मशीन, इनवर्टर एवं घरेलू उपयोग हेतु फर्नीचर के क्रय के लिए अस्थाई अग्रिम स्वीकृति किए जाने की व्यवस्था की गई है। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं विवाह आदि के लिए अन्तिम प्रत्याहरण की सीमा 20 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है।

राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के चिकित्सा उपचार के लिए स्मार्ट कार्ड पर आधारित बीमा कम्पनी के माध्यम से सरकारी एवं ख्यातिप्राप्त निजी चिकित्सालयों के उपचार हेतु प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।

सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश को सरलीकृत कर रेल के अलावा वायुयान तथा अन्य साधनों से भी यात्रा किए जाने की छूट पात्र कार्मियों के लिए की गई है। जिन प्रकरणों में समता समिति के सिद्धान्तों तथा अन्य मानकों के आधार पर वेतन विसंगति के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं उनके लिए शासन स्तर पर वेतन विसंगति समिति का गठन किया गया है।

बैंक से भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत अग्रिम राज्य कर्मचारियों को दिए जाने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से राज्य कर्मचारियों की माँग के अनुसार बैंक द्वारा ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध कराया जाएगा, वर्तमान में इस हेतु राज्य के सीमित संसाधनों के कारण माँग के अनुरूप ऋण एवं अग्रिम दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा था। ऋण एवं अग्रिम रु0 2.50 लाख तक की धनराशि पर राज्य सरकार के व्यय पर बीमा की व्यवस्था की जा रही है, तथा दुर्घटना की स्थिति में बैंक के व्यय पर दुर्घटना के समय अवशेष मूलधन एवं ब्याज पर बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार एक साथ दो बीमा योजनाएं देश में सभी सरकारी सेवकों हेतु उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

सीमित संसाधनों के बावजूद केन्द्र सरकार की भाँति 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ने तथा केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिया जाने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य प्रशासनिक सेवाएं

न्याय प्रशासन

न्यायिक कार्यों के लिए भवनों के निर्माण हेतु रु0 18 करोड़ का प्राविधान है। न्यायिक कार्य के प्रभावी संचालन के लिए बार एसोसिएशन के भवन एवं पुस्तकालयों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसके लिए नई माँग से अनुदान के रूप में रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्व प्रशासन एवं सामान्य प्रबन्धन

सरकार राजस्व प्रशासन का निरन्तर सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण कर रही है। नव सृजित जनपदों तथा तहसीलों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा अब जनता को कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रति जारी की जा रही है। राजस्व पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए भी रु0 2.27 करोड़ का प्राविधान है।

आपदा प्रबन्धन

राज्य की विशेष भौगोलिक स्थितियों के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत पूर्व तैयारी करने एवं बचाव तथा पुनर्स्थापना कार्यों हेतु मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। विगत माहों में वर्षा की कमी के दृष्टिगत राज्य के 11 जनपदों की 56 तहसीलें व 3 उप तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं तथा उनके मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। जबकि विविध देयों की वसूली हेतु उत्पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाई गई है।

प्राकृतिक आपदाओं तथा दुर्घटनाओं आदि के समय खोज एवं बचाव कार्यों हेतु विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसके अनतर्गत अब तक 495 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह कार्यक्रम वर्ष 2006–07 में भी चलाया जाएगा। विभागीय व निजी अभियन्ताओं को भूकम्परोधी भवन तकनीक में प्रशिक्षित किए जाने की कार्यवाही भी वर्ष 2006–07 में प्रारम्भ की जाएगी जिसमें 360 अभियन्ता प्रशिक्षित किए जाने प्रस्तावित हैं। आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए गाँवस्तर, विकास खण्डस्तर, जनपदस्तर व राज्यस्तर पर आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की जानी प्रस्तावित हैं तथा जनपद व राज्यस्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र निर्मित किए जा रहे हैं।

पुलिस

राज्य की प्रगति के लिए कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा का वातावरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी रखे जाने की भी आवश्यकता बढ़ गई है इसलिए इस वर्ष पुलिस बल के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में नई माँग से 19 थानों का उच्चीकरण, जल पुलिस के लिए पदों की व्यवस्था तथा लगभग 106 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी/देख–रेख पुलिस चौकी जो अस्थाई रूप से खोली गई थी, को स्थाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत थाना पोखरी/थराली (चमोली)/घनसाली (टिहरी)/रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कैम्पटी (मसूरी), नीलकण्ठ (लक्ष्मण झूला) एवं देख–रेख चौकियाँ, देवल तथा घाट (चमोली) स्थापित की जाएगी। कुमाऊँ परिक्षेत्र में भी थाना सल्ट (अल्मोड़ा), कपकोट (बागेश्वर), थाना तामली (चम्पावत) तथा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी डगोली, कौसानी रीमा, कमेड़ी देवी (बागेश्वर) में नए थाने/चौकियाँ थाना बलुआकोट, थाना पागला (पिथौरागढ़), देख–रेख चौकी हल्दू, देख–रेख चौकी बूंदी, देख–रेख चौकी गाला कालापानी, चौकी ऑंडा, बूग, चौकी गन्डलक, रौसाल एवं थाना बेतालघाट (नैनीताल) की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में प्रथम बार यातायात पुलिस के लिए भी नई माँग में पृथक से व्यवस्था की गई है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए रु0 28 करोड़ की व्यवस्था है। पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए रु0 29.70 करोड़ की व्यवस्था है। पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। पुलिस बल के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए पुलिस विभाग के बजट में गत वर्ष की तुलना में लगभग रु0 37 करोड़ की वृद्धि की गई है।

होमगार्ड्स

विगत वर्षों में होमगार्ड्स की राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि कार्यों में अहम भूमिका रही है। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को माह अक्टूबर, 2005 से प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता रु0 85 से बढ़ाकर रु0 100 तथा प्रशिक्षण भत्ता रु0 28 से बढ़ाकर रु0 50 किया गया है तथा सभी होमगार्ड्स का बीमा भी कराया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरण हेतु खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, साथ ही मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान तथा गेहूँ की खरीद की जा रही है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण या जिला फोरम द्वारा परिवादों का निस्तारण किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के कार्यों के लिए रु0 1.19 करोड़ का प्राविधान है। खाद्य विभाग के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण एवं भूमि के क्रय हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

श्रम एवं सेवायोजन

उत्तरांचल में मधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु औद्योगिक विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्कृति विकसित करना, उत्पादन क्षेत्र के साथ–साथ जनहित सेवा प्रदाय संस्थानों में कार्य संस्कृति और कौशल विकसित करना, न्यूनतम श्रम मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करना, बाल व बंधुवा श्रम की सामाजिक बुराई की रोकथाम की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करना, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, सम्बन्धित स्रोतों से सुझाव आमंत्रित कर श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा के कानूनों को युक्ति संगत और सरल बनाना तथा निरीक्षण व्यवस्था को सुखकर एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

उत्तरांचल के समस्त सेवायोजन कार्यालयों, कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण व नेटवर्किंग एवं उत्तरांचल के सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर काउंसिलिंग के रूप में विकसित किय जाने, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत, रामनगर के सेवायोजन कार्यालयों, कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण, समस्त सेवायोजन कार्यालयों, कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु गठित विशेष यूनिटों का विकास किए जाने, देहरादून में स्टेट रिसोर्स सेंटर का विकास किए जाने, उत्तरकाशी एवं चम्पावत में सचल कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों की स्थापना किए जाने आदि योजनाओं के लिए कुल रु0 11.91 लाख का प्राविधान है।

ट्राईबल सब–प्लान के अन्तर्गत चल रहे शिक्षण एवं मार्ग–दर्शन केन्द्रों कालसी (देहरादून), धारचूला (पिथौरागढ़) एवं दिनेशपुर (ऊधमसिंह नगर) में कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली लागू करना प्रस्तावित है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क

वित्तीय वर्ष 2006–07 में सरकार द्वारा प्रचार–प्रसार को महत्व देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रकाशन किए हैं, इनमें 'सपना हुआ साकार' जनपदवार 'तब और अब' 'उत्तरांचल आइडिया दैट वर्क्स' 'संतुलित–समयबद्ध–समग्र विकास' का उद्देश्यपूर्ण प्रकाशन किया गया है। हमारी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर एक 'विकास पुस्तिका' का प्रकाशन किया गया है। इन महत्वपूर्ण प्रकाशनों के साथ 'उत्तरांचल दर्शन' पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रदेश में फिल्म परिषद् की स्थापना के लिए रु0 1 करोड़, गीत एवं नाट्य योजना के लिए रु0 30.62 लाख, प्रेस क्लबों की स्थापना के लिए रु0 80 लाख तथा जिला सूचना कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 57.80 लाख का प्राविधान है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2006–07 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2006–07 के बजट का वित्तीय विवरण

प्राप्तियाँ

वर्ष 2006–07 में रु0 9902.73 करोड़ का कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 7440.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 2462.20 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2006–07 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 3136.70 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 1065.28 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय

वर्ष 2006–07 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 467.70 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में लगभग रु0 1006.26 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रु0 1922.64 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 701.98 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 411.41 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2006–07 में कुल व्यय रु0 10925.46 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 7596.24 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3329.22 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि में रु0 5024.73 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 5900.73 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 2315.76 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 5280.48 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 2708.97 करोड़ आयोजनागत पूँजी लेखा तथा रु0 620.25 करोड़ आयोजनेत्तर पूँजी लेखा प्रस्तावित है।

लोक–लेखा से समायोजन

वर्ष 2006–07 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 551.27 करोड़ लोक–खाता से समायोजित किए जायेंगे।

अंतिम शेष

वर्ष 2006–07 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष रु0 110.42 करोड़ को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष रु0 541.88 करोड़ होना अनुमानित है। इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। मैं सी0आई0आई0 तथा नाबार्ड एवं अन्य संगठनों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आय–व्ययक की संरचना हेतु उपयोगी सुझाव दिए हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तरांचल एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

मुझे माननीय सदस्यों तथा उत्तरांचल की जनता में पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश के विकास में अनेक कठिनाईयों के बावजूद राज्य को नई बुलन्दियों तक ले जाएगें कि:–

"मेरा साथ कदम मिला के चलो जानिबे मंजिल।
मेरा पैगाम तरक्की है, जहाँ तक पहुँचे।।"

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2006–07 का बजट तथा एक माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 9, नियम 58 में श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की सूचना पर माननीय मंत्री जी अपना पक्ष रखें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमारे साथी श्री महेन्द्र भट्ट जी ने कहा कि चमोली जनपद में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में बड़ी धाँधली हुई और बेरोजगार आन्दोलन कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जनपद चमोली में नियुक्तियों में कोई धाँधली नहीं हुई है। वर्तमान में कहीं कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ब्लाक प्रमुख थे, उन्होंने कुछ शिक्षा मित्रों का अनुमोदन किया था बाद में उसी अनुमोदन को वापस ले लिया इसमें कुछ लड़के कोर्ट में चले गये थे अब कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पोखरी के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी ने अनियमितता की है ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कहीं आन्दोलन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट और माननीय शिक्षा मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूँ, अब हम उठते हैं अपराह्न 4.30 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 4.30 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कार्य स्थगन की सूचना ग्राहयता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जब इस राज्य की स्थापना हुई थी उससे पहले से भी कुमाऊँ और गढ़वाल मण्डल के बीच की जो दूरी है इसके लिए एक ऐसी सड़क की आवश्यकता महसूस की गयी थी जिसमें कम से कम दूरी में लोग अपने क्षेत्र में पहुँच सकें और राज्य बनने के बाद तो खास तौर से पूरी जन भावनाएं इस बात को लेकर थी। अस्थाई राजधानी देहरादून में बनी तो कम समय में पहुँचाने वाले एक ऐसे मार्ग जिससे दूसरे स्टेट से भी न जाना पड़े इन सारी बातों को लेकर जनता ने माँग की थी। मान्यवर, कण्डी मार्ग के नाम से एक मार्ग दशकों से यहाँ आवागमन का साधन रहा है क्योंकि 2001–2005 के बीच कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रकरण ले गये उससे पहले से भी यह आवागमन का साधन रहा है। मान्यवर, एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगायी गयी और उसमें एक एफिडेविट भी दिया गया था, लेकिन जनता के पक्ष को इसमें नहीं रखा गया था। मान्यवर, वे कौन से कारण थे जिससे लोगों में संशय हुआ था कि जन्यून पक्ष इसमें नहीं रखा गया है ? जो लोग सर्वोच्च न्यायालय में गये थे उन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत किये और उनका जो मोटिव है वह यह रहा है कि उनकी अपनी लैण्ड है, लेकिन इसके लिए पूरे समाज की जो भावना है, उसका बलिदान नहीं किया जा सकता है और यह जो कण्डी मार्ग है यह पहले से चलता रहा है। इसकी दूरी 90 किलोमीटर है और जो नया वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किया जा रहा है इसकी दूरी 139 किलोमीटर है। इससे दूरी भी बढ़ रही है और दूसरे स्टेट के अन्दर से भी जाना पड़ेगा। इससे हमें उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही जाना होगा। यह जो रोड है यह फेयर वेदर रोड के नाम से जानी जाती रही है। इसे ऑल सीजन रोड बना दिया जाये। इस रोड के बन जाने से आवागमन की सुविधा तो होगी ही, इससे हमारा जब मानसून रहता है तब जंगल में मूवमेन्ट भी बना रहेगा इससे जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। यह बड़ा तात्कालिक मुद्दा है।

रामनगर से लेकर नैनीताल तक इसको लेकर प्रदर्शन किये गये हैं, यह जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। यह मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ कि कुछ बिल्डर्स के दबाव में यह किया जा रहा है। कण्डी मार्ग रामनगर की ओर से बना हुआ है तथा कोटद्वार की ओर से भी इसे बना दें। वन संरक्षण अधिनियम भी इस पर लागू नहीं होगा। जब 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, यह उससे पहले की सड़क है। यह मार्ग जनहित में बनना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि यह बहुत ही तात्कालिक प्रश्न है, प्रदेश के लिए और हम सब के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि सदन की शेष चर्चा को स्थगित करते हुए इस प्रकरण पर चर्चा कराई जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, निश्चित रूप से सभी मार्ग जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से जब हम किसी ऐसे मार्ग की बात कर रहे हैं जो कि तराई क्षेत्र को जोड़ता हो तो वह और भी महत्वपूर्ण सड़क मार्ग हो जाता है। मान्यवर, यदि मेरे विचार से देखा जाय तो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग वह होगा जो टनकपुर को कालसी से जोड़े। चाहे वह सड़क यातायात का हो, चाहे रेल यातायात हो या फिर किसी मोनो रेल आदि के बारे में हम सोचें। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण मार्ग की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मान्यवर, जब प्रकरण आया है तो उसके कुछ तथ्य भी हमारे संज्ञान में आ जाने चाहिए कि हमारी क्या सीमायें है। मेरी जानकारी में भी नहीं है और यह एक तरह से गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति विशेष अपने हित के लिए, अपनी जमीन के रेट बढ़ाने के लिए या अपने रिसॉर्ट की जमीन तलाशने के लिए अगर रिट याचिका दायर कर रहा है तो किसी भी व्यक्ति के पास अगर उससे सम्बन्धित तथ्य हो तो वह उन्हें न्यायालय में दाखिल कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग था, मैंने उन सब जगहों का भ्रमण भी किया और जो वैकल्पिक मार्ग थे, उन जगहों पर भी मैं स्वयं गया। यह सही है कि कोटद्वार से गूजरसोत तथा गूजरसोत से कालागढ़ तक का मोटर मार्ग 1976 में वन संरक्षण अधिनियम लागू होने से पूर्व स्वीकृत हो गया था और कोटद्वार से गूजरसोत तक पक्की सड़क का निर्माण भी किया गया। कच्ची सड़क से भी वहाँ जाया जा सकता है।

1998 में केन्द्र सरकार ने अपने आप एक जी0ओ0 जारी किया और उस जी0ओ0 में कहा गया, यह जी0ओ0 अंग्रेजी में है, इसलिए मैं इसका सार यहाँ पर बता दूँ कि किसी भी रूप में नान फॉरेस्ट्री यूज का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि राज्य सरकार ऐसे पार्क और सेंच्युरीज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसमें उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का भी उल्लेख किया था। यह मार्ग भी इसी टाइगर प्रोजेक्ट में आता है। इसी प्रकरण में श्री नवीन रौतेला जी ने एक रिट याचिका दायर कर दी जिसका सम्बन्ध जिम कार्बेट पार्क एरिया से ही सम्बन्धित नहीं था बल्कि पूरे देश के जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं वहाँ पर सड़कें न बनाने को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। वर्ष, 2001 में हमने इस क्षेत्र में सड़क मार्ग के

लिए 6841 वृक्षों का पातन किया। वृक्षों के पातन के बाद श्री नवीन रहेजा जी ने पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय में आई0ए0 2 रिट दायर की और इन वृक्षों के पावन पर रोक लगाने की माँग की गई। इस याचिका पर स्थगन आदेश भी हो गया। इसके बाद वर्ष 2001 में पुनः केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों को देखते हुए दूसरा जी0ओ0 जारी किया।

मान्यवर, सेंच्युरी पार्कस के बारे में पुनः स्पष्ट किया गया। इसमें कहा गया है "डिवीजन ऑफ फॉरेस्टलैण्ड इन नैशनल पार्क्स एण्ड सैन्क्चुराइज अण्डर दि फॉरेस्ट (कंजरवेशन) एक्ट, 1980 विद आऊट सीकिंग प्रायर परमीशन ऑफ दि सुप्रीम कोर्ट" आज स्थिति यह है कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें न राज्य सरकर सक्षम है और न ही केन्द्र सरकार सक्षम है। हमकों सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी बात को लेकर जाना पड़ेगा। हमने कोटद्वार और रामनगर की बीच 125.2 किलोमीटर का संरेखण तैयार किया। आज हम जिस रास्ते से जाते हैं, उसकी लम्बाई 165 किलोमीटर है। इस प्रकार लगभग 40 किलोमीटर की दूरी अधिक होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् 138.7 किलोमीटर का संरेखण दिया है। इस प्रकार हमने जो संरेखण दिया है, उससे 13.5 किलोमीटर अधिक होगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से हमारी 7वीं वार्ता हुई। भारत सरकार के सामने हमने यह बात रखी कि यहाँ पर 100 फीट की जो फायर लाईन है, उसमें से हमको निकलने दें। लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हुई क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश का जंगल दो भागों में बंट रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरा संरेखण हमारे सामने उपस्थित किया है। इस स्थिति में जो प्रपोजल दिया है वह पार्क एरिया के अन्दर से जाता है और इसमें वृक्षों का पातन करना होगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को सहमत करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। 13 किलोमीटर की जो लम्बाई बढ़ रही है उसे सुपर हाईवे एरिया बनाना होगा। ताकि उस 13 किलोमीटर की दूरी को तेज गति के साथ तय किया जा सके। इसमें जन प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के माध्यम से जो प्रस्ताव मिल रहे हैं, हम उनका आंकलन कर रहे हैं कि किस तरह से जंगल को पार किया जा सकता है, जिससे हमारे सामने पेड़ों के पातन की स्थिति न आए, हम इस पर भी विचार कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी कि यह रास्ता टोल फ्री होना चाहिए, उत्तर प्रदेश इसमें कोई टोल न लगाए। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया। यह हमारे ऊपर छोड़ दिया है। दोनों राज्यों की सहमति से यह होगा और जरूरत पड़ने पर केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकती है। हमने कोशिश की कि एक ऐसा मार्ग बने जो कुमाऊँ आर गढ़वाल क्षेत्र को आपस में जोड़ सके। लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वानुमति के बाद ही करेंगे। अभी उनके द्वारा हमारे संरेखण को माना नहीं गया है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ, कंडी रोड की बात हमेशा उठती है। जो इलाके कंडी कहलाते है, वह देहरादून में भी है। यमुना नदी और राजपुर के बीच में कंडियों का इलाका है। गंगा और यमुना के बीच शिवालिक के नीचे कंडी क्षेत्र है। कोटद्वार और रामनगर के बीच भी कंडी है। वास्तव में जो कंडी मार्ग था, वह कंडी क्षेत्र को तराई क्षेत्र से अलग करने वाला था। हम जिस रोड की बात कर रहे हैं, यह जड़

पहाड़ रोड है। इसमें आवागमन बाधित नहीं है। इसमें बसें चलती हैं और यदि कोई अपनी निजी गाड़ी लेकर जाना चाहता है तो उससे कोई शुल्क नहीं लेते हैं।

वन मार्गों के प्रयोग करने पर जो शुल्क हर जगह लिया जाता है वही शुल्क हम भी ले रहे हैं। हम इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण करेंगे ताकि लोगों को आने-जाने की जो असुविधा होती है वह भी हल हो जाए। मान्यवर, जो 8 गाँव गढ़वाल क्षेत्र के ऐसे हैं, जिनका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, कोटद्वार-रामनगर मार्ग पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं है। पहले वाली व्यवस्था पूरी तरह से लागू है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वानुमति नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक इस विषय में मैं और अधिक अपने स्तर से बोलने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अतिमहत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री काशी सिंह ऐरी-

माननीय मंत्री जी द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे मैं सहमत हूँ किन्तु जो जनभावना है और आवश्यकता भी है कि गढ़वाल और कुमाऊँ की बीच कोई ऐसा मार्ग होना चाहिए जो सबसे कम दूरी का हो। मान्यवर, इस मार्ग को कंडी मार्ग के रूप में जाना जाता है और यह मार्ग अभी अबाध रूप से चल रहा है। समस्या तब आई जब इसे आपने हाईवे बनाने के लिए प्रस्ताव किया इसमें माननीय सदस्य की जो आशंका है, मैं समझता हूँ, उनका किसी के प्रति कोई दुराशय नहीं है लेकिन उनका यह संदेह, जो मुझे कई लोगों ने बताया कि वहाँ के स्थानीय निवासी और नवीन रहेजा द्वारा जनहित याचिका का सहारा वन एवं पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति लिया गया और अपनी प्रॉपर्टी की कीमत को बढ़ाने के लिए रोड को घुमाने का प्रयास किया जो अब भी जारी है, किन्तु सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि यदि जनता में इस तरह की आशंका पैदा होती है तो उस आशंका का निराकरण किया जाना चाहिए। मान्यवर, जिस मार्ग के संरेखण का जिक्र किया गया है वह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है उससे इसकी दूरी भी बढ़ रही है। इसको कम करने के लिए उस भाग को हटाकर केवल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से मोटर मार्ग ले जाने हेतु तथ्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाने चाहिए ताकि शंकाओं का समाधान हो सके। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट भी उच्च न्यायालय में रखनी चाहिए।

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, किसी व्यक्ति की आशंका का सवाल नहीं है। यह हमारे अपने प्रदेश की भूमि नहीं है। यह भूमि जंगल की सेंच्युरी और जिमकार्बेट की है। यदि यह भूमि किसी ने क्रय की है तो जाँच करवाई जायेगी। जहाँ तक नवीन रहेजा जी का प्रश्न है तो मैं सदन को पूर्ण रूप से विश्वास में लेकर कहना चाहता हूँ कि जो लोग वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन के अन्तर्गत कार्य करते हैं हम उनसे मिले और हमने उनको समझाया और जो उनके द्वारा न्यायालय में एफीडेविट दिया गया है यदि उसका अध्ययन किया जाए तो मैं संतुष्ट हूँ कि इस संरेखण को पास कराने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ।

मान्यवर, हमने छोटे मार्ग के लिए जब पातन किया तो उसमें 40–50 पेड़ काट दिये, इससे शंकाएं उत्पन्न हो गयीं।

मान्यवर, जहाँ तक आपकी बात है कि पुराने मार्ग को हाइवे बनाया जाय तो यह उचित प्रतीत नहीं होता है। मान्यवर, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है आज देहरादून के पुराने मार्गों की अपेक्षा बाई पास से जाने में समय कम लगता है, क्योंकि मुख्य सड़क पर जगह–जगह पर जाम लगा रहता है। मान्यवर, जिस मार्ग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने अवगत कराया है, उस मार्ग को लोक निर्माण विभाग और मुख्य सचिव, उत्तरांचल खुद इसको देख चुके हैं। मान्यवर, इस पर तीन मुख्य सचिवों ने अध्ययन किया है, ये मौके पर खुद गये हैं। मान्यवर, हमने उत्तर प्रदेश से कोशिश की थी कि हमें लाईन मिल जाय। मान्यवर, जो कुछ भी सम्भव होगा हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुराने मार्ग जिस पर यातायात वर्षों से चल रहा है, के सुदृढ़ीकरण के लिए मा0 मंत्री जी ने भरोसा दिलाया। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर तमाम शंकाएं व्याप्त हैं, इस पुराने मोटर मार्ग को लेकर दोनों मण्डलों में तरह–तरह के धरना प्रदर्शन किये जा रहे हैं। मान्यवर, इनको विराम देने के लिए इस पुराने मोटर मार्ग को जल्द से जल्द बना दिया जाय। इसमें कोई बंदिश भी नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि सारी शंकाओं पर विराम लगाते हुए, इस पुराने मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र करा दिया जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय नेगी जी, इस समय कोटद्वार–हरिद्वार मार्ग की बात कर रहे हैं, इसमें जो भी मदद होगी, की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण सिंह जन्तवाल जी को और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत अनियमितता, भ्रष्टाचार के कार्यस्थगन की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण जोकि 304 मेगावाट की है। वर्ष 1980–81 में यह प्रारम्भ हुई थी। मान्यवर, उस समय इस परियोजना की लागत 400 करोड़ रु0 थी और धनाभाव के कारण वर्ष, 1992 में इस परियोजना का कार्य आधा–अधूरा छोड़ना पड़ा। मान्यवर, पुनः अगस्त, 2001 को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से इस परियोजना में 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति से इस पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई। मान्यवर, इसको पूर्ण करने का अक्टूबर, 2005 का लक्ष्य था, लेकिन अभी मार्च, 2006 में भी यह परियोजना कहीं दूर–दूर तक बनती नहीं दिख रही है। मान्यवर, इस देरी के कारण से परियोजना की लागत भी बढ़ रही है और राज्य को बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। मान्यवर, इस परियोजना में जो उच्च अधिकारी हैं वे वित्तीय अनियमितताओं के कारण और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण, परियोजना का समय लम्बा खिंच रहा है। मान्यवर, इसमें देरी होने का मुख्य कारण है उच्च अधिकारियों की अकुशलता।

श्री अध्यक्ष–

आपने सूचना श्री अशोक कुमार राठी की दी है, आप उसी पर बोले, इतना लम्बा न खींचें, आप मुख्य विषय पर ही बोलें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं इसी पर आ रहा हूँ। मान्यवर, परियोजना में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता के पद पर एक ही व्यक्ति श्री अशोक कुमार राठी को नियुक्त किया, जिससे इस परियोजना में उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर गड़बड़ियाँ, घोटाले, भ्रष्टाचार किये गये। मान्यवर, इसका उदाहरण है कि धनारी गाड में 3 जगह पर जो टनल है वह बाई पास बनाई गई जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। मान्यवर, जी0एस0आई0 की रिपोर्ट की भी अनदेखी की गई और सरकार को, प्रदेश को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। मान्यवर, परियोजना में जो रेता और बजरी का प्रयोग हुआ है उसमें मिट्टी की मात्रा भी पाई गई है। मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को 2–2 पद पर किस आधार पर रखा गया ? क्या यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं है ? जबकि मुख्य अभियन्ता स्तर पर हमारे प्रदेश के 4–4 अधिकारी हैं। ये वैसे अधिकारी हैं जिनके विरूद्ध पूर्व में मामले सामने आये हैं, उनके विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि में भी भर्त्सना की। मान्यवर, इन्हें महत्वपूर्ण परियोजना में, महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया, इसके क्या कारण थे, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं है तो क्या है ?

मान्यवर, इनके द्वारा सीमेन्ट क्रय किया गया है वह लगभग 25 करोड़ का क्रय किया गया है और जबकि इसके लिए क्रय समिति है इसमें उनको कोई व्यक्तिगत अधिकार नही था। इसमें राज्य सरकार की जो क्रय समिति है उसको अधिकार होता है वह खुली निविदा के आधार पर सीमेन्ट का क्रय करें। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को अनदेखा करके 25 करोड़ का सीमेन्ट खरीदा है। राज्य में अन्य एजेंसियों द्वारा सीमेन्ट आपूर्ति की पेशकश की गई है। मान्यवर, इससे राज्य को 8 प्रतिशत टैक्स फार्म 'डी' के माध्यम से अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। मान्यवर, इससे यह परिलक्षित होता है कि निजी कम्पनियों की मिली भगत से यह कार्य किया गया है। मान्यवर, शाटकिट मशीन साढ़े तीन करोड़ की क्रय की गई, यह भी क्रय समिति के माध्यम से क्रय नहीं की गई। मान्यवर, मनेरी भाली परियोजना में जो हमने आरोप लगाये हैं उन सभी आरोपों की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय जाँच की माँग करता हूँ। मान्यवर, यह परियोजना हमारे प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिस पर बार–बार जनप्रतिनिधियों द्वारा, उनके विभागीय जो कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा उंगली उठायी जा रही है। ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना पर जो भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दे प्रकाश में आये इसकी सी0बी0आई0 जाँच करते हुए श्री राठी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे स्थगित रखता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के एक भाग के लिए लेखानुदान पर चर्चा एवं मतदान

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि दिनांक 31–03–2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, 2006 में उत्तरांचल सरकार के व्यय के लिए

लेखानुदान का विवरण जो दिनांक 27–03–2006 को सदन में प्रस्तुत किया गया, की अनुसूची में दिये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले आवश्यक व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो रुपये 774 करोड़, 14 लाख, 79 हजार से अधिक न हो।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2006–2007 का बजट प्रस्तुत कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में हम अनुदानवार माँगों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अतः अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह के वचनबद्ध व्ययों तथा वेतन, किराया उपशुल्क आदि व्ययों को वहन करने के लिए, जैसे कि परम्परा भी रही है, एक माह का लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है। चूंकि यह व्यवस्था वचनबद्ध व्ययों हेतु की गई है एवं विस्तृत चर्चा अनुदान की माँगों पर होगी। अतः इसे पारित किये जाने का अनुरोध करती हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि सरकार ने लेखानुदान की एक परम्परा बना दी है। आज नियमित बजट प्रस्तुत होना चाहिए था। यह ठीक है कि यदि 31 मार्च तक बजट पारित नहीं होता है तो निश्चित रूप से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। जब 3 माह का पर्याप्त समय था तो जनवरी से मार्च तक सरकार ने नियमित बजट प्रस्तुत न करके लेखानुदान की सदन से पेशकश की । मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन चार वर्षों से जिस प्रकार से परम्परा सरकार ने डाली है वह निश्चित रूप से स्वस्थ परम्परा नहीं कही जा सकती और इस लेखानुदान को स्वीकृति तो संख्या बल के आधार पर मिल जायेगी। मान्यवर, इस छोटे से सदन में नियमित संख्या में उपवेशन होने चाहिए, इसमें कम से कम 60 उपवेशन होने चाहिए यह निश्चित रूप से उत्तरांचल राज्य के लिए दुखद विषय है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनांक 31–03–2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, 2006 में उत्तरांचल सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण जो दिनांक 27–03–2006 को सदन में प्रस्तुत किया गया, की अनुसूची में दिये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले आवश्यक व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो रुपये 774 करोड़, 14 लाख, 79 हजार से अधिक न हो, को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जाएं।

(प्रतियां वितरित की गयी)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006

(विधेयक संख्या– वर्ष 2006)

राज्य की संचित निधि में से 01–04–2006 से 30–04–2006 की अवधि में सेवाओं पर व्यय के लिए कतिपय धनराशि के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये

<u>विधेयक</u>

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2006 है।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2006–2007 के लिए रु0 9104549000 का दिया जाना

2. उत्तरांचल की संचित निधि में से, 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, रु0 9104549000 (रुपये नौ सौ दस करोड़ पैंतालीस लाख उन्चास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ–7 और 9 में विनिर्दिष्ट मतदेय तथा स्तम्भ–8 और 10 में विनिर्दिष्ट भारित धनराशियों का योग है, निकाली जा सकेगी।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत धनराशि, उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है।

(हजार रुपये)

अनुदान / क्रम तथा उसका विवरण		कुल माँग				1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2006 हेतु आवश्यक धनराशि			
		राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01–	विधान सभा	78022	6611			6502	551	0	0
02–	राज्यपाल		25346			0	2112	0	0
03–	मंत्रि परिषद्	268301				22358	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	390177	114653	180001		32515	8554	15000	0
05–	निर्वाचन	156123				13610	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2245230	7950	1210001		187103	663	100833	0
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	9760412	11432549	1858970	4692815	813368	952712	154914	391091
08–	आबकारी	44206		5000		3684	0	417	0
09–	लोक सेवा आयोग		39425		5000	0	3285	0	417
10–	पुलिस एवं जेल	3274249		527001		272854	0	43917	0
11–	शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति	14622459		1317774		1218538	0	109815	0
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	3846156		1370904		320513	0	114242	0
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	6291233		40000		524269	0	3333	0
14–	सूचना	155985				12999	0	0	0

(हजार रुपये)

अनुदान / क्रम तथा उसका विवरण	कुल माँग				1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2006 हेतु आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
15– कल्याण योजनायें	1493910		126503		124493	0	1045C	0
16– श्रम और रोजगार	656109		168001		54678	0	14000	0
17– कृषि कर्म एवं अनुसंधान	1885434		39600		157120	0	3300	0
18– सहकारिता	217108		150000		18002	0	12500	0
19– ग्राम्य विकास	2651955		552116		220996	0	46010	0
20– सिंचाई एवं बाढ़	1988737		3452100		165728	0	287675	0
21– ऊर्जा	459141	1	4779115		38262	0	398260	0
22– लोक निर्माण कार्य	3094673	30640	4414301		257889	2553	367858	0
23– उद्योग	883448		1452503		73621	0	121042	0
24– परिवहन	394111		617501		32843	0	51458	0
25– खाद्य	165737		50000		13811	0	4167	0
26– पर्यटन	237936		578500		19828	0	48208	0
27– वन	2984336		935001		248695	0	77917	0
28– पशुपालन सम्बन्धी कार्य	525502		212898		43792	0	17742	0
29– औद्योगिक एवं रेशम विकास	608248	2665	40000		50687	222	3333	0
30– अनुसूचित जातियों का कल्याण	4251416		3701841		354284	0	308487	0
31– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	672188		816546		56016	0	68046	0
योग :	64302532	11659840	28595177	4697015	5358546	971652	2382933	391418
राजस्व / पूँजी का कुल योग	75962372		33292192		6330198		2774351	
महायोग (कुल माँग एवं आवश्यक माँग)	109254564				9104549			

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 के खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधयेक, 2006 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय पंवार जी की सूचना में मेरे भी हस्ताक्षर थे। इसलिए मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय पंवार जी ने आरम्भ में जो बातें कही या जो चिंता जताई वह सही है। ऐसे अक्षम, भ्रष्ट अधिकारी की वजह से परियोजना बनने में विलम्ब हुआ। मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है। मैं केवल कुछ बिन्दुओं पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मान्यवर, वह हमारे शासन के सचिव का पत्र है जो उन्होंने 2 दिसम्बर, 2005 को लिखा चीफ इंजीनियर को। यह पत्र मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग को लिखा गया। ''मनेरी भाली परियोजना स्टेज–2 के निर्माण कार्यों में शासन को विभिन्न स्तरों से तथा समचार–पत्रों के माध्यम से हो रही अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही है जिससे शासन/प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।'' मान्यवर, यह विभागाध्यक्ष को शासन के सचिव ने लिखा कि हमने कई बार आख्या माँगी, लेकिन विभागाध्यक्ष ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मान्यवर, अधिकारी इतने बेलगाम हो गये, इतने अनुशासनहीन हो गये यह इससे स्पष्ट होता है। मान्यवर, और यह जवाब है विभागाध्यक्ष का।

महोदय, उपरोक्त विषय पर कृपया शासन के पत्रांक 797/11–05–12/2(1)/05 दिनांक 2–12–05 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस पत्र के माध्यम से चार बिन्दुओं पर और माननीय श्री विजयपाल सिंह सजवाण, माननीय विधायक एवं अध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल के पत्र संख्या मेमो/राआरास/2005 दिनांक 27–10–2005 द्वारा प्रेषित पत्र पर टिप्पणी चाही गई है।

सूचनीय है कि मनेरी भाली परियोजना चरण द्वितीय के सम्बन्ध में जो भी जानकारी की आवश्यकता होती है उसे मुख्य अभियन्ता यमुना एवं अधीक्षण अभियन्ता मनेरी भाली चरण द्वितीय मण्डल जोशियाड़ा के कार्यालय से ही प्राप्त होने के पश्चात् ही आख्या दी जा सकती है, जिसके लिए इस कार्यालय से निरंतर प्रयास किये गये परन्तु मुख्य अभियन्ता यमुना एवं अधीक्षण अभियन्ता मनेरी भाली स्टेज-2 मण्डल जोशियाड़ा का कार्य एक ही अधिकारी के पास होने के कारण प्रायः कोई भी सूचना समय से नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। जो सूचना दी भी जा रही है, वे अंशतः एवं विलम्ब से दी गई है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों से समझा जा सकता है कि इनके सामने उच्चाधिकारी कितनी निरीह अवस्था में हैं। इसमें आगे लिखा है कि "इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक 1724/मु०अ/सिविलदे/ए-14/मनेरी भाली/डी०आर०बी० दिनांक 28-6-05 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित की गई थी। जिससे स्पष्ट होगा कि उक्त सूचना के सम्बन्ध में कितने अधिक पत्र लिखने के उपरान्त भी सूचनायें प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि उक्त विषय से सम्बन्धित यह पत्र अंतिम नहीं है तथा उसके उपरान्त भी अनेकों पत्र उन्हें लिखे गये परन्तु मुख्य अभियन्ता यमुना द्वारा वांछित सूचनायें इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने में कोई सहयोग नहीं दिया। फिर भी बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।" मान्यवर, यह सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष का पत्र है और इसे देखने से प्रतीत हो जाता है कि इस अधिकारी अशोक राती के सामने उनके उच्चधिकारी और विभागाध्यक्ष भी कितने निरीह और व्यथित हैं। मान्यवर, जो बिंदु उनके द्वारा दिये गये हैं उनमें पहला है एम०बी०टी० इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी से 3.48 करोड़ रुपये का शार्टकिट मशीन अनियमित रूप से क्रय करना, दूसरा बिंदु है मनेरी भाली स्टेज-2 निर्माणाधीन परियोजना की कमजोर सपोर्ट लगाने से सुरंग को जान-बूझ कर गिराने व करोड़ों रुपयों की वित्तीय अनियमितता, तीसरा बिन्दु है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना चरण द्वितीय फेस-3 में उत्पन्न तकनीकी अभियन्ता से जाँच कराने के सम्बन्ध में तथा चौथा बिंदु है श्री सीमेन्ट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा जोशियाड़ा स्थित अधिशासी अभियन्ता डिविजन की ओर से सीमेन्ट आपूर्ति के सम्बन्ध में शिकायत।

मान्यवर, यह पहले ही स्पष्ट है कि इस अधिकारी का इतना रूआब है कि वह अपने उच्चाधिकारियों को कोई भी उत्तर देना उचित नहीं समझते हैं, उच्चाधिकारी कितने निरीह दिखते हैं उनके सामने। मान्यवर, उनका रूआब कहें या अनुशासनहीनता वह तो इस पत्र से स्पष्ट हो गया और दूसरा अगर उनकी कार्य प्रणाली को देखा जाय तो मान्यवर, 3.48 करोड़ रुपये की मशीनें खरीदी गई। मान्यवर, आप भी अवगत होंगे और माननीय मंत्री जी भी अवगत होंगी कि बिना शासन के अनुमति लिये, बिना विभागाध्यक्ष के, बिना कोई कमेटी बनाये उन्होंने खरीद कर ली। इस सम्बन्ध में शासनादेश है कि बिना किसी कमेटी के इतने मूल्य की मशीनें नहीं खरीदी जा सकती हैं। मान्यवर, मनेरी भाली स्टेज-2 परियोजना की टनल को कमजोर सपोर्ट दिया गया इसके लिए मान्यवर, जियालॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया और अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट की राय को भी उनके द्वारा दरकिनार कर दिया गया। तमाम टेक्निकल लोगों की जो राय थी, जो सुझाव थे,

उन्हें नहीं माना गया और उन्होंने भी कहा है कि अगर हमारी राय को माना जाता और वीक एण्ड फैलाइंग जोन में मजबूत सपोर्ट हमारी राय के अनुसार लगाया जाता तो यह नहीं ढहता। लेकिन उनके द्वारा इन सुझावों का पालन नहीं किया गया।

इसके अलावा सीमेन्ट क्रय करने के लिए उनके द्वारा कोई निविदा नहीं की गई। अपने मन से जैसे उन्हें सही लगा उन्होंने बाजार से भी महगी दरों पर सीमेन्ट खरीद लिया। जब कि वहाँ पर बड़ी सीमेन्ट कम्पनियों के प्रस्ताव उन्हें मिले थे, उनकी निविदायें आई थी, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा किया। मान्यवर, बाद में उन्होंने शिकायत की कि हम तो इतनी कम कीमत में सीमेन्ट सप्लाई करना चाहते थे लेकिन इन अधिकारी महोदय ने अधिक कीमत का आदेश दे दिया। मान्यवर, इनके खिलाफ इतनी गम्भीर आरोप लगे हैं। बाद में शासन स्तर पर इसका संज्ञान लिया गया तो उनसे कहा गया कि इसकी जाँच करके आख्या दें। मान्यवर, उसी अधिकारी श्री अशोक राठी जी से इसकी जाँच करने को कहा गया। उन्होंने ही सब कुछ किया था, जाँच आख्या भी उनसे ही माँगी गयी। उन्होंने चलते-चलते एक आख्या बना दी। जब शासन ने वह आख्या देखी तो कहा कि पूरी गम्भीरता से इस आख्या को नहीं लिखा गया है। इस सम्बन्ध में उनको एक प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गयी। लेकिन ताज्जुब होता है कि विभागीय डी0पी0सी0 की बैठक में प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद उनको बुलाया गया और उनका नाम भी पदोन्नति हेतु कंसीडर किया गया है। इसका निर्णय क्या होगा यह मुझे नहीं पता। लेकिन जो अनियमितता हुई है, उसके बाद यदि इस अधिकारी का प्रमोशन होता है तो सरकार की क्या छवि बनेगी और किस तरह से यह परियोजना बनेगी, किस तरह से ऊर्जा प्रदेश बनेगा ? यह गम्भीर बात है। इस विषय पर चर्चा तो करनी ही होगी। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करूँगा कि यदि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीर है और तथ्य की जानकारी लेना चाहती है तो कम से कम सी0बी0आई0 से इसकी जाँच कराए।

मनेरी भाली स्टेज-2 एक ही ऐसी परियोजना है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसे हमारा प्रदेश बना है। लेकिन इसके लिए भी उत्तर प्रदेश से ठेके एलॉट हो रहे हैं। यह अलग विषय है, इस सम्बन्ध में कभी और चर्चा करेंगे। यदि सरकार अपनी छवि को साफ करना चाहती है तो सरकार को अपनी स्वस्थ छवि बनाने के लिए इस परियोजना में कार्यरत अधिकारी के खिलाफ सी0बी0आई0 जाँच की घोषणा करनी होगी। तभी मैं मानूँगा कि सरकार की छवि अच्छी है।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)-

मान्यवर, श्री अशोक कुमार राठी के अधीक्षण अभियन्ता, मनेरी भाली परियोजना एवं कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता (यमुना) के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण की टनल खुदाई के फेस-3 के अन्तर्गत सुरंग धसने की घटना हुई थी। इस घटना के कारणों की जाँच करने हेतु शासन द्वारा प्रकरण केन्द्रीय जल आयोग को संदर्भित किया गया है जिसके क्रम में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचनायें उन्हें उपलब्ध कराई गयी हैं। शासन के पत्रांक 940/11-06-01(03)/06, दिनांक 25-03-2006 के द्वारा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को जाँच की कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण कराने हेतु अनुस्मारक भी भेजा गया है। इसके अतिरिक्त सूचना में

यथा अंकित श्री अशोक कुमार राठी के विरुद्ध शार्टकिट मशीन एवं सीमेन्ट क्रय करने में अनियमितता बरते जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष से जाँच कर आख्या देने हेतु निर्देश दिये गये थे। तत्कालीन मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रकरण की जाँच किसी अन्य विभागीय अधिकारी से कराये जाने की संस्तुति किये जाने पर शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता श्रेणी–1 एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग से प्रकरण की जाँच कराने का निर्णय लेकर शासन के पत्रांक 1665ए/11–06–01(03)/06, दिनांक 25–03–2006 के द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग से प्रश्नगत जाँच की कार्यवाही मुख्य अभियन्ता श्रेणी–1 लोक निर्माण विभाग से एक माह के अन्दर कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरणों में जाँच आख्यायें प्राप्त होने पर शासन द्वारा सम्यक् निर्णय लिया जाएगा। सम्प्रति शासन के आदेश संख्या 1223/11–06—01(03)/06, दिनांक 18–03–2006 द्वारा श्री अशोक कुमार राठी को अधीक्षण अभियन्ता, मनेरी भाली परियोजना के पद से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मान्यवर, जहाँ तक श्री अशोक कुमार राठी, अधीक्षण अभियन्ता को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के बावजूद उन्हें मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के रूप में चयनित किये जाने का प्रश्न है तो मैं यह अवगत कराना चाहती हूँ कि डी0पी0सी0 तब बैठाई जायेगी जब तक उनके द्वारा की गई तीन अनियमितता की जाँच पूरी नहीं हो जाती है। पहली अनियमितता जो टनल क्षतिग्रस्त हुई है इसकी जाँच केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री आर0 जयशीलन भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो उनके द्वारा शार्टकिट मशीन एवं सीमेन्ट क्रय किया गया यह उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं था, की जाँच शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता श्रेणी–1 लोक निर्माण विभाग से एक माह के अन्दर जाँच कराये जाने का अनुरोध किया गया है। मान्यवर, जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती उनकी डी0पी0सी0 पद पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त श्री राठी को मुख्य अभियन्ता, यमुना के अतिरिक्त पद से हटा दिया गया है। मान्यवर, उन्हें 2004–05 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि क्षतिग्रस्त टनल को देखने मैं स्वयं पिछले महीने 13–14 फरवरी को गई थी। मैंने फेस–1 से लेकर फेस–4 की सभी अन्दर की टनलों को देखा उसके बाद मैं वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिली क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय था।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, श्री राठी के सारे क्रियाकलापों की जाँच होनी चाहिए। यह जाँच सी0बी0आई0 से होनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं अगर वे चाहें तो सरकार की ओर से सी0बी0आई0 जाँच की घोषणा कर सकती हैं। मान्यवर, जो जाँच की जा रही है वह विभागीय स्तर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। सरकार की तरफ से सी0बी0आई0 जाँच की घोषणा की जाती तो उचित होता।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय सदस्य की चिंता की जो बात है उससे मैं भी सहमत हूँ। जिस प्रकार से माननीय सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी और माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार जी

द्वारा सी0बी0आई0 जाँच की माँग की गई है इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार भी चाहती है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जाँच सी0बी0आई0 से होनी चाहिए। इसलिए मैं सदन में सी0बी0आई0 जाँच की घोषणा करती हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह पंवार, माननीय श्री काशी सिंह ऐरी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 की एक अति महत्वपूर्ण सूचना को रखने का अवसर दिया।

मान्यवर, यह कार्यस्थगन का तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोकमहत्व का प्रश्न है, जिसे मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, 04 फरवरी, 2006 से जनपद पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय में इस सम्पूर्ण जनपद के जो स्थानीय निर्बल वर्ग के शोषित, वंचित नागरिक हैं, वे धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके पास दो वक्त की रोटी खाने तक को पैसा नहीं है, ऐसे लोग 50 दिन से धरने पर बैठे हुए है। मान्यवर, निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत वर्ष 1989–90 में इन्हें किसी को तीन हजार रु0, किसी को दो हजार रु0 तथा किसी को चार हजार रु0 ऋण दिया गया था। मान्यवर, ऋण देने के दो–तीन वर्ष बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश में यह घोषणा हुई थी कि 10 हजार रु0 के नीचे का ऋण माफ कर दिया गया। मान्यवर, 18 वर्ष व्यतीत होने के बाद उत्तरांचल में ऋण की वसूली के नोटिस खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जारी हुए और इसमें साफ–साफ कहा गया है कि ऋण माफी हेतु कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में शासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हुडको बैंक ऋण की अदायगी उत्तरांचल शासन की वचनबद्धता है और किसी भी दशा में ऋण माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके हित में होगा कि आप बकाये की धनराशि यथाशीघ्र कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें ताकि दण्ड ब्याज के रूप में आपको और अधिक हानि न हो।

मान्यवर, इसके साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि आपको ऋण अदायगी हेतु अन्तिम बार सूचित किया जा रहा है। अब आपको कोई अन्य नोटिस/सूचना नहीं दी जायेगी। मान्यवर, इसमें मूल धन तीन हजार रु0 था तथा इस पर ब्याज 4319 रु0 है, इस तरह यह कुल राशि 7319 है। इसकी वसूली होनी है, इसके लिए नोटिस जारी हुए हैं। मान्यवर, यह विषय सारे प्रदेश का होगा। मान्यवर, जिन लोगों के पास दो वक्त की रोटी खाने को नहीं है, उनसे इतनी वसूली की जा रही है इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक ओर जहाँ राज्य में सूखे का प्रकोप है, ऊपर से ये पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, निर्बल वर्ग के लोग हैं, इनकी सहायता सरकार को करनी चाहिए। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि सरकार मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से या किसी अन्य स्रोत से इसकी पूर्ति करें, यह स्थिति पूरे प्रदेश की है। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं है। अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, हमारे पास उसकी कोई सरकारी सूचना नहीं है। मान्यवर, इन लोगों ने निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत ऋण लिया है। जहाँ तक ऋण वसूली का प्रश्न है जिन शर्तों के साथ उन्होंने ऋण लिया होगा, उसी के अनुसार वसूली हो रही होगी। जहाँ तक माननीय पंत जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इसमें कोई प्राविधान किया गया है, इसकी जानकारी करनी पड़ेगी। मान्यवर, जहाँ तक सूखे के कारण ऋण वसूली स्थगित करनी की बात है, तो इस कारण उनकी वसूली भी स्थगित कर दी जायेगी। मान्यवर, इसके आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी, श्री हरीदास जी द्वारा और उनके दल के द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव दिया गया मैं उन पर बल देता हूँ और मैं सरकार से चाहूँगा कि जो संशोधन प्रदेश के हित में हैं उन संशोधनों पर सरकार कुछ काम करें, तो हम सरकार के आभारी रहेंगे और यदि हमने संशोधन दिया और उस पर कार्य नहीं हुआ तो संशोधन रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। मान्यवर, यह सदन विधायकों का है तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि माननीय विधायकगणों का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, माननीय विधायक जो पत्र माननीय मंत्रियों को लिखते हैं उसका उत्तर तो मिल जाता है परन्तु उसके बाद क्या कार्यवाही होती है उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, उससे हम अवगत नहीं हो पाते हैं।, तो इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सचिवों ने जो काम किया उसका उत्तर माननीय विधायकों को मिलना चाहिए और जो सचिवों को पत्र लिखते हैं उसका उत्तर हमको मिलना चाहिए। मान्यवर, इस पर हम बल देते हैं। मान्यवर, जिला योजना पर जो पैसा होता है उन पर विधायकगणों की राय होती है उस पर अमल किया जाना चाहिए। मान्यवर, दूसरा संशोधन है राज्य के नाम का, तो राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया तो मैं चाहूँगा कि सरकार नाम परिवर्तन की कोशिश न करें, अच्छा होता कि विकास कार्यों का काम करें। मान्यवर, आपने कहा कि चार हजार करोड़ की वार्षिक योजना है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह योजना 56 सौ करोड़ की होनी चाहिए। मान्यवर, इतनी महंगाई बढ़ गई, 50 प्रतिशत महंगाई बढ़ गई। मान्यवर, सरकार ने स्वीकार किया कि हमने 36 सौ करोड़ की योजना भेजी थी और वह 4 हजार करोड़ की हो गई, इसका मतलब है कि आँधी तूफान में आम आपके हाथ लग गया।

मान्यवर, राजकीय फलोद्यान निजी कम्पनी को दिया गया तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इसका लाभ हमारी जनता को मिले। मान्यवर, जो फलोद्यान निजी कम्पनी को दिये गये हैं उस पर पुनर्विचार करें। मान्यवर, उत्तरांचल में छोटे-छोटे ठेकेदार होते हैं और यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा है, तो लोक निर्माण विभाग से मेरा अनुरोध है कि जो बड़े-बड़े टेण्डर करते हैं, तो बड़े-बड़े टेण्डर न करके छोटे-छोटे टेण्डर चाहिए, ताकि यहाँ के स्थानीय ठेकेदारों को काम मिल सके।

मान्यवर, बस किराये में वृद्धि हुई है। बस में रईस आदमी तो सफर करता नहीं है, बस में तो श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग ही यात्रा करता है। मान्यवर, बसों के किराये में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। मैं चाहता हूँ कि इसे वापस लें ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके। मान्यवर, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्याज जहाँ 5 रु0 किलो था आज 20 रुपये किलो हो गया है, सीमेन्ट डेढ़ सौ रुपये था वह 265 रुपये हो गया है, इस महंगाई ने जनता का जीवन दूभर कर दिया है। इसके बारे में सरकार विचार करें। मान्यवर, सरकार जलकर, सीवर चार्जेज, विद्युत दर, सिंचाई दर और नलकूप दर में वृद्धि बेतहाशा हुई है। इसका प्रभाव गरीब जनता पर पड़ा है, इसे सरकार वापस ले। मान्यवर, अभी मूल निवास प्रमाण-पत्र के बारे में जिक्र हुआ था, अभी वन मंत्री जी ने कहा था कि हम मूल निवास प्रमाण-पत्र को स्थायी निवास प्रमाण-पत्र नहीं मानेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार की इस बात को मैं नहीं मानता। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई आदेश करते हैं तो उनके आदेशों का पालन होना चाहिए। यह देखा गया है कि माननीय मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं होता है, इससे हमको बुरा लगता है। मान्यवर, प्रदेश में नौकरशाही बढ़ रही है इस पर लगाम लगानी चाहिए अन्यथा अराजकता फैल जायेगी।

मान्यवर, मूल निवास प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि इससे अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है, इसका समाधान होना चाहिए। शिक्षा मित्र और शिक्षा बंधु, व्यवसायिक शिक्षा, आचार्य अनुदेशक, पी0टी0सी0 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनको नियुक्ति मिली है और जो संविदा में कार्यरत हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 1996 से पूर्व के कर्मचारियों का हम नियमितीकरण करेंगे। मान्यवर, यह विचारणीय बिन्दु है चाहे वह वन निगम हो, जल निगम हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो उसमें किसी को 20 वर्ष हो गये हैं तो किसी को 25 वर्ष हो गये हैं उनका नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, कई लोग तो उसमें सेवानिवृत्त हो गये हैं। राजस्व विभाग में संग्रह अमीन हैं, पी0डब्ल्यू0डी0 में वर्क चार्ज कर्मचारी है वह अपनी माँग के लिए धरने में बैठे हुए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसे कर्मचारियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाय ताकि उनको राहत मिल सके। मान्यवर, हमारे गाँवों में 80 प्रतिशत लोग निवास करते हैं, गाँवों के विकास के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं है। यदि आप प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो गाँव का विकास करें।

मान्यवर, गरीब किसान वहाँ रहते हैं। मैं चाहूँगा कि किसानों के विकास के लिए सरकार योजनाएं बनाए और उनकी अनदेखी न करें। हमारा बजट भी गरीबोन्मुखी,

किसानोन्मुखी होना चाहिए। पी0डब्ल्यू0डी0 के बारे में मेरा निवेदन है, मैं उत्तरांचल के विभिन्न क्षेत्रों में गया हूँ, डामरीकरण हो रहा है। आगे-आगे डामरीकरण हो रहा है और पीछे-पीछे सड़क उखड़ रही है। सिंचाई विभाग ने गूलें बनायी हैं उनमें पानी ही नहीं है। मान्यवर, जहाँ पानी नहीं है वहाँ गूलें बनायी जा रही हैं। डामरीकरण और गूलों के निर्माण में जो वित्त का दुरुपयोग हुआ है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, औद्योगिक विकास बहुत अच्छी बात है। आपने हरिद्वार में औद्योगिक विकास पर जोर दिया, ऊधमसिंह नगर में औद्योगिक विकास पर जोर दिया मगर माननीय अध्यक्ष जी, जो औद्योगिक इकाइयाँ पर्वतीय क्षेत्रों में हैं वे वीरान पड़ी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि इनको भी आप सरसब्ज करें तो अच्छा होगा। मान्यवर, बड़ी संख्या में बस दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तो बस में बैठने में भी डर लगता है। सरकार को सड़कों को दुरुस्त करना चाहिए, ड्राईवर सही हो। सरकार ने ड्राईवरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। मगर मार्ग दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं। ड्राईवर का शराब पिये होना, सड़क पर सही न होना, गाड़ी की फिटनेस सही न होना आदि। मान्यवर, प्रदेश इस समय कर्जे की चपेट में है। मान्यवर, सरकार का नारा है कि "यावत जीवेत सुखम् जीवेत। ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत।।" (व्यवधान) जब हम बोलते हैं तो ये हँसते रहते हैं।

आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन आज बिजली की कटौती की जा रही है। आज ग्रामीण इलाकों की हालत यह है कि बिजली आने पर भी उन्हें लैम्प जलाना पड़ता है, वोल्टेज इतना कम रहता है। 24 घंटे बिजली देने का आपने वायदा किया था, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। उपभोक्ताओं को गलत बिल दिये जा रहे हैं। मान्यवर, उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होना चाहिए। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि 48 घंटे में हम विकल्पधारियों को यहाँ से भेज देंगे। आप 48 घंटे में तो नहीं भेज पाये और पुरानी बातों की बात आप क्या करते हैं। (व्यवधान)

औद्योगिक इकाइयों में सरकार ने यह कहा कि 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यह दास्तान भी सुन लें मान्यवर, उन औद्योगिक इकाइयों में जो कर्मचारी लगाये गये हैं, उनको मात्र 15 सौ, 18 सौ और 12 सौ रुपये ठेकेदारों के माध्यम से मिलते हैं। इस संशोधन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे नवयुवकों को औद्योगिक इकाइयों के ठेकेदारों के माध्यम से लगाया जा रहा है उसे बन्द किया जाय और वह औद्योगिक इकाइयाँ स्वयं उन नवयुवकों को रोजगार दें। तभी इसे आपकी उपलब्धता कहा जा सकेगा नहीं तो मान्यवर, हमारा नवयुवक 12 सौ, 15 सौ और 18 सौ रुपये में क्या कर पायेगा, कैसे अपना जीवन यापन कर पायेगा, यह विचारणीय विषय है। मान्यवर, हमारा जो राजस्व विभाग है उसके कई कागजात और प्रकरण चकबंदी विभाग के पास पड़े हैं। राजस्व विभाग के जो प्रकरण हैं वे चकबन्दी विभाग से उनके पास वापस जाने चाहिए क्योंकि राजस्व विभाग कह देता है कि प्रकरण चकबन्दी विभाग के पास है।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्य तो अभी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब आपको एक साल बाद मिल जायेगा। मान्यवर, जो बी0पी0एल0 कार्ड है, एक प्रस्ताव यहाँ से भारत सरकार को जाना चाहिए। जो वंचित रह गये हैं उनका कार्ड बनाया जाना चाहिए और

उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। मान्यवर, आपने 29 तहसीलें खोल दी और 6 उप तहसीलें खोल दी, लेकिन वहाँ पर स्टाफ नहीं दिया। आप चकराता चलें जायं, मैं अभी यमकेश्वर गया था और अल्मोड़ा की ओर भी गया था तो वहाँ पर यह तहसीलें काम नहीं कर रही हैं। कर्मचारी वहाँ पर नही है, मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर आप स्टाफ की व्यवस्था कर दें ताकि लोगों को फायदा हो सके।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, आप लालकुआँ नहीं गये होंगे, वहाँ पर कार्य हो रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, भूकम्प राहत के बारे में कहना चाहता हूँ, वर्ष 1991–92 में और वर्ष 1999 में जो विनाशकारी भूकम्प हमारे यहाँ आया था, उसके लिए हमारी सरकार द्वारा राहत बाँटी गई थी, उसके बाद से कोई भी राहत नहीं बांटी गई। यह राहत बंटनी चाहिए, जिनको हमने वायदा किया था कि आपको राहत मिलेगी, जो वंचित रह गये है उनको राहत मिलनी चाहिए, अगर उन्हें राहत बांटेंगे तो अच्छा होगा। मान्यवर, आज उत्तरांचल राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरांचल में माओवाद अपने पैर पसार रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। दून विश्वविद्यालय की बात हम करें या यूनिवर्सिटी इन द स्काई की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले मैं यह चाहूँगा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए।

मान्यवर, यदि प्राइमरी में हमारा शिक्षा स्तर ऊँचा उठ जाएगा, जूनियर हाई स्कूल में स्तर उठ जाएगा और हाई स्कूल में स्तर उठ जाएगा, तब दून विश्वविद्यालय की कल्पना साकार हो सकती है। प्राइमरी शिक्षा का स्तर उठाए बिना दून विश्वविद्यालय की बात करना हानिकारक है। मान्यवर, रेशम फार्म के बारे में कहना है, यह आज वीरान पड़े हैं। कोई लाभ में नहीं चल रहे हैं। रेशम फार्म को फायदे में लाना होगा ताकि ये इन्कम दे सकें। मान्यवर, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भेड़ पालक हैं लेकिन उनका ऊन घर में सड़ रहा है। उनकी ऊन की बिक्री की व्यवस्था सरकार करा दे तो इनको लाभ मिलेगा।

मान्यवर, स्थानान्तरण नीति के बारे में कहना चाहता हूँ स्थानान्तरण नीति और नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। आधी अधूरी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। मान्यवर, श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना का काम पहले डंकन को दिया फिर अलकनन्दा पावर कारपोरेशन को दिया और अब कह रहे हैं कि इसका निर्माण हम विभागीय स्तर पर कराएंगे। जितनी भी आधी अधूरी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, लघु विद्युत परियोजनाएं है उनको चालू करें। सरकार ने कह दिया कि 5 साल में हम 3000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। लेकिन यह होगा कैसा ? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम की वजह से हमारे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वन अधिनियम में लचीलापन लाना चाहिए। इससे हमारी सड़कें बाधित हो रही हैं। इनका निपटारा तुरन्त करें ताकि यहाँ पर स्कूल, अस्पताल आदि बन सकें। मोटर मार्ग बनाने में भूमि के कटान

और दबान का मुआवजा आज तक कृषकों को नहीं मिला है। कृषकों की जमीन सड़क के लिए काट ली गयी लेकिन आज तक उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार उन कृषकों को भूमि का मुआवजा दे, जिनकी भूमि का कटान, दबान हुआ है। पर्यटन के मामले में कहना चाहता हूँ कि सरकार को रज्जू मार्ग बनाने चाहिए। रज्जू मार्ग बनाकर हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आज हमारे यहाँ जड़ी–बूटियाँ लुप्त हो रही हैं। आपने कह दिया कि हम पर्यटन प्रदेश बनाएंगे, जड़ी–बूटी प्रदेश बनाएंगे। लेकिन प्रदेश में जो जड़ी–बूटियाँ लुप्त हो रही हैं, वह न होने पाएं, इसके लिए हमको प्रयास करना होगा। मान्यवर, विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के पास आवास नहीं है, वह भी हमारे भाई बन्धु है, उनके लिए आवास बनाये जाने चाहिए। शिक्षा विभाग में सरकार कहती है कि कम्प्यूटर दे दिए हैं। लेकिन मान्यवर, आज वह कम्प्यूटर कहाँ पड़े हैं, ये कूड़ेदान में पड़े हैं। किसी भी विद्यालय में चले जाएं, यही स्थिति है। मेरा कहना है कि इनका सदुपयोग होना चाहिए। सरकार कहती है कि साइंस सिटी और तारामण्डल की स्थापना करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि साइंस सिटी और तारा मण्डल से पहले आप गाँवों का विकास करें। गाँवों के विकास के बाद ही हवाई उड़ान भरें, तो कुछ बात बनेगी।

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार वास्तव में इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती है तो जितने पद इनके आरक्षित हैं, तत्काल उन पर भर्ती करें तो इनका कुछ लाभ होगा। मान्यवर, महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण की बात सरकार द्वारा कही गई है किन्तु मेरे संज्ञान में आया कि महिलाओं को जो 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है वह केवल यहाँ की ही महिलाओं के लिए नहीं है वरन सारे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित है। इसलिए जितना बैकलॉग है वह पूरा हो जायेगा। मान्यवर, हम तो यहाँ की महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में कई घोटाले प्रकाश में आये हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार को इन घोटालों के प्रति श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मान्यवर, सरकार ने यह कह दिया कि हम गरीबों को खाद्यान्न दे रहे हैं किन्तु जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ और वहाँ के निवासियों से जानकारी प्राप्त करता हूँ तो पता चलता है कि वहाँ पर उन्हें राशन तक नहीं मिल रहा है। चाहे वह अन्नपूर्णा योजना हो या बी0पी0एल0 कार्ड धारक हो उन्हें खाद्यान्न नहीं प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, अभी मैं हाल ही में अल्मोड़ा गया था तो मुझे वहाँ के लोगों ने जानकारी दी कि उन्हें आज भी मात्र 300 ग्राम चीनी प्राप्त हो रही है। (सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा भाषण के बीच में अपने स्थान पर बैठे–बैठे हँसी मजाक किये जाने पर)।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बातें कह रहे हैं यदि उनमें सच्चाई न हो तो सरकार को इन्कार करना चाहिए। इस तरह से हँसी मजाक में बात टाल देना ठीक नहीं है। माननीय सदस्यों द्वारा इस तरह से हँसी मजाक में बात उड़ा देने से मुझे पीड़ा हो रही है। इससे जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष काफी सीनियर सदस्य है। इतने लम्बे भाषण में हास–परिहास होना चाहिए। आप नये सदस्य है। आप काफी दिन बाद सदन में आये हैं और काफी सुस्त भी हो गये हैं। (हँसी)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यदि सरकार गम्भीर होती तो प्रदेश की यह दुर्दशा नहीं होती। (शेम–शेम की ध्वनि)

मान्यवर, मिट्टी तेल, चीनी और रसोई गैस की कालाबाजारी की जा रही है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप इसे सुनें। यदि आप इन बातों को सुधार लेंगे तो इससे आने वाले समय में आपको ही फायदा होगा। मिट्टी तेल पेट्रोल पम्पों में जा रहा है। चीनी गरीबों को नहीं मिल रही है। रसोई गैस का भी अभाव है। मैं चाहूँगा कि सरकार मिट्टी तेल, चीनी और रसोई गैस की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करे। जो इसके पात्र है उनको यह मिलनी चाहिए। यदि आप नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमको ही फायदा होगा। सरकार को चाहिए कि वह चीनी मिलों को घाटे से उबारे।

मान्यवर, टनकपुर, रामनगर, कोटद्वार और चीला ऋषिकेश की सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने इन सड़कों को काफी करीब से देखा है। माननीय वन मंत्री जी ने कहा कि इन सड़कों को बनाने के लिए पेड़ों का पातन करना होगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इनका निरीक्षण करें। इन सड़कों को बनाने में पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, इन पर पुलों का निर्माण करना होगा। मान्यवर, इन सड़कों का निर्माण होने से गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल के बीच लगभग 150 किमी0 की दूरी कम होगी। मान्यवर, वनगुर्जरों को स्थाई पुनर्वास की व्यवस्था करने की बात इस अभिभाषण में कही गयी है। मेरा अनुरोध है कि राजाजी पार्क पशु विहार आदि जंगलों की सीमाओं पर जो ग्रामवासी निवास करते हैं, उनके हक हकूक की यह सरकार रक्षा करें, उनके लिए मकान बनाये, स्कूल बनाये। इनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करें। मान्यवर, अच्छे स्थानों पर इनको बसाया जाय। मान्यवर, सरकार को वृक्षारोपण करने से पहले, इनके रखरखाव की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, तभी यह साकार होगा। इसके लिए सरकार के पास कोई नीति होनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मान्यवर, यदि सरकार लीसा, इमारती लकड़ी, रेत, बजरी, पत्थर आदि की समुचित व्यवस्था करेगी तो इससे सरकार को अपार राजस्व की प्राप्ति होगी। यदि सरकार कर नहीं लगायेंगी तो राजस्व कहाँ से प्राप्त होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि अवैध पातन पर सरकार रोक लगाये। मान्यवर, कृषकों के फसल की विपणन की इस अभिभाषण में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, यदि यह व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, इससे कृषकों को सहायता मिलती।

मान्यवर, माननीय सुबोध उनियाल जी अन्तर्राष्ट्रीय मेले, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों की बात नहीं करते हैं। मान्यवर, कितना अच्छा होता इस अभिभाषण में गाँवों में हाट की व्यवस्था की जाती। मान्यवर, जहाँ तक आई0टी0आई0 स्कूलों की बात है तो यह सरकार कहती है कि हमने 14 आई0टी0आई0 स्कूल खोल दिये हैं, परन्तु मान्यवर, इन स्कूलों की हालत यह है कि किसी में अनुदेशक नहीं हैं तो किसी में प्रधानाचार्य नहीं है। मान्यवर, यदि जो पहले के आई0टी0आई0 स्कूल खुले है और जो इस समय से स्कूल खुले है, यदि इनमें अनुदेशक और प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाती तो इससे छात्रों का हित होता। मान्यवर, केवल आई0टी0आई0 स्कूल खोलने से कोई फायदा नहीं है। मान्यवर, जैसा कि माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि यह सरकार लेखानुदान और बजट एक साथ यहाँ पर लायी है, मैं भी इसी आपत्ति पर बल दे रहा हूँ। मान्यवर, कितना अच्छा होता यह सरकार फरवरी माह में बजट लाती। आखिर इस सरकार की क्या मजबूरी थी ?

मान्यवर, या सरकार के पास समय न होता, या फिर अभी-अभी चुनाव जीतकर आये होते तब ऐसी व्यवस्था होती तो समझ में आता, मगर सरकार के पास समय था फिर भी बजट नहीं ला पाये, इसका परिणाम यह होगा कि आप अप्रैल में बजट पास करेंगे और विभाग में अक्टूबर में पैसा जायेगा। तो मेरा कहना है कि समय पर बजट आना चाहिए ताकि पैसे का सदुपयोग हो सके।

मान्यवर, आपने नान प्लान का बजट रखा, पर यह नहीं सोचा कि नान प्लान में और प्लान में कितना खर्चा हो रहा है, अर्थात् सरकार को करना चाहिए कि नान प्लान का बजट कम हो। अगर ऐसी व्यवस्था सरकार करती है तो उत्तरांचल के हित में होगा, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो उत्तरांचल का विकास नहीं होगा। मान्यवर, जिस तरह से सरकार चार वर्षों में कार्य नहीं कर पाई तो एक वर्ष में क्या कर पायेगी ? यह भी हमारे लिए फायदे की बात है।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, यहाँ अभिभाषण या बजट पर चर्चा हो रही है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, फिजूल खर्चे पर रोक लगाना सरकार का काम है, अगर इस पर रोक नहीं लगायेंगे तो उत्तरांचल का क्या होगा ? अगर सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं सोचा है तो मेरा सुझाव है कि इस फिजूल खर्चे पर रोक लगाई जानी चाहिए। मान्यवर, हमारे प्रदेश में कई कारखाने हैं जो घाटे पर चल रहे हैं। हमारे प्रदेश में हिल्ट्रान है उसमें 16 करोड़ का प्रतिवर्ष घाटा होता है। इसी तरह से कताई मिल, जसपुर, रानीबाग में एच0एम0टी0 का कारखाना घाटे में है, लोहाघाट में सीमेण्ट फैक्ट्री लगाने को कहा था पर उस पर कोई कार्य नहीं किया। उसी प्रकार से टिहरी गढ़वाल में मदन नेगी ने डाइट का भवन करोड़ रुपये का बनाया था, पर आज तक उसमें कोई नहीं गया। उसी प्रकार से राजकीय इण्टर कालेज कोट ब्लाक में भी वीरान पड़ा है, सिवली में कर्मचारी कार्यरत हैं, पर वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, वह घाटे में चल रहा है। मेरा कहना है कि जो घाटा में उपकरण चल रहे हैं उनमें सुधार लाया जाये, उनको लाभ में पहुँचाया जाय। मान्यवर, मेरा कहना है कि टिहरी बाँध में टी-2 बन्द हुआ है, इसकी परवाह भी करिये।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमने काफी परवाह की है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, टिहरी बाँध में टी–2 बन्द हुआ है तो उससे प्रतापनगर के लोगों को उत्तरकाशी जाकर नई टिहरी आना पड़ता है। मान्यवर, उनका ट्रक से सामान जायेगा तो वह उत्तरकाशी में माजरा जायेगा, माजरा से जम्बगाँव जायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि टिहरी बाँध से हमारे टिहरी गढ़वाल के लोगों का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है, सरकार ने इसको पिछड़ा घोषित कर दिया है। पिछड़ा घोषित करने का अधिकार किसके पास है ? सरकार ने यह झूठी घोषणा की है। मेरा कहना है कि इस पर सरकार को एक नीति बनानी चाहिए और सरकार को इस पर गम्भीरता से बात करनी चाहिए। मान्यवर, इसमें यहाँ से एक दल जाये और वह उसकी समीक्षा करे। मान्यवर, झील में नौका विहार और मछली पालन का व्यवस्था वहीं के लोगों को दिया जाना चाहिए। मान्यवर, वरूणावत पर्वत में 50 करोड़ रुपये आया है उसको खर्च करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना में आप पैसा खर्च नहीं कर पाये। सूखा राहत के लिए भारत सरकार पर बल देना चाहिए कि यह धनराशि हमको तत्काल मिल जाये जिससे कि हमारे किसान भाईयों को लाभ मिल सके। मान्यवर, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण सिंचाई विभाग करे। यह योजना विभागीय स्तर पर बननी चाहिए।

मान्यवर, आपने कहा कि दो लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसमें सरकार ने अपना वायदा नहीं निभाया। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जो ऋण मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि इस सम्बन्ध में हम 20 मीटिंग बैंकों के साथ कर चुके हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग करें और उसका अनुपालन होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो बैंकों के साथ मीटिंग हुई उसका असर यह है कि जो क्रेडिट रेशियो 20–22 प्रतिशत था वह 46 प्रतिशत तक पहुँच गया है, इसको हम 50 प्रतिशत तक लाना चाह रहे हैं। जिससे बैंक रोजगार के लिए, विकास के लिए लोगों को पैसा दे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने विकास दर में वृद्धि कर दी और कहा कि हमने हजार लोगों को रोजगार दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रामीणों को ऋण मिलना चाहिए, वह मैक्सी कैब के लिए ऋण माँगता है या रेस्तरा के लिए उसे ऋण नहीं मिलता है। मान्यवर, जिसके लिए वह ऋण चाहता है उसके लिए उसे मिलना चाहिए।

मान्यवर, सरकार ने कहा कि प्रशासनिक सुधार के लिए हमने एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कर दिया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोकायुक्त की नियुक्ति हुई, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। इसी प्रकार प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन से कोई सुधार होने वाला नहीं है। जब तक सरकार कड़ाई के साथ प्रशासन को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुस्त–दुरुस्त नहीं करेगी तब तक इन आयोग के गठन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अन्त में मेरे ऊपर आरोप लगाये गये कि मातबर सिंह कण्डारी राज्यपाल महोदय को लेने गये। मान्यवर, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल जी का हम सम्मान करते हैं। यहाँ पर यदि हमने विरोध किया तो सरकार के द्वारा जो अभिभाषण तैयार किया गया था उसका हमने विरोध किया। हमारे अन्दर शालीनता है, हम राज्यपाल जी का सम्मान करते हैं, मैं सभी माननीय मंत्रियों का स्वागत करता हूँ। यह कहना कि नेता प्रतिपक्ष वहाँ गये थे। मुझे यह खुशी थी, हमने फैक्स किया था कि सरकार की आबकारी नीति लीक हो गयी है। हमें उम्मीद थी कि राज्यपाल जी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। एन0टी0 रामाराव की सरकार को राज्यपाल ने बर्खास्त किया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को बर्खास्त करके जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार और सभी माननीय मंत्रियों, सत्ता पक्ष के सभी माननीय विधायकों, बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों (व्यवधान) यू0के0डी0 के सभी विधायकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यह चाहूँगा कि आपके माध्यम से कुछ सुझाव मैंने दिये हैं यदि इन पर सरकार अमल करे तो प्रदेश का भला होगा। अगर सरकार मेरे सुझावों पर अमल नहीं करेगी तो उत्तरांचल का भला होने वाला नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि आप एक वर्ष में सुधर जाएं और जनता का भला हो जाय। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, हमने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में केवल एक उपाध्यक्ष के स्थान पर दो उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने का प्राविधान किया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा कि जो दो उपाध्यक्ष पद इसमें प्रस्तावित किये गये हैं इन पदों पर कितना वित्तीय भार सरकार के ऊपर पड़ेगा और क्या–क्या सुविधाएं इन्हें मिलेंगी, क्या ये राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होंगे ? लाल बत्तीधारी होंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहाँ तक सुविधाओं की बात है, चूँकि पिछड़े वर्गों की सुविधा के लिए, उनकी समस्याओं के अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय आधार पर यहाँ एक और उपाध्यक्ष की आवश्यकता महसूस की गई और जहाँ तक उनके सुविधाओं की बात है तो जो उपाध्यक्ष को सुविधायें होती हैं वह देनी पड़ेगी, वे अगर यात्रा करेंगे तो यात्रा भत्ता और भोजन भत्ता देना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या– 2005)

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) में, "एक उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "दो उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4, 6, 16, 17 एवं 19 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 16, 17 एवं 19 में "उपाध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "दो उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी–

"(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा, जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है, या यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है। यदि अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी उपरोक्त कारणों से उपस्थित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

(5) यदि अध्यक्ष और दोनों उपाध्यक्षों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] विधेयक, 2006

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। चूँकि यह विधेयक आज यहाँ पर आया है इसलिए आपकी एक व्यवस्था चाहूँगा। मान्यवर, जिस दिन विधेयक पुरःस्थापित होने का प्रस्ताव कार्य सूची में था हमने समवेत स्वर में इसका विरोध किया था। लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इसका जवाब दिया था और किस रूप में दिया यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस ओर भी नहीं जा रहा हूँ। हमारे सरकारी सदस्यों ने, माननीय मंत्रीगणों ने जो आचरण यहाँ पर दिखाया वह किसी से नहीं छिपा है और मैं उसकी ओर भी नहीं जा रहा हूँ। मैं तो आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आज जब विधान सभा आने के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरे एक पत्रकार मित्र का फोन आया और उन्होंने कहा कि आज विधेयक पेश हो रहा है, तो सदन की कार्यवाही आज चलेगी या नहीं, ताकि हम भी उसी तरह से तैयारी करके आयें। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि आज संभवतः कुछ नहीं होगा और सदन की कार्यवाही विधिवत् चलेगी। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या आज कोई विरोध नहीं होगा ? तो मैंने कहा कि विरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें क्रॉस एफ0आई0आर0 हो गई है, तो वह समझ नहीं पाये और पूछा कि किसकी एफ0आई0आर0 हो गई है। मैंने कहा कि कांग्रेस ने विधेयक पेश किया तो बी0जे0पी0 और हमने अध्यक्ष जी के सामने एफ0आई0आर0 कर दी। मान्यवर, झारखण्ड में भाजपा की सरकार ने वही विधेयक पारित किया और कांग्रेस के लोगों ने उनके खिलाफ कार्यवाही दर्ज की है।

श्री अध्यक्ष–

अब फाइनल रिपोर्ट लगनी है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। अब फाइनल रिपोर्ट लगनी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।" समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्रीमन्, चूँकि जिस विधेयक को आज सरकार लेकर आयी है, इसके सम्बन्ध में 24 मार्च को यह पुरःस्थापित करने की योजना सरकार ने बनायी थी और 23 मार्च को आपके माध्यम से मैंने इस विषय के सम्बन्ध में सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया था और उसी दिन रात को सरकार ने तय किया कि हम एक विधेयक लेकर आएंगे और जिस विधेयक को इस सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया वह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और उस विधेयक को देखने के बाद मैं इस बात को प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि इतनी जल्दबाजी में इसे लाने का निर्णय लिया गया, बिना सोच विचार किये यह निर्णय लिया गया। यह निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए एक चिन्ता का विषय है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संविधान की जिस धारा का उल्लेख करके इस विधेयक को लाया गया, वह है संविधान का अनुच्छेद 191, जिसका 'क' पार्ट कहता है "यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान मण्डल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।" मान्यवर, केवल इसी लाइन को लेकर यह सरकार एक विधेयक बनाकर ले आयी है। सरकार यह भूल गयी कि संविधान की इसके पीछे मंशा क्या है। सरकार का स्पष्ट मन्तव्य है जिसके आधार पर हमारी कार्य संचालन नियमावली का नियम 200 बना। कार्यसंचालन नियमावली के नियम 200 के आधार पर इस सदन के अन्दर जो भी समितियाँ बनायी जाएंगी, वह विधान सभा की समितियाँ भी हो सकती हैं, वह समितियाँ राज्य सरकार की विभिन्न समितियाँ हो सकती हैं, जिनकी मान्यता यह सदन प्रदान करे। उस समिति के लिए नियम 200 कहता है "प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय–समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियाँ विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्देशित होंगी।" मान्यवर, इस प्रकार यह जो नाम निर्देशित या निर्वाचित समितियाँ होंगी, वह इस संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुरूप विधि सम्मत होंगी। लेकिन आज सरकार 27 समितियों को, विभिन्न विभागों को इस विधेयक में लेकर आयी है।

मान्यवर, जब संविधन की व्याख्या करनी होती है तो इसके लिए उचित फोरम है, भारत की संसद और उसकी व्याख्या के लिए फोरम सर्वोच्च न्यायालय है। मान्यवर,

सर्वोच्च न्यायालय का ताजा प्रकरण है, 2001 का शिबू सोरेन बनाम दयानन्द सहाय का। मान्यवर, लाभ के पद का उल्लेख अनुच्छेद 191 में है। उस अनुच्छेद 191 के आधार पर हमने शिकायत दर्ज करायी, विधिवत् इस सदन के अन्दर दर्ज करायी। उस शिकायत को आधार बनाकर हम महामहिम श्री राज्यपाल के यहाँ गये।

मान्यवर, उनके यहाँ गुहार लगाई और उनके माध्यम से भारत के चुनाव आयोग में यह प्रकरण लम्बित है कि हम लाभ के पद को किसे कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह कहता है कि उस पद को लाभ का पद कहेंगे यदि इनमें से किसी का उत्तर हाँ में आता है तो वह लाभ का पद कहलायेगा। उसमें पहला बिन्दु यह है कि क्या सरकार उसकी नियुक्ति करती है, सरकार अधिकृत है नियुक्ति के लिए ? दूसरा बिन्दु यह है कि क्या सरकार को नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार है ? तीसरा बिन्दु यह है कि क्या उसे धन या कोई अन्य सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ? चौथा बिन्दु यह है कि जिसे नियुक्ति दी गई है उसका सरकार से क्या फंक्शन है ? क्या उस पर सरकार का नियंत्रण है ? यदि उपरोक्त चार बिन्दुओं में से किसी का भी उत्तर हाँ में आता है तो वह निश्चित रूप से लाभ का पद कहलायेगा। मान्यवर, सरकार जो विधेयक लाई है उस विधेयक की धारा 3 में 27 ऐसे विभाग दिये गये हैं, जो किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं कहे जा सकते हैं। यह इसलिए नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि जिस एक्ट के आधार पर डिस्क्वालीफाई कहे जाते हैं वह एक्ट 1959 का है जो भारत की संसद में पारित है। यह हमें दिशा-निर्देश देता है, हम उसी के आधार पर अपना एक्ट बना सकते हैं। आज निश्चित रूप से इस एक्ट के सम्बन्ध में भारत की संसद में चर्चा की बात चल रही है। यदि कोई संशोधन आ सकता है तो भारत की संसद में ही आ सकता है और इसकी व्याख्या माननीय संसद के द्वारा ही की जा सकती है। यह सदन संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या करने के लिए अधिकृत नहीं है। हम तो मात्र भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हैं।

श्री प्रदीप टम्टा--

मान्यवर, झारखण्ड में यह विधेयक पास हुआ है। वहाँ क्या प्राविधान है इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

*श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, झारखण्ड का विधेयक हमारे सामने नहीं है। मैं उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है। वह विधेयक वहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास गया है। चूँकि यह विधेयक हमारे सम्मुख है और मैं कह सकता हूँ कि यह विधेयक विधि सम्मत नहीं है इसे निरस्त किया जाना चाहिए। यदि वास्तव में सरकार कोई विधेयक लाना चाहती है तो जब भारत की संसद में यह विधेयक आ जाए तो फिर उसके अनुरूप ही विधेयक लाए। यह प्रक्रिया विधि सम्मत कहलायेगी। मान्यवर, एक प्रक्रिया के तहत इस विषय को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। मैं इस बात के लिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को वापस ले लें, क्योंकि लाभ के पद की परिभाषा जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक यह विधि सम्मत नहीं कहलायेगा। मान्यवर, चूँकि मामला अभी महामहिम के विचाराधीन है और जब तक यह विचाराधीन रहता है तब तक इस प्रकरण का लागू होना, इस प्रदेश के लोगों के प्रति और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति खिलवाड़ होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं श्री प्रकाश पंत जी द्वारा रखे गये प्रवर समिति के सुपुर्द भेजे जाने के लिए रखे गये प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इसमें सारे एक्ट माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा बता दिये गये हैं। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा जिक्र किया गया कि इसका उचित फोरम सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेन्ट में इस पर बहस होती है, मान्यवर, यह सही है। मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि स्व0 श्रीमती इन्दिरा नेहरू बनाम राजनारायण में संविधान में जो संशोधन कराने गये उनको तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना गया है। मान्यवर, बेसिक फीचर ऑफ कांस्टीट्यूशन क्या होगा ? मान्यवर, हम ऊँचे पदों पर जनप्रतिनिधियों को कैसे हटायेंगे, इसका निर्धारण इस केस में दिया गया है। मान्यवर, यह एक ऐसा केस था जिसके संविधान संशोधन भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किये गये, इसलिए माननीय स्व0 इन्दिरा जी को गद्दी छोड़नी पड़ी। मान्यवर, कल ये 18 विधायक यदि राज्य सभा के उम्मीदवार को वोट देते हैं तो राज्य सभा सदस्य के विनिश्चय के बाद राज्य सभा की सदस्यता समाप्त हो जायेगी। आज का प्रकरण भी वैसा ही है।

मान्यवर, जो 18 सदस्य यहाँ पर हैं, वह तो कानून की नजर में सदस्य नहीं हैं, चाहे उनके लिए कुछ भी करें। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 192 में साफ–साफ लिखा हुआ है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खण्ड–(1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चित के लिए निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। मान्यवर, यह प्रश्न है या नहीं, सदस्यता के लिए अयोग्य हुए हैं या नहीं, यह अधिकार राज्यपाल महोदय को है और केन्द्र में राष्ट्रपति महोदय को है। मान्यवर, इस अनुच्छेद के खण्ड दो में कहा गया है कि ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। मान्यवर, इसमें संवैधानिक खानापूर्ति होनी है। मान्यवर, एक व्यक्ति जब तक जिन्दा है, उसको दवा दी जाय तो जीवित होगा। यदि कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो आप उसे कितनी दवा क्यों न दे दें कोई फायदा होने वाला नहीं है। मान्यवर, इन 18 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, बस घोषणा मात्र होनी है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का विनिश्चय इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 141 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा जो कानून बना दिया गया है वह भारत के सभी न्यायालय, न्यायाधिकरण, सभी संवैधानिक पदों पर लागू होगा।

मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इसीलिए माननीय सोनिया गाँधी जी ने अपना त्याग पत्र दिया, इसी तरह यह सब जानते हुए आज तमाम लोग त्याग पत्र दे रहे हैं, श्रीमती जया बच्चन की सदस्यता इसी आधार पर खत्म की गई है। इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब है कि जो 18 विधायक हैं, मैं आज सुबह भी व्यवस्था के प्रश्न में कह रहा था कि ये विधायक मतदान करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन करके कानून नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो कानून पास किया जायेगा, संविधान की मूल भावना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मान दण्डों की मूल भावना के विपरीत होगा, इसलिए आग्रह है कि यह कानून पास नहीं होना चाहिए, संविधान की मंशा के अनुरूप एक ऐतिहासिक फैसला पीठ से, आपकी तरफ से आना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, माननीय श्री अजय भट्ट जी ने कहा कि कुछ सदस्यों को भाग लेना चाहिए या नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ भाग लेंगे या नहीं यह स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, भाग लेंगे या नहीं यह तो व्यक्तिगत बात है, लेकिन जो सदस्य ही नहीं हैं वह कैसे भाग ले सकते हैं ? ये 18 विधायक भाग नहीं ले सकते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रकाश पंत जी द्वारा जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इस पर मैं बल देता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस समय देश की सर्वोच्च हस्ती महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लिया गया निर्णय आज की तारीख में लागू है, उस निर्णय के खिलाफ जाते हुए आज हमारी इस सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा विधेयक पास कराया जाना महामहिम राष्ट्रपति द्वारा लिये गये निर्णय का सरासर अपमान होगा। मान्यवर, मैं यह भी कहूँगा कि इसको प्रवर समिति के हवाले कर दें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री प्रकाश पंत जी और श्री अजय भट्ट जी मुझे लगता है कि यह प्रतिवेदन अपनी बात को दर्ज कराने के लिए ही दिया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस विषय पर मुझे आपत्ति है, मैंने विषय विधेयक की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए रखा है। यह असंवैधानिक विधेयक है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह अधिकार मेरा है कि मैं कौन सी भाषा का उपयोग करूँ, आप आपत्ति कर सकते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आप विद्वान हैं, कांन्स्टीटयूशन और नियमावली को साथ लेकर आये हैं। मान्यवर, किसी भी राष्ट्र का सदन सर्वोच्च होता है, लेजिसलेशन का अधिकार सदन को होता है। संविधान को हम कोर्ट कर सकते हैं, हमें राज्य का कानून पास करने का अधिकार हैं। आज भारत के संसदीय कार्य मंत्री प्रत्येक दल के नेता के पास गये, यह संवैधानिक संकट सभी राज्यों में है, कहीं कुर्सी फैंकी गई, किसने फैंकी यह सवाल नहीं है। इसको देश की जनता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देख रही है, कुर्सी किसने फैंकी हम इसके पक्षधर नहीं है। मुझे भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में कई वर्षों तक मौका मिला, यहाँ पर हम कानून के अन्तर्गत बात कर सकते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष को अपनी–अपनी बात रखने का अधिकार है, इसके लिए नियम बने हैं। आज लोक सभा में काफी हंगामें के बाद केन्द्रीय स्तर पर मैं इसका उल्लेख करना चाहती हूँ कि इसमें एक व्यक्ति विशेष को इंगित किया गया था, आज भी वहाँ वही स्थिति है। आप तो विज्ञ हैं, आपको पूरी तरह जानकारी है अन्ततः सभी ने यहीं मन बनाया कि लोक सभा में यह बिल लाया जाय। आपने सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या बतायी। व्याख्या में तो किसी को चुनौती दी जा सकती है।

यह प्रश्न स्पष्ट है कि आज देश में एक वातावरण बने, कौन इस्तीफा दे कौन न दे, किसका पद लाभ का है किसका नहीं, एक तरफ से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। क्या मध्यावधि चुनाव में जनता को झोंक दिया जाय ? मैं आज पेपर पढ़ रही थी, एक पार्टी ने कहा कि मध्यावधि चुनाव में झौंकना जनता पसंद नहीं करेगी। मान्यवर, यह हमारा नैतिक दायित्व है कि मध्यावधि चुनाव में जनता को न झौंका जाये। इसमें लाभ के पद पर व्याख्या की गई। मान्यवर, इसलिए इसको लाया गया।

मान्यवर, इसीलिए यह कहा गया कि लाभ की परिधि में इनको ले लिया जाये। जो सरकार द्वारा नामित किये गये हैं। हमने इसे 9 नवम्बर, 2000 से लागू किया है, इसलिए लागू किया कि कल कोई संवैधानिक प्रश्न न खड़ा हो जाये। यह हमारा दायित्व है कि जब हम बिल पेश करें तो सभी बिन्दुओं को इसमें कवर कर लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो यह बिल आप पिछली तारीख से ला रहे हैं उसे राज्य बनने की तिथि से न भी लायें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि तत्कालीन सरकार का गठन उ0प्र0 रिआर्गेनाइजेशन बिल के आधार पर हुआ था। उसमें विधान परिषद् के जो सदस्य थे उन्हें भी विधायक का दर्जा दिया गया था जबकि वे विधायक नहीं बन सकते थे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। क्या पता कल को आप कोर्ट में चले जाए। आज लाभ के पद को लेकर पूरे देश में सनसनी फैली हुई है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ इसका संकट खड़ा न हुआ हो। लाभ के पद सब जगह हैं और सभी राज्यों ने इसके लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। जो माननीय विधायक लाभ के पद की परिधि में आते हैं वे इस कानून के द्वारा कवर हो जाएंगें। संविधान के अनुच्छेद 102 और 171 के तहत विधि बनायी गयी है। मान्यवर, प्रत्येक स्थिति में लेजिस्लेचर को अधिकार है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद 102 तो संसद के बारे में है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, संविधान है ही भारत की संसद के लिए। संविधान में जो भी मुद्दे उठते है वे सुप्रीम कोर्ट और संसद के माध्यम से ही आते हैं। लाभ के पद के नाते लोगों को त्याग पत्र न देना पड़े इसलिए विधान सभाओं को सरकार की रक्षा के लिए यह बिल लाना पड़ा और यह हमारा दायित्व भी है। जब यह प्रश्न खड़ा हुआ तो देश के सभी राजनीतिक दलों ने यह स्वीकार किया कि संसद में भी इसका बिल लाया जाये। हमने यह प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या है हम उसको भी कवर कर लें। अगर कोई छूट जायेगा तो चुनौती देने के लिए आप सक्षम है। उत्तरांचल विधान सभा को यह अधिकार है कि वह इस विधेयक को पारित करे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूँकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, जो आपत्तियाँ मेरे द्वारा उठायी गयी थी, उनमें से किसी का भी उत्तर नहीं दिया है। मान्यवर, आज संख्या बल के आधार पर सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन इतिहास इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले संविधान में संशोधन कौन लाता है ? यह केन्द्र सरकार ही संविधान में संशोधन लाती है। कितना अच्छा होता अगर भारत सरकार इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन लाती और उसके बाद आप यह विधेयक यहाँ पर लाते तो हम भी उसका समर्थन करते। आप जब इस विधेयक को कानून बनाने के लिए महामहिम श्री राज्यपाल के पास भेजेंगे तो राज्यपाल महोदय इसे वापस कर देंगे। मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में हमारी किसी बात को सरकार के द्वारा नहीं सुना गया इसलिए मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राज्यपाल महोदय को आपेक्षित और आरोपित किया है, यह आपत्तिजनक है। इस बारे में कार्यवाही के अंश महामहिम श्री राज्यपाल जी के पास भेजे जायं। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल महोदय को भी पक्षकार बनाया और कहा है कि राज्यपाल महोदय इसे वापस कर देंगे, इसमें हमारी घोर आपत्ति है।

*श्री हरीदास–

मान्यवर, इस विधेयक के विरोध में, मैं और मेरा दल भी सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि इसमें क्रास एफ0आई0आर0 हो गई है। कहीं पर कोई विरोध कर रहा है, कहीं पर समर्थन कर रहा है, तो इस नाटकबाजी और नूराकुश्ती से परेशान होकर मैं और मेरे दल के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या................सन् 2006)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह 09 नवम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 में संशोधन–

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (क) में शब्द ''प्रतिकर भत्ता'' से पूर्व शब्द 'मानदेय' ''(चाहे उसके लिए 'वेतन', 'पारिश्रमिक' या अन्य कोई शब्द प्रयुक्त किया हो)'' रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन–

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में (क), खण्ड (म) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे :–

(म) निम्नलिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) के पद, अर्थात–

(1) राज्य आपदा राहत समिति।
(2) आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरण।
(3) भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण।
(4) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्।
(5) उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्।
(6) राज्य स्तरीय कृषक मित्र परिषद्।
(7) राज्य स्तरीय उद्योग मित्र परिषद्।
(8) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
(9) उत्तरांचल बाल कल्याण बोर्ड।
(10) गढ़वाल मण्डल विकास निगम।
(11) कुमाऊँ मण्डल विकास निगम।
(12) चार धाम विकास परिषद्।
(13) श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति।
(14) उत्तरांचल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।
(15) राज्य स्तरीय विशेष मात्राकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।
(16) उत्तरांचल वाणिज्य कर सलाहकार समिति।
(17) उत्तरांचल अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग।
(18) पर्यटन परामर्शदाता।
(19) गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड।
(20) उत्तरांचल भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड।
(21) उत्तरांचल वन विकास निगम।
(22) बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति।
(23) उत्तरांचल परिवहन निगम।
(24) राज्य युवा कल्याण परिषद्।
(25) राज्य योजना आयोग।
(26) हिलट्रान
(27) मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित सोसाइटी अथवा बोर्ड समिति इत्यादि।

(ख) खण्ड (म) निकाल दिया जायेगा।

विधिमान्यकरण–

4. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त किसी निकाय अथवा उनके प्राधिकारियों द्वारा मूल अधिनियम या उसके अधीन प्रदत्त अपनी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्यवाही

विधिमान्य रूप से की गयी बात या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के सभी उपबन्ध तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जंतवाल श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री अजय भट्ट, श्री हरबंस कपूर, श्री अनिल नौटियाल, श्री प्रकाश पंत, श्रीमती आशा देवी, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से लम्बे समय से ''उत्तरांचल'' शब्द से पंजीकृत संस्थाओं का नवीनीकरण न होने से गैर सरकारी संस्थाओं को कार्य करने में हो रही परेशानी से सम्बन्धित माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा उत्तरांचल राज्य के समस्त विद्यालयों में वर्ष 2004–05 से सी0बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम लागू होने से वाणिज्य, कृषि तथा कला विषय वैकल्पिक बनाये जाने से उत्पन्न मांग के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार की गई।

राज्य महिला डेयरी फेडरेशन की स्थापना के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत, स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं शिक्षा सहायतित योजना (एस टी ई पी–स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड एज्यूकेशन प्रोग्राम) के अन्तर्गत प्रदेश में महिला डेयरी परियोजना का संचालन वर्ष, 1994 से किया जा रहा है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में प्रदेश में इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 168 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनमें सहायक प्रबन्धक, वरिष्ठ महिला प्रशिक्षक, वरिष्ठ प्रशिक्षक, महिला प्रशिक्षक, लिपिक टंकक कम लेखा सहायक, चालक, सहयोगी, महिला प्रसार कार्यकर्ता, ग्रुप सचिव, परियोजना समन्वयक, लेखा प्रबन्धक, उप प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक आदि मानदेय के आधार पर कार्यरत हैं तथा उक्त परियोजना में अपर निदेशक प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं। महिला डेयरी परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में लगभग रुपया 1 करोड़ 08 लाख 37 हजार की वित्तीय व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में सुनिश्चित की गयी है।

प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था "उत्तरांचल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन" के रूप में पूर्व से ही गठित है। महिला डेरी परियोजना का क्रियान्वयन भी उत्तरांचल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन हल्द्वानी के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तरांचल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 जनपदीय दुग्ध संघ एवं 2864 ग्राम स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ संचालित हैं। इनमें महिला डेयरी परियोजना की कुल 775 समितियाँ सम्मिलित हैं।

महिला डेयरी परियोजना के अन्तर्गत गठित दुग्ध समितियाँ परियोजना की अवधि (03 वर्ष) समाप्त होने पर स्वतः ही सम्बन्धित दुग्ध संघों में संविलीन हो जाती हैं तथा इन्हें डेयरी विकास विभाग की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाता है।

महिला डेयरी परियोजना के समस्त कार्मिकों को शनैः–शनैः विभिन्न दुग्ध संघों में रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता एवं योग्यता के आधार पर समायोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में महिला दुग्ध समितियों का पृथक से समानान्तर फेडरेशन स्थापित किये जाने का कदाचित कोई औचित्य एवं आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।]

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि वर्तमान में महिला दुग्ध समितियों का पृथक से समानान्तर फेडरेशन स्थापित किये जाने का कदाचित कोई औचित्य एवं आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मान्यवर, अभी बजट भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और वैसे भी यह महिला सशक्तिकरण वर्ष भी है। इसमें 168 अधिकारियों और कर्मचारी वर्ष 1994 में कार्यरत हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ चूँकि यह परियोजना बन्द होने की कगार पर है तो क्या ऐसे में इन कार्यरत् अधिकारियों और कर्मचारियों को समायोजित करने और उनकी सेवा में निरन्तरता लाने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, महिला डेरी परियोजना का क्रियान्वयन उत्तरांचल को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हल्द्वानी के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तरांचल को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अन्तर्गत प्रदेश में महिला डेयरी परियोजना की कुल 775 समितियाँ सम्मिलित हैं। आपने कहा कि 168 इसमें पृथक हो गये हैं, तो इसका परीक्षण करा लिया जाएगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, महिला डेयरी फेडरेशन बन्द होने की स्थिति में है। यदि यह बन्द हो जाता है तो 168 अधिकारियों और कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। महिला सशक्तिकरण वर्ष है, यदि यह बन्द हो जाता है तो क्या इन अधिकारियों और कर्मचारियों को समायोजित करने की इनकी सेवा में निरन्तरता लाने के लिए सरकार कोई योजना बनाएगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कई फेडरेशन पहले से चल रहे हैं। यदि कोई फेडरेशन बन्द हो जाता है तो उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित किया जाएगा।

राज्य में आवास एवं विकास परिषद् का गठन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जन्तवाल स0 वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[उत्तरांचल राज्य में आवास विकास परिषद् के गठन का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में संज्ञानित कराना है कि आवास विभाग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् की दिनांक 9–12–2002 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उत्तरांचल नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन अधिनियम तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु मा0 मंत्री, शहरी विकास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। उक्त समिति द्वारा उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा उ0प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 में वर्णित आवश्यक एवं प्रभावी प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों की उपयोगी व्यवस्थाओं को समाहित कर उत्तरांचल नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन अधिनियम के रूप में तैयार कर संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जानी है। समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति जिसमें आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के सुसंगत प्रावधान एवं उपयोगी व्यवस्थायें भी समाहित होंगी, के आधार पर आवास विभाग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त नीति निर्धारण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, दिनांक 3 अप्रैल, 2006 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए। (सदन की कार्यवाही 7 बजकर 03 मिनट पर दिन सोमवार दिनांक 03 अप्रैल, 2006 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

दिनांक 27 मार्च, 2006
देहरादून।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संलग्नक–1

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित प्रश्न सं0–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–4 पर)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2002

का0आ0 52(अ)–केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के परन्तुक के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी यान को जो उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो, निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी,–

(क) यान के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो:–

(1) राष्ट्रपति;

(2) उपराष्ट्रपति;

(3) प्रधान मंत्री;

(4) भूतपूर्व राष्ट्रपति;

(5) उप प्रधान मंत्री;

(6) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(7) लोक सभा का अध्यक्ष;

(8) संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य;

(9) उपाध्यक्ष, योजना आयोग;

(10) भूतपूर्व प्रधान मंत्री;

(11) राज्य सभा और लोक सभा में विरोधी पक्ष के नेता;

(12) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।

(ख) यान के शीर्ष अग्र भाग पर बिना फ्लैशर के लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो:–

(1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त;

(2) भारत का नियंत्रक–महालेखा परीक्षक;

(3) उप सभापति, राज्यसभा;

(4) उपाध्यक्ष, लोक सभा;

(5) संघ के राज्य मंत्री;

(6) योजना आयोग के सदस्य;

(7) भारत का महा न्यायवादी;

(8) मंत्रिमण्डल सचिव;

(9) तीनों सेनाओं के अध्यक्ष; जो पूर्ण जनरल के रैंक या समतुल्य रैंक के हों;

(10) संघ के उपमंत्री ;

(11) तीनों सेनाओं के स्थानापन्न अध्यक्ष जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक या समतुल्य रैंक के हों;

(12) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण;

(13) अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग;

(14) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग;

(15) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग।

(ग) कोई यान जो ऐसे उच्चपदस्थ व्यक्ति को ले जा रहा हो, जो रैंक, प्रास्थिति और प्रसुविधाओं के ऊपर मद "क" और "ख" में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित हो, तत्सम्बन्धी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का उपयोग करने के लिए हकदार होगा। ऐसा यान जो उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा उनकी निजी हैसियत में रैंक समनुदेशित की गई हैं, उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को जो ऊपर मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, समुदेशित तत्स्थानी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(घ) यदि कोई यान जिस पर के शीर्ष अग्र भाग पर लाल बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जाएगा।

(ङ) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यथास्थिति, अपनी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उच्च पदस्थ व्यक्तियों, जैसे कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डलों के सभापति, अध्यक्ष और मंत्रिमण्डल के सदस्यों आदि के सम्बन्ध में लाल बत्ती के उपयोग पर ऐसी ही अधिसूचनाएं जारी करेंगे।

(फा0 सं0 आर टी–11028/9/2001–एम वी एल)

आलोक रावत, संयुक्त सचिव।

संलग्नक–2

संख्या 3–8/परि0स0/उत्तरांचल/2001/245

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
2–अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल।

दिनांक: 5–2–2001

महोदय,

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 108 (द) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड–3 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग तथा उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या–3484 टी/30–4–87–25पी/87 दिनांक 23–7–89 का अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार उत्तरांचल शासन ने निम्नलिखित को उनके सम्मुख उल्लिखित के अनुसार लाल बत्ती व नारंगी बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है :–

1. महामहिम श्री राज्यपाल	लाल बत्ती टाप पर
2. उत्तरांचल के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री	लाल बत्ती टाप पर
3. उत्तरांचल के विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष	लाल बत्ती टाप पर
4. उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशगण	लाल बत्ती टाप पर
5. मुख्य सचिव, उत्तरांचल	बोनट पर छोटी लाल बत्ती
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल	बोनट पर छोटी लाल बत्ती
7. जिलाधिकारी, उत्तरांचल	बोनट पर छोटी नारंगी बत्ती
8. जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जिस जिले में जैसी स्थिति हो)	बोनट पर छोटी नारंगी बत्ती
9. उत्तरांचल के न्यायिक सेवा के जिला जज और उनके समकक्ष अधिकारीगण	लाल बत्ती टाप पर

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी व अन्य को लाल बत्ती व नारंगी का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

वर्तमान में उक्त के अतिरिक्त विभिन्न वाहनों में लाल/नीली बत्ती लगी है जो कि निर्दिष्ट सीमा में नहीं है और लाल व नीली बत्ती लगाने के लिए अधिकृत भी नहीं है। इस प्रकार की बत्तियों को मोटर यान अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत हटाने के लिए 15 फरवरी, 2001 की समय सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त समय सीमा के पश्चात् यदि किसी वाहन में, जो उक्त बत्ती लगाने के लिए अधिकृत नहीं है लाल/नीली/नारंगी बत्ती लगी हुई पाई जाती है जो उनके विरूद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)

सचिव।

संख्या 3-8(1)परि0स0/उत्तरांचल/2001/तददिनांक/245

प्रतिलिपि–

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

(पी0सी0शर्मा)

सचिव।

संलग्नक–3

संख्या 56 / परि0 / 2003

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

परिवहन विभाग देहरादून, दिनांक: 07 फरवरी, 2003

विषय–राजकीय वाहन पर बत्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3–8 / परि0स0 / उत्तरांचल / 2001 / 245, दिनांक 05–02–2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सन्दर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 05–02–2001 को संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के क्रमांक–7 व 8 पर अंकित अधिकारियों को उनके राजकीय वाहन पर निम्नानुसार बत्तियों के प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :–

1.	समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल	छत पर नीली बत्ती
2.	जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जो जिले के प्रभारी हों)	छत पर नीली बत्ती

3. कृपया शासनादेश संख्या 3–8 / परि0स0 / उत्तरांचल / 2001 / 245, दिनांक 05–02–2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)

सचिव।

संख्या (2)परि0/2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव चन्द्र जोशी)

अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 विधान सभा/334—17—07—2007—200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।